



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 (5) के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के संबंध में केन्द्र सरकार को जुलाई 21, 2014 को प्रस्तुत निदेशक मंडल की रिपोर्ट ।

विषय सूची

प्रेषण – पत्र
निदेशक मंडल
निदेशक – मंडल की समितियाँ
प्रगति की एक झलक
निदेशकों की रिपोर्ट

अध्याय

1. आर्थिक एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-कार्यनिष्पादन एवं दृष्टिकोण
2. व्यवसाय सम्बन्धी रणनीतिक पहलकदमियाँ और समग्र परिचालन
3. वित्तीय समावेशन एवं दीर्घकालिक संवृद्धि
4. सिडबी की सहायता का प्रभाव
5. प्रबंधन एवं निगमित अभिशासन
6. सिडबी की सहायक एवं सहयोगी संस्थाएं
7. तुलनपत्र एवं लेखा-विवरण

सिडबी का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण (अनुबंध - I)

सिडबी तथा उसकी सहायक व सहयोगी संस्थाओं का समेकित तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण (अनुबंध - II)

प्रेषण – पत्र

21 जुलाई, 2014

सचिव
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

महोदय,

सिडबी के वित्तीय वर्ष 2013-14 के कामकाज के बारे में वार्षिक लेखा एवं
निदेशक मंडल की रिपोर्ट

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 की धारा 30(5) के प्रावधानों के अनुसार मैं निम्नलिखित दस्तावेज प्रेषित कर रहा हूँ:

- (1) मार्च 31, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वार्षिक लेखों की प्रति तथा
- (2) मार्च 31, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के कामकाज के बारे में निदेशक मंडल की रिपोर्ट की प्रति

अनु: यथोपरि

भवदीय

(एन. के. मैनी)

उप प्रबंध निदेशक

सिडबी का निदेशक मंडल

(31 जुलाई, 2014 को)



श्री अमरेन्द्र सिन्हा



श्री आलोक टंडन



श्री सत्यानंद मिश्र



श्री अनिल अग्रवाल



श्री बी. मणिवन्नन



श्री जे. चंद्रशेखरन



श्री आर. रामचंद्रन



श्री एस.के.वी. श्रीनिवासन



श्री एन. के. मैनी

निदेशक मंडल की समितियाँ

(31 जुलाई, 2014 को)

कार्यपालक समिति

श्री एन. के. मैनी
श्री जे. चन्द्रशेखरन
श्री बी. मणिवन्नन
श्री अनिल अग्रवाल
श्री सत्यानन्द मिश्र

लेखा परीक्षा समिति

श्री अनिल अग्रवाल
श्री एन. के. मैनी
श्री आलोक टंडन
श्री एस. के. वी. श्रीनिवासन
श्री आर. रामचंद्रन

जोखिम प्रबंध समिति

श्री आर. रामचंद्रन
श्री एन. के. मैनी
श्री एस. के. वी. श्रीनिवासन
श्री जे. चंद्रशेखरन

राज्य वित्तीय निगमों के पर्यवेक्षण के लिए समिति

श्री एन. के. मैनी
श्री अनिल अग्रवाल
श्री सत्यानन्द मिश्र
श्री आर. रामचंद्रन

बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

श्री एन. के. मैनी
श्री आलोक टंडन
श्री एस. के. वी. श्रीनिवासन
श्री जे. चंद्रशेखरन

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

श्री बी. मणिवन्नन
श्री एन. के. मैनी
श्री अनिल अग्रवाल
श्री सुधीर सेठ (बाह्य विशेषज्ञ)

ग्राहक सेवा समिति

श्री एन. के. मैनी
श्री जे. चंद्रशेखरन
श्री अनिल अग्रवाल

मानव संसाधन संचालन समिति

श्री एन. के. मैनी
श्री आलोक टंडन
श्री जे. चंद्रशेखरन
श्री सत्यानन्द मिश्र
डा. चित्रा राव (बाह्य विशेषज्ञ)

वसूली समीक्षा समिति

श्री एन. के. मैनी
श्री आलोक टंडन
श्री एस. के. वी. श्रीनिवासन
श्री आर. रामचंद्रन

परिसर समिति

श्री बी. मणिवन्नन
श्री एन. के. मैनी
श्री सत्यानन्द मिश्रा
लेफ्टीनैंट कर्नल आर. एस. चोरडिया (सेवानिवृत्त) (बाह्य विशेषज्ञ)

पारिश्रमिक समिति

श्री आलोक टंडन
श्री बी. मणिवन्नन
श्री सत्यानन्द मिश्र

मिशन

एमएसएमई को ऋण की उपलब्धता सुविधाजनक बनाना व सुदृढ़ करना तथा एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के वित्तीय व विकासपरक, दोनों अंतरालों की पूर्ति करना ।

प्रगति की एक झलक

(₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष	1990-91	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बकाया संविभाग	5176.8	46,053.6	53,785.1	56,059.8	61270.7
यथा 31 मार्च					
विवरण	1991	2011	2012	2013	2014
पूँजी - प्राधिकृत	500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
- प्रदत्त	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0
आरक्षितियाँ व निधियाँ	44.9	5,868.4	6,327.9	7,053.3	8,042.3
कुल आय (प्रावधान घटाकर)	425.1	3,442.8	3,870.4	4,557.6	5,186.0
निवल लाभ	35.6	513.8	566.9	837.4	1,118.3
शेयरधारकों को लाभांश	5.0	112.5	112.5	112.5	112.5
औसत बकाया संविभाग पर प्रतिलाभ (%)	0.7	2.0	2.2	2.3	2.7
निवल बकाया संविभाग पर मानक आस्तियों का प्रतिशत	100	99.72	99.66	99.47	99.55
जोखिम आस्तियों के प्रति पूँजी अनुपात (%)	13.9	30.6	28.9	28.1	30.8

निदेशकों की रिपोर्ट- वित्तीय वर्ष 2013-14

बैंक का निदेशक-मण्डल 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक के व्यवसाय एवं परिचालनों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है।

आपके बैंक की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत 1990 में की गई। यह भारत के एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण एवं विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था है। यह क्षेत्र जो कि हाल के वर्षों में सुदृढ़तापूर्वक विकास करता रहा है, देश की आर्थिक संवृद्धि, उद्यमिता विकास, क्षेत्रीय प्रगति, वित्तीय समावेशन तथा रोजगार सृजन के मामले में अत्यधिक योगदान करता है। तथापि, इस क्षेत्र के सामने बहुत-सी चुनौतियाँ भी हैं, जैसे- समय पर पर्याप्त ऋण की उपलब्धता का अभाव, ऋण की ऊँची लागत, ईक्विटी पूँजी तक सीमित पहुँच, प्राप्य राशियों के भुगतान में विलंब, कच्चे माल की प्रतिस्पर्धी कीमत पर खरीद, वैश्विक बाजारों तक पहुँच का अभाव, मूलभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण की निम्न स्तरीयता, आदि।

सिडबी की व्यवसाय-रणनीति एमएसएमई पारितंत्र के वित्तीय एवं गैर-वित्तीय अन्तरालों को भरने की दिशा में उन्मुख है। आपका बैंक जिन चुनिंदा वित्तीय अन्तरालों का समाधान कर रहा है वे हैं- जोखिम पूँजी/ईक्विटी सहायता, टिकाऊ वित्त यानी ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, फैक्ट्रिंग एवं रिवर्स फैक्ट्रिंग, सेवा क्षेत्र वित्तीयन आदि। इन चुनिंदा क्षेत्रों को सिडबी द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रत्यक्ष वित्त से बैंकों के प्रयासों की पूर्ति/अनुपूर्ति हो रही है, ताकि एमएसएमई की विविध ऋण-आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अलावा सिडबी वाणिज्य बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, अल्प वित्त संस्थाओं तथा अन्य टिकाऊ मध्यवर्तियों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त प्रदान करता है।

व्यावसायिक कार्य-निष्पादन

आपके बैंक का कुल संवितरण वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹40,520 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹52,191 करोड़ हो गया और उसमें 29% की वृद्धि हुई। यथा 31 मार्च 2014, बैंक का बकाया संविभाग ₹56,060 करोड़ से 9.3% बढ़कर इसी अवधि में ₹61,271 करोड़ हो गया। यथा 31 मार्च 2014 संचयी संवितरण ₹3.37 लाख करोड़ रहा, जिससे 340 लाख से अधिक इकाइयाँ/व्यक्ति लाभान्वित हुए।

पोर्टफोलियो में समग्रतः वृद्धि होने के कारण, वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय पिछले वर्ष के ₹5,401 करोड़ की तुलना में अधिक, यानी ₹5,808 करोड़ रही। तत्सम्बन्धी अवधि में कुल व्यय तुलनात्मक रूप से अधिक यानी ₹3,646 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹3,361 करोड़ रहा था। वर्ष का कर-पूर्व लाभ ₹1,539 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,196 करोड़ था। कर-पश्चात तथा आस्थगित कर-समायोजन के बाद वर्ष का निवल लाभ ₹1,118 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹837 करोड़ रहा था। आपके बैंक ने इस वर्ष 25% का लाभांश घोषित किया है और प्रारम्भ से ही अनवरत लाभांश भुगतान करते रहने की परम्परा जारी रखी है।

व्यावसायिक पहलकदमियाँ

आपका बैंक जिन चुनिंदा वित्तीय अन्तरालों का समाधान दे रहा है, उनमें से कुछ हैं- जोखिम पूँजी/ईक्विटी सहायता, टिकाऊ वित्त, प्राप्य वित्त, सेवा क्षेत्र वित्तीयन आदि। ये एमएसएमई की ऐसी ज़रूरतें हैं, जिनकी पूर्ति आम तौर पर बैंकिंग प्रणाली से नहीं हो पाती। इसके साथ ही साथ, आपका बैंक ऐसे नये वित्तीय उत्पादों की पौध-शाला के रूप में भी काम करता है, जिनको अन्ततः बैंकिंग उद्योग की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है।

जोखिम पूँजी: ईक्विटी निधीयन के अन्तराल को पूरा करने के लिए सिडबी ने एक विशेषज्ञतापूर्ण उत्पाद के ज़रिए एमएसएमई को जोखिम पूँजी/अर्ध-ईक्विटी प्रदान करना आरंभ किया, जो एमएसएमई के लिए संवृद्धि पूँजी एवं ईक्विटी सहायता योजना (जेम्स) कहलाता है। इस योजना के अन्तर्गत सिडबी एमएसएमई को ईक्विटी, अधिमान्य पूँजी, अधीनस्थ ऋण, विकल्पतः परिवर्तनीय ऋण-पत्रों, विकल्पतः परिवर्तनीय ऋण आदि के रूप में जोखिम पूँजी सहायता प्रदान करता है।

शुरूआती चरण और प्रारम्भिक अवस्था वाले उद्यमों की वित्तीयन सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने 'राष्ट्रीय नवोन्मेष वित्त कार्यक्रम' आरम्भ किया है। देश में नवोन्मेष-वित्तीयन के लिए सक्षमताकारी वातावरण निर्मित करने की दिशा में राष्ट्रीय सहयोग का यह एक अनूठा कार्यक्रम होगा।

टिकाऊ वित्त: एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों की संवृद्धि को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाने की दृष्टि से ऊर्जा दक्षता तथा टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए, सिडबी ने एमएसएमई क्षेत्र में विशेषीकृत ऋण उत्पादों तथा संवर्द्धनपरक गतिविधियों के ज़रिए ऊर्जा दक्षता/स्वच्छतर उत्पादन को बढ़ावा देने वाली कई पहलकदमियाँ की हैं।

सिडबी कई बहु-पक्षीय एजेंसियों के साथ की गई ऋण-व्यवस्थाओं के ज़रिए संकेन्द्रित रियायती ऋण योजनाएं परिचालित करता रहा है, जैसे- जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका), एजेन्सी फ्रैन्काइजी डि डेवलपमेंट (एएफडी) तथा क्रेडिटान्स्टाल्ट फर वीडरफबाउ (केएफडब्ल्यू)। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना तथा भारतीय एमएसएमई द्वारा कार्बन डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाना है। एमएसएमई क्षेत्र में स्वच्छतर उत्पादन विकल्पों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने केएफडब्ल्यू से 53.74 मिलियन यूरो की ऋण-व्यवस्था के लिए संविदा की है।

प्राप्य वित्त: विलम्ब से भुगतान मिलना एमएसएमई की एक और चिन्ता रही है। एमएसएमई को उनकी प्राप्य राशियों की शीघ्रतापूर्वक वसूली में मदद करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने प्राप्य वित्त योजना (आरएफएस) नामक योजना तैयार की है, जिसके अन्तर्गत अच्छे कार्य-निष्पादन वाली क्रेता कंपनियों के लिए एक्स्पोजर सीमाएं अनुमोदित की जाती हैं और बिलों की भुनाई की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹5,000 करोड़ की एक नई पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की, जो 14 नवम्बर 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। इस सुविधा का उद्देश्य सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की प्राप्य राशियों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से तथा चुनिंदा मध्यवर्तियों जैसे बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से तरलता सहायता प्रदान करना था। यह दिसम्बर 2013 से क्रियान्वित की गई। कार्यान्वयन के बाद की छोटी-सी अवधि में बैंक ने इस सुविधा का पूर्ण उपयोग कर लिया और भारतीय रिज़र्व बैंक से ₹5,000 करोड़ की राशि आहरित कर ली। इस सुविधा के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 तक संचयी रूप से 9,718 एमएसएमई कवर किए जा चुके थे, और समस्त सहायता में से 89% हिस्सा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में लगाया गया था।

सेवा क्षेत्र वित्तपोषण : सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक का योगदान करता है और इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका प्रमुख स्थान है। यह क्षेत्र पिछले एक दशक के दौरान अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से विकसित होता हुआ क्षेत्र भी रहा। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र की बढ़ती हुई हिस्सेदारी और महत्व तथा वित्त तक इसकी सीमित पहुँच को देखते हुए सिडबी ने अपने व्यवसाय के अंतर्गत इस क्षेत्र पर उत्तरोत्तर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, इस क्षेत्र के लिए मौजूदा उत्पादों को संशोधित किया गया और आवश्यकतानुरूप तैयार किए गए कतिपय नए उत्पाद आरंभ किए गए। निर्माण क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान के उद्देश्य से एक योजना भी तैयार की गई।

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

अल्प वित्त : अल्प वित्त समावेशी संवृद्धि को बढ़ावा देता है और आपका बैंक इस पर विशेष बल देता आ रहा है। सिडबी के अल्प वित्त प्रयासों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 तक ऋण, ईक्विटी तथा अर्द्ध-ईक्विटी सहित मंजूर संचयी सहायता ₹9,308.01 करोड़ थी, जबकि संचयी संवितरण ₹8,121.57 करोड़ थे। यथा 31 मार्च 2014, बैंक के अल्प ऋण संविभाग का बकाया ₹1,170 करोड़ थी। सिडबी के जरिए मिली सहायता से संचयी रूप से लगभग 326 लाख उपेक्षित व्यक्ति लाभान्वित हुए, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं।

गैर-वित्तीय अंतरालों की पूर्ति : आपके बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र तथा बैंकों के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न गैर-वित्तीय अंतरालों की पूर्ति के लिए भी कार्यनीतिक प्रयास किए हैं।

सूचना-प्रसार : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्रासंगिक सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके सूचना अंतराल की पूर्ति करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने www.smallB.in की स्थापना की, ताकि व्यवसाय कैसे स्थापित करें, वित्त तक पहुँच, सरकारी योजनाओं आदि के उपयोग के विषय में नए उद्यमियों को आरंभिक सहारा तथा मार्गदर्शन दिया जा सके।

ऋण सलाह केंद्र : ऋण प्राप्त करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए सिडबी ने ऋण सलाह केन्द्र स्थापित किए हैं जो वाणिज्य बैंकों की योजनाओं, सरकारी सब्सिडियों/लाभों की उपलब्धता के बारे में नए/मौजूदा उद्यमियों का मार्गदर्शन करते हैं, उधारकर्ताओं को ऋण-परामर्श देते हैं, बैंकों द्वारा की गई पूछताछ का उत्तर देते हैं। ये ऋण सलाह केन्द्र उद्योग संघों की साझेदारी में देश भर के 306 क्लस्टरों में कार्यरत हैं। कवर किए जा रहे क्लस्टरों की संख्या कालान्तर में बढ़ाई जाएगी। ऋण सलाह केन्द्रों में बैठने के लिए सिडबी ने ज्ञान सहभागियों की नियुक्ति की है, जो सेवा-निवृत्त बैंक अधिकारी हैं और इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त हैं। अभी तक ऋण सलाह केन्द्रों से 8200 से अधिक एमएसएमई लाभान्वित हो चुके हैं।

ऋण समूहन सेवाएं : सिडबी ने ऋण समूहन सेवाएं इस उद्देश्य से आरम्भ की हैं कि बैंकों, रेटिंग एजेंसियों तथा मान्यता-प्राप्त परामर्शदाताओं की भागीदारी से एक पारितंत्र स्थापित किया जाए, ताकि सहायतार्थ विचार के लिए बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं में प्रस्तुत किए जाने के उद्देश्य से संपूर्ण, रेटिंगयुक्त और वैधीकृत प्रस्ताव तैयार करके एमएसएमई को समय से पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान ऋण समूहन सेवाएं ने सिडबी तथा समझौता ज्ञापन वाले बैंकों को अब तक 160 से अधिक प्रस्ताव प्रेषित किए।

निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि (पीएसआईजी)

डीएफआईडी, यूके की वित्तीय सहायता से सिडबी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा पीएसआईजी कार्यक्रम एक सात वर्षीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 4 कम आय वाले राज्यों (बिहार, ओड़िशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) की निर्धन महिलाओं और पुरुषों को व्यापक आर्थिक संवृद्धि का भागीदार एवं लाभार्थी बनाकर उनकी आय और रोजगार अवसरों में वृद्धि करना है।

उद्यमिता विकास

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्द्धन एवं विकास संबंधी अपने प्रयासों के अंतर्गत सिडबी उद्यमों के सृजन तथा मौजूदा उद्यमों के सुदृढ़ीकरण का द्विआयामी दृष्टिकोण अपनाता है। बैंक ने अपनी संवर्द्धनशील गतिविधियों का भी उद्यमिता विकास, ग्रामीण उद्योगीकरण, कौशल उन्नयन, समूह विकास की दिशा में पुनर्विन्यास किया है, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र नए उद्यमों की स्थापना, समाज के निम्न तबकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के सृजन की दृष्टि से लाभान्वित हुआ है।

संसाधन प्रबंध

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2014 के दौरान, कुल ₹32,281 करोड़ के संसाधन (₹31,156 करोड़ घरेलू एवं ₹1,125 करोड़ विदेशी) जुटाए।

वित्त वर्ष 2014 के दौरान, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि. (केयर) ने आपके बैंक के बकाया ऋण निर्गम अर्थात् ₹3,000 करोड़ तक के सावधि जमा कार्यक्रम के संबंध में केयर एएए' (ट्रिपल ए) तथा ₹6,000 करोड़ तक के सीपी/सीडी कार्यक्रम के लिए केयर ए1+' (एवन प्लस) रेटिंग बनाए रखी है। इसी प्रकार, क्रिसिल ने भी सिडबी के बकाया बांडों के संबंध में क्रिसिल एएए/स्टेबल' रेटिंग तथा सावधि जमा कार्यक्रम के लिए एफएएए/स्टेबल' रेटिंग बनाए रखी है। वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने क्रिसिल/केयर द्वारा दी गई उक्त रेटिंगों का उपयोग करते हुए बांडों के रूप में ₹2,530 करोड़ की राशि जुटाई। उपर्युक्त रेटिंग वाले लिखतों को सर्वोत्तम गुणवत्तावाला लिखत माना जाता है, जिनमें नगण्य निवेश जोखिम निहित होता है।

मानव संसाधन

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, आपके बैंक के पूर्णकालिक सक्रिय स्टाफ की कुल संख्या 1,043 थी, जिसमें से 880 अधिकारी, 99 श्रेणी III कर्मचारी तथा 64 अधीनस्थ स्टाफ थे। इनमें महिला कर्मचारियों की संख्या 224 है। मानव शक्ति की गुणवत्ता उन्नत करने और बदलते हुए व्यावसायिक परिवेश के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण सदैव अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने घरेलू अथवा सुप्रसिद्ध प्रशिक्षण / अकादमिक संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न इन-हाउस तथा अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,578 नामांकन किए।

सहयोगी एवं सहायक संस्थाएं

एमएसएमई क्षेत्र की उभरती हुई जरूरतों की पूर्ति हेतु आपका बैंक निरंतर विभिन्न संस्थागत प्रणालियां विकसित करता रहा है और कई सहयोगी / सहायक संस्थाएं स्थापित की गई हैं। आपके बैंक की सहयोगी व सहायक संस्थाओं के परिचालन समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे हैं।

उद्यम पूंजी सहायता : सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड एक आस्ति प्रबंधन कंपनी है। इसकी स्थापना ₹100 करोड़ के नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री (एनएफएसआईटी) के साथ वर्ष 1999 से हुई। इसके बाद, 2004 में ₹500 करोड़ के एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना हुई और वर्ष 2012 में ₹671 करोड़ के साथ इंडिया ऑपरेटिविटीज़ फंड की स्थापना की गई। वर्ष के दौरान भारत के 8 निर्धनतर राज्यों यथा बिहार, मध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहित करने पर बल देने के उद्देश्य से स्थापित समृद्धि फंड ने अपने परिचालन शुरू किए।

ऋण गारंटी : सिडबी ने भारत सरकार के साथ, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्यमों को दिए गए ₹100 लाख तक के संपार्श्विक रहित/तृतीय पक्ष गारंटी रहित ऋण देने हेतु, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना वर्ष 2000 में की। ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत, संचयी रूप से, 31 मार्च, 2014 की समाप्ति पर ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कुल 14.20 लाख गारंटियों (₹25 लाख से कम के 69% ऋणों हेतु) को ₹70,026 करोड़ के ऋणों के प्रति गारंटी अनुमोदन प्रदान किये गये।

एसएमई रेटिंग : सिडबी ने कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के साथ मिलकर, स्मेरा रेटिंग लि. की स्थापना सितंबर, 2005 में - पूर्णतः एमएसएमई की तृतीय पक्ष रेटिंग हेतु समर्पित एक रेटिंग एजेंसी के रूप में की, जो व्यापक, पारदर्शी एवं विश्वसनीय रेटिंग व जोखिम प्रोफाइल उपलब्ध कराती है। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2014 तक, स्मेरा ने 27,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को रेटिंग प्रदान की, जिसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की संख्या 98% रही।

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

आस्ति पुनर्निर्माण : सिडबी ने इंडिया एसएमई एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ('आइसार्क') का गठन किया। ('आइसार्क') सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर केंद्रित देश की पहली आस्ति निर्माण कंपनी है जो गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए तुरंत समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्नशील है और खाली पड़ी हुई गैर-निष्पादक आस्तियों को उत्पादक उद्देश्यों में लगाने के लिए तत्पर है जिससे कि बैंकिंग क्षेत्र द्वारा एमएसएमई को ऋण प्रवाह में आसानी हो। इसका व्यावसायिक परिचालन अप्रैल 2009 से शुरू हुआ। यथा 31 मार्च 2014 तक आइसार्क के प्रबंधन में लगभग ₹385 करोड़ की आस्तियां रही।


पुरस्कार

वर्ष 2013-14 के दौरान, सिडबी के सतर्कता वर्टिकल को सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद द्वारा बैंकिंग क्षेत्र की श्रेणी में "सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार" प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सतर्कता प्रशासन के क्षेत्र में सिडबी द्वारा किए गए अच्छे कार्यों हेतु प्राप्त हुआ। आपके बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुरस्कार हेतु वर्गीकृत क्षेत्र 'ग' में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ।

आभार

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मूल्यवान सहयोग के लिए आपके बैंक का निदेशक मंडल उनका आभार ज्ञापित करता है। साथ ही, निदेशक मंडल विश्व बैंक समूह, जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी (जाइका), जापान; डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यू.के.; क्रेडिटान्स्टाल्ट फर वीडरफबाउ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी; दि ड्यूश जेसेल्शाफ फर इंटरनेशनल जुसाम्मेनारबीट (जीआईजेड), जर्मनी; इंटरनेशनल फन्ड फॉर ऐग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी), रोम; एजेन्सी फ्रैन्काइजी डि डेवलपमेंट (एएफडी), फ्रांस तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक को उनसे अनवरत मिलनेवाली संसाधन सहायता तथा तकनीकी सहयोग के लिए धन्यवाद देता है। बैंकों, राज्य स्तरीय संस्थाओं, उद्योग संघों तथा एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन व विकास में लगे अन्य हित-धारकों से मिले सहयोग के लिए बोर्ड उनकी सराहना करता है। बैंकों, राज्य स्तरीय संस्थाओं, उद्योग संगठनों एवं एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन व विकास में संलग्न अन्य हितधारकों द्वारा सिडबी को दी गयी सहायता के लिए बोर्ड सराहना करता है।

बैंक अपने सभी ग्राहकों व निवेशकों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और आशा करता है कि आनेवाले वर्षों में भी उनका सहयोग लगातार मिलता रहेगा। निदेशक मंडल सिडबी के सभी स्तरों के स्टाफ द्वारा वर्ष के दौरान प्रदत्त सेवाओं की सराहना करता है, जिन्होंने बैंक को विकास के उच्चतर धरातल तक ले जाने में अटूट प्रतिबद्धता, सत्य-निष्ठा और समर्पण-भावना का परिचय दिया है।



(एन. के. मैनी)
उप प्रबंध निदेशक



**आर्थिक एवं सूक्ष्म, लघु
एवं मध्यम उद्यम-
कार्यनिष्पादन एवं दृष्टिकोण**

आर्थिक एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम- कार्यनिष्पादन एवं दृष्टिकोण

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दूसरे हिस्से में आर्थिक गतिविधि के सुदृढ़ होने के कारण वित्तीय वर्ष 2013-14 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार का दौर लौटा। मौजूदा हालात के मद्देनज़र, 2014 में वैश्विक संवृद्धि-दर लगभग 3.6% रहने की उम्मीद है, जो वित्तीय वर्ष 2013 के 3% से अधिक है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आउटपुट में संवृद्धि में सुधार होने की आशा है, जबकि उभरते हुए बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि कुछ दबाव में रहेगी।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्थिर (2004-05 के मूल्य) पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 4.7% की संवृद्धि का अनुमान लगाया गया था, जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 4.7%, 0.4% तथा 6.8% की संवृद्धि दर्ज किया जाना अनुमानित था। मुद्रास्फीतिक दबाव में कमी आने, चालू लेखा खाते (सीएडी) में सुधार के ज़रिए बाहरी मोर्चे में सुधार तथा बृहत्तर पूँजी प्रवाह से संवृद्धि के परिवेश में सुधार आया।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र

भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तीव्रतर, टिकाऊ और अधिकाधिक समावेशी संवृद्धि के संवाहक हैं। एमएसएमई क्षेत्र न केवल कई तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि वे 6,000 से अधिक उत्पादों का विनिर्माण भी कर रहे हैं, जिनमें परम्परागत से लेकर उच्च-प्रौद्योगिकी-आधारित मर्दें भी शामिल हैं। एमएसएमई क्षेत्र में 4.5 करोड़ से अधिक उद्यम हैं और यह 10 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा करता है। यह कृषि के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र है (तालिका 1.1)। कुल औद्योगिक विनिर्माण में इसका योगदान 40 प्रतिशत तथा भारत के कुल निर्यात में 36 प्रतिशत है।

तालिका 1.1: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कार्य-निष्पादन

वर्ष	कुल कार्यरत उद्यम (लाख)	रोजगार (लाख)
2006-07	361.76†	805.23 †
2007-08#	377.37	842.23
2008-09#	393.70	881.14
2009-10#	410.82	922.19
2010-11#	428.77	965.69
2011-12#	447.73	1012.59

† थोक/खुदरा व्यापार, विधिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक सेवाओं, होटल व रेस्तराँ, परिवहन तथा भण्डारण एवं गोदाम (शीत-भण्डारण को छोड़कर) की गतिविधियों सहित, जिसके लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, एसपीआई मन्त्रालय-कार्यालय की आर्थिक जनगणना 2005 से आँकड़े लिए गए।

अनुमानित

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2012-13, एमएसएमई मन्त्रालय, भारत सरकार

नीतिगत परिवेश

एमएसएमई क्षेत्र में संवृद्धि एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक कई तरह के समीचीन उपाय करते चले आ रहे हैं। हाल में किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

केन्द्रीय बजट 2014-15 (अन्तरिम)

- अन्तरिम बजट में परिकल्पना की गई है कि एमएसएमई क्षेत्र में आधारभूत स्तर पर नवोन्मेषिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमएसएमई मन्त्रालय 'भारत समावेशी नवोन्मेषिता निधि' स्थापित करेगा, जिसकी समूह निधि में वह ₹100 करोड़ का आरंभिक योगदान करेगा।
- अगस्त 2013 में ₹1000 करोड़ का विनिधान करते हुए राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन न्यास आरंभ किया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास न्यास में ₹1,000 करोड़ के अतिरिक्त अंशदान का प्रस्ताव है।
- सार्वजनिक खरीद नीति की अधिसूचना जारी होने, खादी मार्क के प्रारम्भ तथा प्रौद्योगिकी एवं सामूहिक सुविधा की स्थापना होने से एमएसएमई को लाभ पहुँचने की आशा है।
- प्रमुख विनिर्माण उद्योगों जैसे स्टील, सीमेण्ट, रिफाइनरी, पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स में अतिरिक्त क्षमताएं संस्थापित की जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 का केन्द्रीय बजट

- एमएसएमई क्षेत्र में उद्यम पूँजी के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने के उद्देश्य से ₹10,000 करोड़ की निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि वह ईक्विटी, अर्ध-ईक्विटी, सुलभ ऋण तथा अन्य जोखिम पूँजी के रूप में निजी पूँजी को आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सके, जिससे कि देश में उद्यमिता की संस्कृति में सुधार हो सके और प्रारंभिक उद्यमों को प्रोत्साहन मिल सके। प्रारम्भिक उद्यमों के लिए जोखिम पूँजी का प्रावधान करने से एमएसएमई क्षेत्र में और अधिक नवोन्मेषी विचार साकार रूप ग्रहण कर सकेंगे।
- ग्रामीण युवाओं को स्थानीय उद्यमिता कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'प्रारम्भिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम' के लिए ₹100 करोड़ की शुरुआती राशि की घोषणा की गई।
- एमएसएमई क्षेत्र का वित्तीयन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सबसे कमजोर वर्ग विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। इस क्षेत्र की वित्तीय बनावट की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाना है, जिससे तीन माह में सुझाव अपेक्षित होंगे।
- एमएसएमई की परिभाषा की समीक्षा की जाएगी, ताकि उसमें पूँजी की उच्चतर सीमा का प्रावधान किया जा सके। ऐसा कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा, जो विनिर्माण एवं सेवा-प्रदायगी की बहुविध मूल्य-श्रृंखला के साथ पूर्वापर सुविधाओं को सुकर बनाए।
- लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए उद्यम-अनुकूल विधिक दिवालिया ढाँचा भी विकसित किया जाएगा, ताकि बहिर्गमन सरलता से हो सके। नए विचारों के संपोषण तथा त्वरित उद्यमिता हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्र-व्यापी 'जिला-स्तरीय संपोषण एवं त्वरणकारी कार्यक्रम' आरम्भ किया जाएगा।



सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा बैठक

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक एवं ऋण नीति

- एमएसएमई क्षेत्र पर तरलता के दबाव को कम करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिडबी को ₹5,000 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई थी। यह निधि सिडबी द्वारा प्रदत्त प्राप्य वित्त के लिए प्रत्यक्ष तरलता सहायता के साथ-साथ बैंकों, राज्य वित्तीय संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को तरलता सहायता के रूप में उपलब्ध थी।
- मध्यम क्षेत्र की तरलता सम्बन्धी कठिनाई के समाधान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय किया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा मध्यम क्षेत्र को प्रदत्त ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण माना जाए। यह रियायत उस ऋण-प्रवाह के लिए उपलब्ध थी जो 13 नवम्बर 2013 को बकाया राशि से अधिक हुआ हो और यह 31 मार्च 2014 तक उपलब्ध थी।
- सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यमों को दिए गए ₹2 करोड़ तक के बैंक ऋण पहले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण माने जाते थे। अप्रैल 2013 में यह सीमा बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई।

निर्यात-आयात नीति

विदेश व्यापार नीति 2009-14 के वार्षिक अनुपूरक वित्तीय वर्ष 2014 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की भी परिकल्पना की गई है:

- शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना तथा 3% ईपीसीजी योजना को समंजित करके एक योजना बना ली गई है। यह शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना होगी और सभी क्षेत्रों पर लागू होगी। इसका आशय यह है कि शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना, जोकि 31.3.2013 तक परिचालन में थी, अब जारी रखी गई है और सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होगी। बचाई गई शुल्क-राशि के 6 गुना तक के निर्यात-दायित्व को 6 वर्ष की अवधि में पूरा करना आवश्यक है और निर्यात की अवधि 18 महीने होगी, जो कि पहले शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना के लिए 9 महीने तथा 3% ईपीसीजी योजना के लिए 36 महीने थी।
- जो निर्यातक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) का लाभ ले रहे हैं, वे भी शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना के लिए पात्र होंगे।
- मोटर कारों, एसयूवी, होटलों, ट्रेवल एजेंटों अथवा टूर परिवहन परिचालनों तथा गोल्फ रिसॉर्ट के स्वामित्व/ परिचालन में लगी कम्पनियों के लिए समस्त-उद्देश्यीय वाहनों के आयात को नई शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति हुआ करती थी।
- पूँजीगत सामान की घरेलू खरीद करने पर निर्यात-बाध्यता में 10% की कमी करते हुए ईपीसीजी प्राधिकार के प्रति घरेलू खरीद को बढ़ावा दिया गया है।
- 2% ब्याज अनुदान योजना को 31.3.2014 तक बढ़ा दिया गया है।
- 2% ब्याज अनुदान योजना के दायरे को व्यापक बनाकर उसमें इंजिनियरिंग क्षेत्र के 134 उप-क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- 126 नये उत्पादों को फोकस उत्पाद योजना में शामिल किया गया है।
- बाज़ार सहबद्ध फोकस उत्पाद योजना (एमएलएफपीएस) में 47 नये उत्पाद शामिल किए गए हैं।
- वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना को वर्ष 2013-14 के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्द्धित अवधि के अन्तर्गत लाभ की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी।

- अग्रिम प्राधिकार तथा ईपीसीजी प्राधिकार से सम्बन्धित निर्यात-बाध्यता में जिन मामलों में चूक हुई हो उनको बन्द करने के लिए एक-बारगी सुविधा प्रदान की जाती है। निर्यातक को योजना अधिसूचित करने की तारीख से 6 माह की सीमित अवधि में शुल्क+ ब्याज का भुगतान करना होगा, जो इस शर्त के अधीन होगा कि समस्त भुगतान निर्यात-बाध्यता में चूक पर बचाई गई शुल्क राशि के दुगने से अधिक न हो।
- जो सेवा-निर्यातक विनिर्माण में भी लगे हैं, उन्हें एफटीपी के परिच्छेद 9.12 में परिभाषित पूँजीगत वस्तुओं के आयात/ घरेलू खरीद के लिए एसएफआईएस शुल्क जमा स्क्रिप का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। इनमें सेवा प्रदाता के विनिर्माण क्षेत्र व्यवसाय से सम्बन्धित उपस्कर भी शामिल हैं।
- जिन होटलों, ट्रैवल एजेंटों, टूर परिचालकों अथवा टूर परिवहन परिचालकों तथा गोल्फ रिसॉर्ट की स्वामी/ परिचालनकर्ता कम्पनियों के पास एसएफआईएस स्क्रिप हैं, वे शुल्क के भुगतान हेतु एसएफआईएस स्क्रिपों का उपयोग करके मोटर कारें, एसयूवी तथा सर्वोपयोगी वाहनों का आयात अथवा घरेलू खरीद कर सकती हैं। ऐसे वाहनों को 'केवल टूरिस्ट उद्देश्य' हेतु पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है।
- 5 अतिरिक्त मदों (एम्ब्रॉयडरी/सिलाई थ्रेड/पोली/क्रिल्टेड बेडिंग मैटीरियल तथा प्रिंटेड बैग) को उन मदों की सूची में शामिल किया गया है जिनको पिछले वर्ष की हस्तशिल्प-वस्तुओं के निर्यात के 5% तक के एफओबी मूल्य की वर्तमान सीमाओं अथवा पिछले वर्ष के सूती/ मानव-निर्मित वस्तुओं के निर्यात के एफओबी के 1% तक की वर्तमान सीमाओं के अन्तर्गत बिना शुल्क के अनुमति दी जाती है।
- इसी प्रकार खेल-सामग्री के निर्यात सम्बन्धी 5 अतिरिक्त मदें जोड़ी गई हैं। ये 5 मदें हैं- (i) पीवीसी लेदर क्लॉट (फूलनेवाली गेंदों और खेल के दस्तानों के विनिर्माण में इस्तेमाल हेतु), (ii) लेटेक्स फोम (शिन गार्ड तथा गोल-कीपर के दस्तानों और खेल के अन्य दस्तानों के विनिर्माण में इस्तेमाल हेतु), (iii) पीवा/ ईवा फॉइल (शिन गार्ड तथा खेल के दस्तानों के विनिर्माण में इस्तेमाल हेतु), (iv) सिलाई-धागा (फूलनेवाली गेंदों और खेल के दस्तानों के विनिर्माण में इस्तेमाल हेतु) और (v) छपाई की स्याही (फूलनेवाली गेंदों और खेल के दस्तानों के विनिर्माण में इस्तेमाल हेतु)।

एमएसएमई दृष्टिकोण

आर्थिक मंदी के समाप्त होने के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था और एमएसएमई की संभावनाएँ सुधरी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अर्थव्यवस्था धीमी किन्तु स्थिर गति से सुधार के पथ पर अग्रसर होगी और वह 5.4% से 5.9% के बीच की उच्चतर संवृद्धि हासिल करेगी। उसके पश्चात कतिपय सकारात्मक संकेतकों जैसे चालू खाता हानि में उल्लेखनीय कमी, उच्चतर पूँजीगत अंतर्प्रवाह, मुद्रास्फीतिक दबाव में मंदी, विनिमय दर में स्थिरता आदि के आधार पर संवृद्धि में और त्वरण की आशा है। आशा है कि ये नवीन घटक अर्थव्यवस्था



नेशनल टेक्सटाईल सेमिनार - 2013

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

को तीव्रतर दर से विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे। इसी प्रकार अपेक्षाकृत अधिक ऋण-प्रवाह, सार्वजनिक खरीद नीति के अधिसूचन, कौशल विकास हेतु उच्चतर परिव्यय और उद्यम वित्तीयन को बढ़ावा देने के लिए, सामूहिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना आदि से एमएसएमई को अपनी संवृद्धि की संभावना को सुदृढ़ बनाने तथा संवृद्धि के उच्चतर पथ पर अग्रसर होने में मदद मिलेगी।



**त्यवसाय सम्बन्धी
रणनीतिक पहलकदमियाँ
और समग्र परिचालन**

व्यवसाय सम्बन्धी रणनीतिक पहलकदमियाँ और समग्र परिचालन

सिडबी ने एमएसएमई पारितन्त्र-प्रणाली के वित्तीय एवं गैर-वित्तीय अन्तरालों को भरने के लिए अपनी व्यवसायगत रणनीति का पुनः अभिमुखीकरण किया है। सिडबी ने जिन महत्वपूर्ण वित्तीय अन्तरालों का समाधान प्रस्तुत किया है वे हैं- ईक्विटी/जोखिम पूँजी, प्राप्य वित्त, टिकाऊ वित्त, जिसमें ऊर्जा दक्षता/स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र वित्तीयन, फैक्ट्रिंग एवं रिवर्स फैक्ट्रिंग आदि शामिल हैं। इन चुनिंदा क्षेत्रों में एमएसएमई की वैविध्यपूर्ण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रयासों की परिपूर्ति और अनुपूर्ति प्रत्यक्ष वित्त के ज़रिए की जा रही है।

एमएसएमई क्षेत्रों तथा बैंकों के क्षमता विकास के लिए विभिन्न गैर-वित्तीय अन्तरालों के समाधान हेतु भी सिडबी ने रणनीतिक पहलकदमियाँ की हैं। इन गतिविधियों में एक पूर्णतया समर्पित वेबसाइट "www.smallB.in" के माध्यम से उद्यमिता का संवर्द्धन, ऋण सलाहकार सेवाएं, ऋण सुविधा-प्रदायगी, बैंकों - खासकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सूक्ष्म उद्यम-ऋण-प्रदायगी की दिशा में क्षमता-विकास आदि शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक पहलकदमियों का विवरण निम्नलिखित परिच्छेदों में दिया गया है:

I व्यवसाय रणनीति

i. ईक्विटी/जोखिम पूँजी

जोखिम पूँजी निधि: बैंकों व संस्थाओं से निधि जुटाने के लिए अपेक्षित पर्याप्त ईक्विटी की समस्या एमएसएमई उद्यमियों के सामने आ रही एक प्रमुख समस्या होती है। बहुत सारे घटकों, मूल्यांकन की जटिलताओं, सीमित बहिर्गमन-विकल्पों, नैगम अभिशासन के मुद्दों, रेटिंग, पारदर्शिता आदि के कारण छोटी कम्पनियों को सीमित जोखिम पूँजी ही उपलब्ध हो पाती है। इस प्रकार बहुत बड़ी संख्या में उद्यमियों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ऊँची लागत पर अनौपचारिक स्रोतों से उधार लेने को विवश होना पड़ता है। साथ ही, काफी सारे एमएसएमई भागीदारी/स्वामित्व-आधारित फर्मों हैं, जिनके पास अपेक्षित पूँजीगत ढाँचा नहीं होता कि वे बाहरी ईक्विटी निवेश को जज्ब कर पाएँ।

पूँजी तक पहुँचने में एमएसएमई के सामने आ रही समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने और एमएसएमई को बैंक वित्त प्रदायगी में मदद पहुँचाने के उद्देश्य से सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2008-09 में एमएसएमई जोखिम पूँजी निधि (एमएसएमई-आरसीएफ) के अन्तर्गत ₹2,000 करोड़ की प्रतिबद्ध समूह निधि से जोखिम पूँजी परिचालन आरम्भ किया है। अब तक एमएसएमई-आरसीएफ से ₹1,500 करोड़ की राशि आहरित की जा चुकी है। उसके पश्चात वित्तीय वर्ष 2012-13 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार ₹5,000 करोड़ का इण्डिया ऑपचुनिटीज वेंचर फण्ड (आईओवीएफ) स्थापित किया गया है। किन्तु अन्तर्निहित आस्ति-देयता विषमता और इस सुविधा के तीन-वर्षीय ऋण के रूप में होने के कारण आईओवीएफ के अन्तर्गत परिचालन पर्याप्त रूप से आरम्भ नहीं हो पाए हैं।

विभिन्न मध्यवर्ती संरचनाओं का इस्तेमाल करते हुए तथा निधियों की निधि परिचालन (यानी जोखिम पूँजी निधियों- वीसीएफ के ज़रिए) के माध्यम से जोखिम पूँजी/ ईक्विटी सहायता सीधे एमएसएमई को प्रदान की जाती है। जोखिम पूँजी सहायता भविष्य में होनेवाले नकदी प्रवाह तथा इकाई की संभावनाओं के आधार पर दी जाती है, न कि आस्ति कवरेज/ सम्पार्थिक प्रतिभूतियों के आधार पर, जैसाकि पारम्परिक ऋणों के मामले में होता है।

अतः जोखिम पूँजी सहायता का एमएसएमई के लिए उल्लेखनीय उपयोग होता है, जिनकी विकास योजनाएं पूँजी की कमी तथा संपार्थिक प्रतिभूति की सीमाओं के कारण बाधित हो जाती हैं। इस सहायता से बहुत-से एमएसएमई की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है। इनमें वरिष्ठ ऋणों की लीवरेजिंग, अमूर्त आवश्यकताओं जैसे अनुसंधान व विकास सम्बन्धी व्यय, विपणन/ ब्राण्ड निर्माण, तकनीकी जानकारी, ऊर्जा दक्षता, गुणवत्ता नियन्त्रण, कार्यशील पूँजी मार्जिन, आदि शामिल हैं, जहाँ आम तौर पर बैंक ऋण इसलिए उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि इन निवेशों से आस्ति-निर्माण नहीं होता।

नवोन्मेषी/ प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में काम कर रहे प्रारम्भिक और शुरुआती चरण के चुनिंदा उद्यमों की सहायता के लिए भी सिडबी ने एक योजना आरम्भ की है। इनमें प्रौद्योगिकी संपोषण केन्द्रों में संपोषित किए जा रहे उद्यम भी शामिल हैं। अधिक जोखिम (जो वाणिज्यीकरण-पूर्व चरण, लाभ-पूर्व चरण आदि में हो सकता है) होने और मूर्त प्रतिभूति/ संपार्श्विक प्रतिभूति के अभाव के कारण ऐसी इकाइयों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से वित्त जुटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सुयोग्य प्रारंभिक उद्यमों की पहचान करने और सहायता देने के लिए बैंक संपोषकों तथा अन्य एंजल नेटवर्कों के साथ काम करता रहा है।

टाइफैक-सिडबी प्रौद्योगिकी नवोन्मेषिता कार्यक्रम

प्रौद्योगिकी नवोन्मेषन कार्यक्रम (सृजन योजना) के कार्यान्वयन के लिए सिडबी ने टेक्नोलॉजी इन्फर्मेशन, फोरकास्टिंग एवं असेसमेण्ट काउन्सिल (टाइफैक), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। योजना के अन्तर्गत टाइफैक ने ₹30 करोड़ की परिक्रामी नवोन्मेषन निधि स्थापित की है। योजना का मुख्य उद्देश्य नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी-आधारित परियोजनाओं के विकास, उन्नयन, प्रदर्शन तथा वाणिज्यीकरण की दिशा में एमएसएमई की सहायता करना है। इस योजना में लचीली शर्तों व लचीली ब्याज-दर पर विकासपरक ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि नई प्रौद्योगिकी/प्रक्रिया/उत्पाद का प्रोत्साहन/संवर्द्धन/विकास/नवोन्मेषन तथा उसका वाणिज्यीकरण किया जा सके। योजना के अन्तर्गत ₹1 करोड़ तक की सहायता सुलभ ब्याज दर पर प्रदान की जाती है, जो 5% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होती। यथा 31 मार्च 2014 इस योजना के अन्तर्गत 10 नवोन्मेषी इकाइयों को ₹8.43 करोड़ की कुल राशि की वचनबद्धता दी जा चुकी है।

ii टिकाऊ विकास

एमएसएमई क्षेत्र को लम्बे समय तक कायम और संवृद्धिशील बनाए रखने के लिए उनमें ऊर्जा दक्षता तथा टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए, सिडबी ने एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता/ स्वच्छतर उत्पादन को ऋण उत्पादों तथा संवर्द्धनपरक गतिविधियों के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की पहलकदमियों की हैं।

विभिन्न बहु-पक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त ऋण-व्यवस्था में से ऊर्जा दक्षता के लिए सिडबी संकेन्द्रित रियायती ऋण योजनाएं परिचालित करता रहा है, जैसे जापान इन्टरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी (जाइका) चरण I-30 बिलियन जापानी येन तथा चरण II-30 बिलियन जापानी येन, एजेन्सी फ्रैंचाइज डि डेवलपमेण्ट (एएफडी)-50 मिलियन यूरो तथा क्रेडिस्टान्टाल्ट फर वीडरफबाउ (केएफडब्ल्यू)-50 मिलियन यूरो। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय एमएसएमई की ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना और सीओ2 उत्सर्जन में कमी लाना है।

एमएसएमई क्षेत्र में स्वच्छतर उत्पादन विकल्पों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने केएफडब्ल्यू से कुल 53.74 मिलियन यूरो की ऋण-व्यवस्था के लिए संविदा की है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्वच्छतर उत्पादन-निवेशों के माध्यम से उत्सर्जन तथा प्रदूषण में कमी लाना या उससे बचना है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान टिकाऊ वित्त योजना (एसएफएस) नामक एक नया उत्पाद आरम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य टिकाऊ विकास की ऐसी परियोजनाओं के लिए बैंक-सहायता के क्षेत्र का विस्तार करना है, जिनसे ऊर्जा दक्षता/ स्वच्छतर उत्पादन/ टिकाऊ विकास में उल्लेखनीय सुधार होता है, किन्तु जो अन्तरराष्ट्रीय/द्विपक्षीय एजेंसियों के साथ हुई किसी भी ऋण-व्यवस्था में समाहित नहीं हैं।



अहमदाबाद में व्यवसाय समीक्षा बैठक

कार्यक्रम-आधारित स्वच्छ विकास प्रणाली परियोजना (पीसीडीएम)

भारत में एमएसएमई के लिए शीर्ष विकास वित्तीय संस्था होने के नाते सिडबी भारत के एसएमई स्टील उद्योग क्लस्टरों में प्रयुक्त भट्टियों में ऊर्जा दक्षता सुधार' नामक कार्यक्रम-आधारित परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। विश्व में एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता के लिए यह पहली पीसीडीएम परियोजना है। इसे युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) में पंजीकृत कराया गया है।

वर्ल्ड बैंक-जीईएफ परियोजना

सिडबी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के साथ मिलकर पाँच एमएसएमई क्लस्टरों- कोल्हापुर-ढलाई, तिरुनेलवेलि-चूना भट्टियाँ, अंकलेश्वर-रसायन, पुणे- ढलाई तथा फरीदाबाद-मिश्रित क्लस्टर, में वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एन्वायरन्मेण्ट फैसिलिटी (जीईएफ), परियोजना, यानी एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता का वित्तपोषण' का निष्पादन कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य 'लक्षित एमएसएमई क्लस्टरों में ऊर्जा दक्षता निवेशों की माँग में वृद्धि करना तथा वाणिज्यिक वित्त तक पहुँच के मामले में उनकी क्षमता का विकास करना' है।

iii. प्राप्य वित्त

प्राप्य वित्त योजना (आरएफएस) वर्ष 1991 में आरम्भ की गई। यह बैंक की अग्रणी योजनाओं में से एक है। इस योजना के अन्तर्गत बैंक एमएसएमई को सहायता प्रदान करता है, ताकि वे क्रेता कम्पनियों को की गई उधार-बिक्री के सम्बन्ध में विलम्बित भुगतान की समस्या का समाधान पा सकें। ऐसी बिक्रियों में बनने वाले विनिमय विपत्रों/बीजकों के प्रति सिडबी द्वारा एमएसएमई को वित्त प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹5,000 करोड़ की एक नई पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराई, जो 14 नवम्बर 2013 से लागू है और एक वर्ष की अवधि के लिए है। इस सुविधा का उद्देश्य एमएसएमई के प्राप्य बिलों/बीजकों के प्रति सीधे तथा चुनिंदा मध्यवर्तियों जैसे बैंकों, गैरबैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से तरलता सहायता प्रदान करना था। यह दिसम्बर 2013 से कार्यान्वित की गई। इस सुविधा के अन्तर्गत पुनर्वित्त की उपलब्धता 90 दिन की अवधि तक सीमित रखी गई, जिसकी गणना उपयोग किए जाने की तारीख से की जाती है और जिसे 31 नवम्बर 2014 तक रोल ओवर किया जा सकता था। यह सुविधा विभिन्न उत्पादों के माध्यम से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहायता के रूप में निष्पादित की गई, जिसमें बैंकों में भुनाए गए एमएसएमई बिलों के प्रति पुनर्भुनाई भी शामिल है।

कार्यान्वयन पश्चात की अल्प अवधि में ही बैंक ने इस सुविधा का पूर्ण उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक से ₹5,000 करोड़ की राशि आहरित कर ली। इसमें से कुल ₹4,003 करोड़ की राशि सरकारी/निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से अभिनियोजित की गई (₹2,956 करोड़ बिल पुनर्भुनाई के अन्तर्गत तथा ₹1,047 करोड़ पुनर्वित्त के अन्तर्गत)। ₹997 करोड़ की शेष राशि का उपयोग बैंक के प्राप्य वित्त योजना संविभाग में किया गया। इस सुविधा के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 तक संचयी रूप से 9,718 एमएसएमई को समाहित किया गया और समस्त सहायता में से 89% हिस्सा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अभिनियोजित किया गया है।

प्राप्त वित्त योजना संविभाग में सुधार करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान मंजूरी के लिए संशोधित शक्ति-प्रत्यायोजन ढाँचे के अनुरूप अधिकतम सीमा आरंभ की गई। निधियों के अन्तिम उपयोग के सत्यापन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई। ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर ई-भुनाई मॉड्यूल जारी किया गया, जो एनट्रीज के अलावा है। विक्रेता-वार प्राप्य वित्त योजना के परिचालन का विस्तार करने के लिए वर्ष के दौरान आन्तरिक रूप से तैयार एक मॉड्यूल सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया।

एनट्रीज से प्राप्त अनुभव को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ साझा किया गया। रिज़र्व बैंक ने अब राष्ट्रीय स्तर पर यथावश्यक मूलभूत सुविधा विकसित करते हुए इस कार्य को वित्तपोषण की मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।

फैक्टरिंग

भारत में फैक्टरिंग व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ₹500 करोड़ की ऋण गारण्टी निधि के सृजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट-घोषणा के अनुसरण में सिडबी ने एमएसएमई एवं अन्य हितधारकों के लिए 12 सेमिनार आयोजित किए हैं, ताकि फैक्टरिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता में वृद्धि की जा सके।

iv. सेवा क्षेत्र वित्तपोषण

भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 60% से उपर है। यह क्षेत्र पिछले दशक के दौरान अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से बढ़ने वाला घटक भी रहा है।

राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र के बढ़ते हिस्से तथा महत्त्व को देखते हुए सिडबी ने अपने व्यवसाय में सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में मौजूदा उत्पादों को संशोधित किया गया और इस क्षेत्र के लिए कुछ नये आवश्यकता-आधारित उत्पाद विकसित किए गए। नई योजनाओं में कम संपार्श्विक प्रतिभूति पर नकदी-प्रवाह आधारित निधीयन का प्रावधान है। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान के उद्देश्य से भी एक योजना तैयार की गई।

चालू वित्तीय वर्ष में वर्टिकल अन्य बातों के साथ-साथ, और भी क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों को आरम्भ करने, व्यवसायों के फ्रेन्चाइजी मॉडल के वित्तीयन हेतु कारगर मॉडल तैयार करने तथा मूलभूत संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

सिडबी सरकारी योजनाओं की नोडल एजेन्सी के रूप में

सिडबी अपने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिचालनों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं, जैसे ऋण सहबद्ध पूँजी उपदान योजना (सीएलसीएसएस) एमएसएमई मन्त्रालय, वस्त्र उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) कपड़ा मन्त्रालय, चमड़ा क्षेत्र एकीकृत विकास योजना (आईडीएलएसएस) वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु योजना (एफपीटफ्स) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय तथा प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता (टेकअप) योजना एमएसएमई मन्त्रालय की नोडल एजेन्सी की भूमिका भी निभाता है, ताकि एमएसएमई को आधुनिक/ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सिडबी से प्रत्यक्ष सहायता-प्राप्त 754 पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के ₹43.02 करोड़ के पूँजी उपदान दावों का निपटान सीएलसीएसएस के अन्तर्गत किया गया। इसके अलावा सहयोजित प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं के 2748 एमएसई से सम्बन्धित ₹167.76 करोड़ के सब्सिडी दावों का निपटान भी किया गया। यह योजना अक्तूबर 2000 में आरम्भ हुई। तब से अब तक इसके अन्तर्गत 14,833 इकाइयों के कुल ₹829.69 करोड़ (संचयी) पूँजी सब्सिडी दावों का निपटान किया गया। इसी प्रकार टफ्स के अन्तर्गत सिडबी से प्रत्यक्ष सहायता-प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में 357 पात्र वस्त्र इकाइयों के (ब्याज प्रोत्साहन सब्सिडी तथा पूँजी/मार्जिन राशि सब्सिडी, दोनों) ₹9.78 करोड़ के सब्सिडी दावों तथा सहयोजित प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा एमएसई को प्रदत्त सहायता के सम्बन्ध में ₹2.94 करोड़ के सब्सिडी दावों का निपटान किया गया। टफ्स को 1999 में आरम्भ किया गया। तब से अब तक ₹682.72 करोड़ (संचयी) की पूँजी सब्सिडी तथा ब्याज प्रोत्साहन दावों का निपटान किया जा चुका है। आईडीएलएसएस नवम्बर 2005 में आरम्भ की गई। इसके अन्तर्गत संचयी रूप से 1633 इकाइयों के कुल ₹251.78 करोड़ के दावों का निपटान किया गया, जिनमें वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निपटाए गए 305 इकाइयों के ₹44.36 करोड़ के दावे भी शामिल हैं। एफपीटफ्स का अप्रैल 2007 में विकेन्द्रीकरण हुआ। उसके बाद से इसके अन्तर्गत (82 किस्तों वाले) 54 प्रस्तावों के प्रति ₹12.71 करोड़ की अनुदान सहायता देने की संस्तुति मन्त्रालय से की गई है। इनमें से सिडबी से सहायता-प्राप्त 38 इकाइयों को कुल ₹8.96 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी है।

II जोखिम प्रबन्धन

सिडबी ने एक व्यापक जोखिम प्रबन्धन प्रणाली कायम की है, जो इसके व्यवसाय तथा अन्य परिचालनों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील तथा अनुक्रियाशील है। बैंक के जोखिम प्रबन्धन सम्बन्धी तन्त्र में नीतियाँ, संगठनात्मक संरचना, प्रणाली तथा पद्धतियाँ हैं, ताकि बैंक के विभिन्न जोखिमों का निर्धारण, मूल्यांकन/ आकलन, शमन और निगरानी हो सके। बैंक ने उद्यम जोखिम प्रबन्धन (ईआरएम) नीति बनाई है, जिसकी समीक्षा वार्षिक रूप से की जाती है। ईआरएम नीति एक सर्वव्यापी दस्तावेज़ है, जिसमें बैंक द्वारा जोखिम प्रबन्धन से सम्बन्धित सामान्य/साधारण आयामों का समावेश है। यह सहायक नीतिगत दस्तावेज़ों, जैसे ऋण नीति, ऋण वसूली नीति, निवेश नीति, आस्ति-देयता प्रबन्धन (एएलएम) नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबन्धन (ओआरएम), व्यवसाय सातत्य प्रबन्धन (बीसीएम) नीति, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति, शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि से सम्बद्ध है। विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत समाहित ऋण, विपणन एवं परिचालनगत जोखिमों के अलावा अन्य जोखिमों, जैसे बैंकिंग खाता-बहियों में अवशेष ऋण, ऋण संकेन्द्रण, ब्याज दर जोखिम, विधिक, प्रतिष्ठा आदि सम्बन्धी जोखिमों का समाधान आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) नीति में किया गया है।

बैंक के ऋण एवं राजकोषीय परिचालनों से सम्बन्धित जोखिमों की लगातार निगरानी, मूल्यांकन एवं प्रबन्धन निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति के समग्र पर्यवेक्षण एवं मार्ग-दर्शन में किया जाता है। इनमें तुलन-पत्रेतर मदें भी शामिल हैं। हालांकि यह बैंक के लिए अनिवार्य नहीं है, फिर भी बेसल II मानदण्डों के अनुपालन के लिए सन्नद्ध रहने के स्वतःस्फूर्त उपाय के तौर पर बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबन्धन प्रणाली आईआरएमएस स्थापित की है। इसमें ऋण जोखिम प्रबन्धन सीआरएम, बाज़ार जोखिम प्रबन्धन, ओआरएम और आईसीएपी शामिल हैं। बैंक ने व्यापक परिचालन जोखिम मूल्यांकक (सीओआरई) प्रणाली कार्यान्वित की है, जिसे खोए हुए डाटा को वापस पाने, मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) तथा जोखिम एवं नियन्त्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैंक ने व्यवसाय सातत्य प्रबन्धन (बीसीएम) नीति भी कार्यान्वित की है। इसे आपदा-काल में महत्वपूर्ण व्यवसाय-परिचालनों में सातत्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से तैयार किया गया है। इरादा यह है कि बैंक व्यवसाय सातत्य की एक ऐसी रणनीति व ढाँचा तैयार करे जो सशक्त होने के साथ-साथ आघात सहने में सक्षम हो, ताकि महत्वपूर्ण परिचालनों में रुकावट को प्रबन्धन के लिए स्वीकार्य न्यूनतम स्तर पर रोका जा सके।

III. गैर-निष्पादक आस्ति प्रबन्धन

बैंक की आस्ति-गुणवत्ता में समग्र रूप से सुधार करने के उद्देश्य से गैर-निष्पादक आस्तियों के वर्तमान स्तर में कमी लाने, और खातों के फिसलकर गैर-निष्पादक आस्ति श्रेणी में जाने से बचाने तथा वसूली के उपयुक्त साधनों का समुचित इस्तेमाल करके गैर-निष्पादक आस्तियों से अधिकतम वसूली करने को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संविभाग, दोनों के दबावग्रस्त/चूककर्ता खातों की बैंक द्वारा सघन निगरानी की जा रही है और मामला दर मामला यथोचित वसूली-रणनीति अपनाई जा रही है। भारत सरकार के निदेशानुसार ₹3 करोड़ अथवा उससे अधिक के मूलधन बकाया वाले गैर-निष्पादक आस्ति वाले मामलों की समीक्षा के लिए निदेशक-मण्डल स्तर की वसूली समीक्षा समिति' भी गठित की गई है।

गैर-निष्पादक आस्ति खातों की निगरानी के लिए परिचालन कार्यालय में आन्तरिक चूक समीक्षा समिति (डीआरसी) स्थापित करने की पद्धति भी निगरानी का कारगर साधन सिद्ध हुई है। प्राप्य राशियों की वसूली तथा चिन्तास्पद और/अथवा गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत खातों के समाधान के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए विभिन्न परिचालन-कार्यालयों में चूक समीक्षा समितियों की नियमित बैठकें हुई।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्रत्यक्ष सहायता संविभाग के अन्तर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर (विवेकानुसार बड़े खाते डालने के बाद) यथा 31 मार्च 2014 ₹394 करोड़ रहा। आत्मावलोकन और जानकारी के आदान-प्रदान के उपाय के तौर पर बैंक ने फिसलकर गैर-निष्पादक आस्ति श्रेणी में पहुँचनेवाले नए खातों की समीक्षा के लिए भी एक प्रणाली विकसित की है, ताकि उपर्युक्त की

विफलता के कारणों को समझा और उनका विश्लेषण किया जा सके। नए एनपीए बनने के कारण मुख्यतया उधारकर्ताओं से सम्बन्धित थे, जैसे- प्रबन्धन की समस्याएँ, प्रबन्धन-दल की अनुभव-हीनता, श्रमिकों व मजदूरों की समस्याएँ, समय अधिक लग जाना, लागत बढ़ जाना आदि, तथा बाहरी कारण जैसे नीतियों में बदलाव, बिजली की समस्या, उद्योग में मन्दी, अर्थ-व्यवस्था में आम मन्दी, पर्याप्त कार्यशील पूँजी की कमी, बाजार-शक्तियों में प्रतिकूल परिवर्तन, आदि। कुछ मामले जान-बूझकर चूक करने/ दुर्विनियोजन/ निधियों के अपयोजन के भी रहे।

उधारकर्ताओं की तरलता सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने के लिए जहाँ जरूरी पाया गया वहाँ बैंक आवश्यक कार्रवाई कर रहा है, जिसमें (सीडीआर प्रणाली तथा सिडबी की योजना के अन्तर्गत) पुनर्संरचना के उपाय भी शामिल हैं। साथ ही, प्रत्यक्ष ऋण संविभाग के अन्तर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों से बैंक ने ₹157.83 करोड़ की वसूली भी की है, जिसमें से ₹36.91 करोड़ विवेकानुसार बड़े खाते डाले गए खाते से सम्बन्धित हैं, जिनकी वसूली की संभावना विरल अथवा शून्य थी।

अप्रत्यक्ष सहायता संविभाग (अल्प वित्त सहित) के मामले में गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर बढ़कर 31 मार्च 2014 को ₹732 करोड़ हो गया। राज्य वित्तीय निगमों की गैर-निष्पादक आस्तियों के सम्बन्ध में अपने हितों की सुरक्षा के लिए बैंक कई प्रकार के प्रयास कर रहा है, जिसमें सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत भी शामिल है।

बैंक के निवल बकाया के अनुपात ने निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ मार्च 2013 में 0.53% थीं। इनमें तुलनात्मक सुधार हुआ और वे मार्च 2014 के अन्त में 0.40% रहीं।

IV. समग्र परिचालन

यथा 31 मार्च 2014 बैंक का कुल एमएसएमई बकाया ऋण 9.3% बढ़कर ₹61,271 करोड़ हो गया, जबकि 2013 में यह 4.2% बढ़ा था (तालिका 2.1)। स्थापना से लेकर अब तक सिडबी ने एमएसएमई क्षेत्र को संचयी रूप से ₹3.37 लाख करोड़ का संवितरण किया है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र के 340 लाख व्यक्तियों/इकाइयों को लाभ पहुँचा है।

तालिका 2.1- समग्र परिचालन

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013		वित्तीय वर्ष 2014	
	संवितरण	बकाया राशि	संवितरण	बकाया राशि
अप्रत्यक्ष ऋण				
क. पुनर्वित्त	22,870	37,193	34,255	40,383
ख. अल्प ऋण	323	1,132	651	1,170
ग. अन्य	4,243	5,469	4,672	7,705
कुल अप्रत्यक्ष ऋण	27,435	43,794	39,578	49,258
प्रत्यक्ष ऋण				
क. प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत सावधि ऋण	1,557	8,021	3,215	9,144
ख. एमएसएमई प्राप्य बिल	11,528	4,244	9,398	2,869
कुल प्रत्यक्ष ऋण	13,085	12,265	12,613	12,013
सकल योग	40,520	56,060	52,191	61,271

नोट:- बकाया राशि के ये आंकड़े विवेकपूर्ण बड़े खाते डालने और गैर-निष्पादक अस्ति संबंधी प्रावधान करने के बाद के हैं।

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

अप्रत्यक्ष ऋण

सिडबी के सकल ऋण बकाया में अप्रत्यक्ष ऋण का हिस्सा 80% है। इसमें बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों को पुनर्वित्त सहायता, बैंकों को बिल पुनर्भुनाई सहायता, अल्प वित्त संस्थाओं को सहायता तथा विभिन्न संस्थाओं व एजेंसियों को संसाधन सहायता शामिल है। 31 मार्च 2014 को अप्रत्यक्ष ऋण-बकाया 12.5% बढ़कर ₹49,258 करोड़ हो गया, जबकि 2013 में इसमें केवल 3% की वृद्धि हुई थी (तालिका 2.1)।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र हेतु पुनर्वित्त योजना (आरएमएसई-V)

सिडबी की पुनर्वित्त क्षमता में और वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट के ज़रिए आवंटन को बढ़ाकर ₹5,000 करोड़ के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिवर्ष कर दिया। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एमएसई (पुनर्वित्त) निधि के अन्तर्गत सिडबी को ₹10,000 करोड़ की समूह निधि आवंटित की। आवंटित की गई ₹10,000 करोड़ की समूह निधि में से सिडबी ने ₹2,047 करोड़ बैंकों को संवितरित किए, ताकि वे आगे उधार दे सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह शर्त रखी कि सिडबी यह सुनिश्चित करे कि पुनर्वित्त केवल ऐसे मामलों में प्रदान किया जाए जहाँ बैंकों द्वारा अन्तिम उधारकर्ता से ली जानेवाली ब्याज-दर उपयुक्त हो, यानी पुनर्वित्त लेनेवाले बैंकों की आधार दर से अधिक न हो। सिडबी को यह भी सुनिश्चित करना था कि राज्य वित्तीय निगमों/अन्य द्वारा अन्तिम उधारकर्ताओं से प्रभारित ब्याज दर सिडबी द्वारा उनसे ली गई ब्याज-दर से दो प्रतिशत से अधिक न हो। चूंकि इन आवश्यकताओं की शर्तों के लिए पर्याप्त संख्या वाले मामले उपलब्ध नहीं थे, ₹10,000 करोड़ की समूह निधि का समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्ण उपयोग नहीं हो सका।

अल्प वित्त

सिडबी के अल्प वित्त प्रयासों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 तक स्वीकृत संचयी सहायता ₹9,308.01 करोड़ थी, जबकि कुल संचयी संवितरण ₹8,121.57 करोड़ रहा। इसमें ऋण, ईक्विटी एवं अर्ध-ईक्विटी शामिल हैं, किन्तु इण्डिया माइक्रोफायनेन्स ईक्विटी फण्ड (आईएफईएफ) तथा पुअरेस्ट स्टेट इन्क्लूसिव ग्रोथ (पीएसआईजी) शामिल नहीं है। बैंक के अल्प ऋण का बकाया संविभाग 31 मार्च 2014 को ₹1,924.00 करोड़ था। सिडबी से सहायता-प्राप्त और बैंक के बकाया ऋण वाली अल्प वित्त संस्थाओं की संख्या 31 मार्च 2014 को 84 थी। सिडबी के माध्यम से प्रदत्त सहायता से लगभग 326 लाख उपेक्षित लोगों को लाभ हुआ है, जिनमें से अधिकतर महिलाएँ हैं। सिडबी के अल्प वित्त सहायता सम्बन्धी परिचालन की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित तालिका 2.2 में दर्शाई गई है-

तालिका 2.2 : अल्प ऋण योजना तथा ईक्विटी/अर्ध ईक्विटी सहायता के अन्तर्गत सहायता

(₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2012-13		वित्तीय वर्ष 2013-14		संचयी
		संवितरण	बकाया	संवितरण	बकाया	संवितरण
1	अल्प वित्त संस्थाओं को सावधि ऋण	335.02	1,222.22	581.00	1,276.31	7,693.58
2	निजी वित्त संस्थाओं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 'छूट गए मध्य-घटक' सहायता	50.00	50.00	33.00	75.29	136.14
3	एमईएल-प्रत्यक्ष उधार	0.04	3.54	0.00	1.42	12.25
4	रूपान्तरण ऋण (टीएल)/ रूपान्तरण के लिए समूह-निधि सहायता	0.00	1.85	0.00	1.85	19.05

5	अधीनस्थ ऋण	0.00	100.00	0.00	100.00	175.00
6	ईक्विटी सहायता	0.00	86.48	0.00	84.89	85.55
7	विकल्पतः परिवर्तनीय संचयी अधिमान्य शेयर	0.00	287.63	0.00	275.04	0.00
8	अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमान्य शेयर	0.00	109.20	0.00	109.20	0.00
	योग	385.06	1,860.92	614.00	1,924.00	8,121.57

भारत अल्प-वित्त ईक्विटी निधि

केन्द्रीय बजट 2011-12 में की गई घोषणा के उपरान्त भारत अल्प-वित्त ईक्विटी निधि (आईएमईएफ) की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य अपेक्षाकृत छोटी अल्प वित्त संस्थाओं को ईक्विटी एवं अर्ध-ईक्विटी प्रदान करना था, ताकि उनकी वृद्धि बरकरार रखने, व्यवसाय की मात्रा बढ़ाने और उनके परिचालनों में दक्षता लाने में मदद की जा सके। 31 मार्च 2014 की समाप्ति पर आईएमईएफ के अन्तर्गत ₹92.25 करोड़ बकाया था (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3 आईएमईएफ परिचालन

(₹ करोड़)

योजना	वित्तीय वर्ष 2013		वित्तीय वर्ष 2014	
	संवितरण	बकाया	संवितरण	बकाया
अधीनस्थ ऋण	44.50	44.50	3.00	47.50
ईक्विटी	8.25	8.25	3.00	11.25
ओसीपीएस	20.50	20.50	13.00	33.50
योग	73.25	73.25	19.00	92.25

बैंक ने निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि कार्यक्रम (डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट) के अन्तर्गत भी सहायता प्रदान की। योजना की ऋण निधि के अन्तर्गत ₹71.29 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2013 में ₹11 करोड़) मंजूर किए गए, जिसमें से 31 मार्च 2014 तक ₹46.01 करोड़ का संवितरण कर दिया गया। यथा 31 मार्च 2014 इस योजना के अन्तर्गत ₹40.35 करोड़ बकाया था।

संस्थाओं को संसाधन सहायता

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में विस्तार करने तथा वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा एवं विविधता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूरतम स्थित एमएसएमई से भी सम्पर्क कायम करने के उद्देश्य से सिडबी ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करता रहा है, जो एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े हों। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ऐसी संस्थाओं को संसाधन सहायता के अन्तर्गत संवितरण एवं बकाया क्रमशः ₹1,200 करोड़ और ₹4,739.13 करोड़ रहा।

प्रत्यक्ष एमएसएमई ऋण

अपने नये व्यवसाय मॉडल के सुदृढीकरण के उपरान्त सिडबी ने अपने चुनिन्दा वित्तीयन को जोखिम पूँजी, प्राप्त वित्तपोषण, ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छतर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ वित्तपोषण और सेवा क्षेत्र वित्तीयन के क्षेत्रों में केन्द्रित किया। प्रत्यक्ष ऋण मुख्यतः अन्तराल वाले क्षेत्रों अथवा ऊपर उल्लिखित उद्योग समूहों अथवा चुनिन्दा क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। इस प्रकार सिडबी एमएसएमई की

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

विविधतापूर्ण ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में बैंकों के प्रयासों की पूर्ति और अनुपूर्ति करता है। चुनिन्दा वित्तीयन के अन्तर्गत बकाया में वित्तीय वर्ष 2013-14 में मामूली वृद्धि हुई। इसके मुख्य विवरण निम्नवत हैं-

- वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्त में जोखिम पूँजी के अन्तर्गत बकाया राशि ₹801 करोड़ रही।
- सिडबी जोखिम पूँजी निधि/निजी ईक्विटी निधियों को भी सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति के समय एमएसएमई आरसीएफ तथा आईओवीएफ के अन्तर्गत वीसी/पीई निधियों के प्रति ₹897 करोड़ की संचयी निवल वचनबद्धताएँ थीं।
- प्राप्य वित्त योजना के अन्तर्गत कुल बकाया संविभाग 31 मार्च 2014 को ₹2,869 करोड़ रहा (जबकि पिछले वर्ष के अन्त में यह ₹4,244 करोड़ रहा था)।
- सेवा क्षेत्र वित्तीयन (एसएसवी) के अन्तर्गत समग्र परिचालनों में 51% की वृद्धि दर्ज हुई। ये 31 मार्च 2013 को ₹1,452 करोड़ थे, जबकि 31 मार्च 2014 को ₹2,191 करोड़ हो गये।

गैर-निधि आधारित सुविधा

- परम्परागत बैंकिंग ढाँचे के अन्तर्गत प्रदान की जानेवाली सेवाओं के साथ-साथ, बैंक विभिन्न गैर-निधि आधारित सेवाएँ भी प्रदान करता है, जैसे साख पत्र (विदेशी और अन्तर्देशीय, दोनों), गारंटियाँ, मूल्यांकन, ऋण समूहन सम्बन्धी सेवाएँ आदि। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान गैर-निधि आधारित व्यवसाय का सारांश तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4 : गैर-निधि आधारित व्यवसाय

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012-13		वित्तीय वर्ष 2013-14	
	सं.	बकाया	सं.	बकाया
विदेशी साख-पत्र	69	62.19	76	272.62
अन्तर्देशीय साख-पत्र	11	2.45	1	1.66
गारण्टी योजना	107	52.90	226	50.55
योग	187	117.54	303	324.83

V. संसाधन प्रबन्धन

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सिडबी ने कुल ₹32,281.32 करोड़ के संसाधन जुटाए, जबकि वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹13,245.88 करोड़ जुटाए थे। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जुटाए गए संसाधनों के विवरण निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं-

तालिका 2.5 सिडबी द्वारा जुटाए गए संसाधन

(₹ करोड़)

	2012-13	2013-14
घरेलू उधार		
एमएसई (पुनर्वित्त) निधि	5,289.13	5,000.00
एमएसएमई (जोखिम पूँजी) निधि	500.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक पुनर्वित्त सुविधा	0.00	5,000.00
इण्डिया ऑपचुनिटीज वेंचर फण्ड	500.00	0.00
मियादी जमा	664.71	247.98

वाणिज्य-पत्र	2,058.48	16,877.65
सावधि ऋण	2,800.00	1,500.00
अप्रतिभूत बन्धपत्र	750.00	2,530.00
उप-योग	12,562.32	31,155.63
विदेशी मुद्रा उधार		
जाइका VIII #	404.49	208.79
केएफडब्ल्यू V @	70.79	198.95
केएफडब्ल्यू VI@	23.55	75.02
केएफडब्ल्यू VIII @	0.00	11.71
केएफडब्ल्यू IX @	0.00	15.77
विश्व बैंक II	7.77	108.69
विश्व बैंक III (आईबीआरडी का हिस्सा)	155.05	322.70
विश्व बैंक III (आईडीए का हिस्सा) ^	0.66	0.22
एएफडी *	0.00	77.55
एशियन डेवलपमेण्ट बैंक	0.00	81.23
डीएफआईडी, यूके से अनुदान **	18.96	22.20
केएफडब्ल्यू के अन्तर्गत अनुदान	0.88	0.72
विश्व बैंक के अन्तर्गत अनुदान	1.41	1.13
एशियन डेवलपमेण्ट बैंक से अनुदान	0.00	0.02
जीआईजेड से अनुदान	0.00	0.98
उप-योग	683.56	1,125.69
योग	13,245.88	32,281.32

जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी. @ क्रेडिटस्टान्सटाल्ट फर वीडरफबाउ, जर्मनी.

^ इंटरनेशनल डेवलपमेण्ट एसोसिएशन. * एजेन्सी फ्रांकाइस डि डेवलपमेण्ट, फ्रान्स.

** डिपार्टमेण्ट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेण्ट, यू.के.

द्रष्टव्य है कि सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में घरेलू स्रोतों से ₹31,156 करोड़ उधार लिए, जबकि पिछले वर्ष ₹12,562 करोड़ लिए थे। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अन्तरराष्ट्रीय स्रोतों से ₹1,126 करोड़ के समतुल्य राशि का उधार/अनुदान लिया गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹684 करोड़ रहा था। द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थाओं से प्राप्त उधार एवं अनुदान से इन विदेशी संस्थाओं से अच्छे सम्बन्धों का द्योतन होता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लि. (केयर) ने सिडबी के ₹3,000 करोड़ के मीयादी जमा कार्यक्रम वाले बकाया ऋण निर्गमों को केयर एएए' (ट्रिपल ए), तथा ₹6,000 करोड़ के सीपी/सीडी कार्यक्रम के लिए केयर ए1+' (ए वन प्लस) रेटिंग दी। इसी प्रकार बकाया बॉण्डों के सम्बन्ध ने क्रिसिल ने क्रिसिल एएए/स्टेबल' रेटिंग तथा मीयादी जमा कार्यक्रम के लिए एएएए/स्टेबल' रेटिंग कायम रखी। क्रिसिल/केयर द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त रेटिंगों का इस्तेमाल करते हुए सिडबी ने वर्ष के दौरान बॉण्डों के ज़रिए ₹2,530 करोड़ जुटाए। उपर्युक्त रेटिंगों वाली लिखतों को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता तथा नगण्य निवेश-जोखिम-युक्त माना जाता है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

सिडबी के अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और भी ऊँचाई तक ले जाने तथा इसे दो दशक से अधिक के परिचालनों से प्राप्त सीख व अनुभवों का आदान-प्रदान दुनिया के विभिन्न भू-भागों में करने के उद्देश्य से बैंक ने अन्तरराष्ट्रीय सहयोग वर्टिकल स्थापित किया है। वर्ष के दौरान इस वर्टिकल ने इथोपिया, बांग्लादेश तथा बहरीन के प्रतिनिधि-मण्डलों के साथ विचार-विनिमय किया। इन प्रतिनिधि-मण्डलों ने अपने-अपने देशों के एमएसएमई पारितन्त्र में सिडबी के सहयोग से सुधार लाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की।

जोखिम प्रबन्धन, ऋण-मूल्यांकन, निगरानी नीति तथा एनपीए प्रबन्धन और बहरीन डेवलपमेण्ट बैंक (बीडीबी) के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण एवं बहरीन के एमएसई के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए नीति विकसित करने में सहायता देने के उद्देश्य से बहरीन डेवलपमेण्ट बैंक (बीडीबी) समूह के साथ 19 फरवरी 2014 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रसंगवश, पाँच विषयगत क्षेत्रों में सहयोग के लिए सोशल फण्ड फॉर डेवलपमेण्ट (एसएफडी), इजिप्ट के साथ भी वित्तीय वर्ष 2013 में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। योजना को मूर्त रूप देने के लिए एसएफडी के एक प्रतिनिधि-मण्डल ने वर्ष के दौरान सिडबी का दौरा किया।



‘एम् एस एम् ई वित्तीयन – अवसर एवं चुनौतियाँ’ पर
सी.आई.आई. द्वारा सम्मेलन



**वित्तीय समावेशन एवं
दीर्घकालिक संवृद्धि**

वित्तीय समावेशन एवं दीर्घकालिक संवृद्धि

विभिन्न विनियामक दिशानिर्देशों को व्यवस्थित किए जाने के फलस्वरूप, अल्पवित्त क्षेत्र पुनर्जीवित हो उठा है। उपर्युक्त सुव्यवस्थित विनियामक दिशानिर्देशों ने इस क्षेत्र में अल्पवित्त संस्थाओं के परिचालन के लिए सुदृढ़ और स्पष्ट रूपरेखा सुनिश्चित कर दी है। इन दिशानिर्देशों ने अल्पवित्त संस्थाओं के ऋणदाताओं को दीर्घकालिक सक्षमता और विनियामक अनुपालन के संदर्भ में, अल्पवित्त संस्थाओं के कामकाज का मूल्यांकन करने का एक मंच प्रदान किया है। हाल की अवधि में अल्पवित्त क्षेत्र में हुए आशाजनक घटनाक्रम के फलस्वरूप अल्पवित्त संस्थाओं को मिलने वाली बैंक निधियों में वृद्धि हुई है।

अल्पवित्त क्षेत्र में कॉर्पोरेट अभिशासन अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, सिडबी लगातार उत्तरदायित्वपूर्ण अल्पवित्त प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है। इस पृष्ठभूमि में, अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, सिडबी ने मुख्य-मुख्य अल्पवित्त संस्थाओं का एक ऋणदाता मंच गठित किया है, ताकि पूरे क्षेत्र में, अल्पवित्त संस्थाओं को सहायता दिए जाने के लिए उनके बीच परस्पर सहयोग को बढ़ावा मिल सके। अल्पवित्त संस्थाओं के सभी प्रमुख ऋणदाता साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं, ताकि एकसमान ऋण-प्रसंविदाओं के माध्यम से अल्पवित्त संस्थाओं में उत्तरदायित्वपूर्ण ऋण-प्रदायगी पद्धतियाँ लागू की जा सकें। बैंक इस बात के लिए भी सहमत हुए हैं कि वे अपनी सहायता-प्राप्त अल्पवित्त संस्थाओं की कार्यक्षेत्र स्तर की पद्धतियों, जैसे केवाईसी मानकों का अनुपालन, आदि की कड़ी जाँच और लगातार निगरानी करेंगे। सिडबी के प्रयासों के फलस्वरूप, ऋणदाता मंच के क्षेत्रीय चैंप्टर स्थापित किए गए हैं, ताकि ऋणदाताओं के बीच बेहतर तालमेल और अल्पवित्त संस्थाओं के साथ अधिक घनिष्ठतापूर्वक विचार-विमर्श हो सके। अब तक सिडबी ने इस मंच की 8 बैठकें आयोजित की हैं।

सिडबी ने, भारत में अल्पवित्त के उद्योग संघों, अर्थात् एमफिन तथा सा-धन के साथ मिलकर, देश की अल्पवित्त संस्थाओं के लिए एकीकृत आचार संहिता स्थापित की है। यह आचार-संहिता, अल्पवित्त संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य करती है कि वे निम्न आयवर्ग के ग्राहकों को ऐसी वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराएँ, जो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करती हों तथा उनकी सुपुर्दगी ऐसे तरीकों से हो, जो नैतिक, पारदर्शी तथा सूचनाओं की निजता का अधिकार सुनिश्चित करते हुए ग्राहक की गरिमा का सम्मान करते हों। आशा है कि इस संहिता से अल्पवित्त संस्थाओं में हितधारकों का विश्वास फिर से बहाल होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र को अति आवश्यक प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

सिडबी आचार-संहिता मूल्यांकन साधन (कोका) के विकास में शामिल रहा है, जो ऋण सेवाएँ उपलब्ध कराने, ऋण की वसूली, आदि के लिए अल्पवित्त संस्थाओं हेतु लागू है, ताकि अल्पवित्त संस्थाएँ उस अल्पवित्त आचार संहिता के स्वैच्छिक अनुपालन की सीमा का मूल्यांकन कर सकें, जिसे उन्होंने तैयार किया है। साथ ही, बैंक ने पाँच सूचीबद्ध एजेन्सियों से आचार-संहिता का मूल्यांकन करवाने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये एजेन्सियाँ हैं – एक्सेस एसिस्ट, इक्रा मैनेजमेंट कन्सल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड, माइक्रो क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनल लिमिटेड, प्राइम एम2आई कन्सल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड तथा एसएमई रेटिंग एजेन्सी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बैंक इन एजेन्सियों से आचार-संहिता का मूल्यांकन करवाने की लागत की 75% राशि की प्रतिपूर्ति करता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1,50,000/- है। अब तक कुल 61 मूल्यांकन किए गए हैं और 56 अल्पवित्त संस्थाओं की रिपोर्टें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई हैं। इस क्षेत्र के लिए उपर्युक्त मूल्यांकन प्रक्रिया के अधिकाधिक महत्त्व को देखते हुए, बैंक ने 16 अल्पवित्त संस्थाओं के लिए आचार-संहिता के मूल्यांकन कार्य का दूसरा दौर शुरू किया है, जिसमें 8 ऐसी अल्पवित्त संस्थाओं का दोबारा मूल्यांकन भी शामिल है, जिनका पहले दौर में उपर्युक्त एजेन्सियों के माध्यम से आचार-संहिता मूल्यांकन किया गया था।

विश्व बैंक की ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत, अपनी उत्तरदायित्वपूर्ण उधार गतिविधियों के हिस्से के रूप में, सिडबी ने माइक्रोफाइनेन्स प्लैटफॉर्म, मिक्स द्वारा विकसित इंडिया माइक्रोफाइनेन्स प्लैटफॉर्म (आईएमएफपी) के लिए सहयोग किया है, ताकि भारतीय अल्पवित्त संस्थाओं के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय एवं परिचालनगत सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा सकें और उनका प्रसार किया जा सके। यह एक वैश्विक, वेब-आधारित, अल्पवित्त संबंधी सूचनाओं का मंच है, जिसे मिक्स मार्केट ने भारत के लिए विशेष रूप से तैयार किया है। अल्पवित्त संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे एक मानकीकृत प्रारूप में निश्चित अंतरालों पर अपने वित्तीय एवं परिचालन संबंधी आँकड़े प्रस्तुत करें, ताकि सरलता से उच्च श्रेणी की पारदर्शिता / प्रकटीकरण संभव हो सके। यह परियोजना भारतीय अल्पवित्त संस्थाओं से संबंधित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आँकड़ों की गहनता और व्यापकता का विस्तार करने के लिए है। आईएमएफपी परियोजना के कारण रिपोर्टिंग अल्पवित्त संस्थाओं की संख्या बढ़ी है और फलतः भारतीय अल्पवित्त क्षेत्र से संबंधित संकलित आँकड़ों में वृद्धि हुई है और साथ ही सूक्ष्मतर, जिला-स्तरीय आँकड़े विकसित हुए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अल्पसेवित राज्यों में प्रयास

अल्पवित्त क्षेत्र में असंतुलित क्षेत्रीय संवृद्धि को पहचानते हुए तथा अपने अल्पवित्त परिचालनों को व्यापक बनाने एवं उनकी पहुँच का विस्तार करने के उद्देश्य से, बैंक सतत रूप से कई ऐसे अतिसक्रिय कदम उठा रहा है, जिनसे अब तक अल्पसेवित इलाकों, जैसे- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आदि राज्यों को मिलने वाली सहायता में वृद्धि हो। इन कदमों में स्थानीय अल्पवित्त संस्थाओं का विकास और साथ ही दक्षिणी राज्यों की बड़ी अल्पवित्त संस्थाओं की पहुँच का अल्पसेवित इलाकों तक विस्तार करना, दीर्घकालिक साझेदार बनने की संभावनाएँ रखने वाली उपयुक्त अल्पवित्त संस्थाओं की पहचान करने के लिए अपने प्रयास तेज़ करना और अल्पवित्त संस्थाओं को उनकी आवश्यकता के आधार पर क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है।

यथा 31 मार्च, 2014 को, उन सभी 84 अल्पवित्त संस्थाओं के परिचालन का एक बड़ा भाग पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के अल्पसेवित राज्यों/क्षेत्रों में था, जिनके पास सिडबी से प्राप्त ऋण बकाया थे।

संविभाग जोखिम निधि

भारत सरकार ने संविभाग जोखिम निधि (पीआरएफ) योजना के अंतर्गत ₹150 करोड़ की सहायता की प्रतिबद्धता की है। बैंक उक्त निधि का उपयोग अल्प ऋण योजना के अंतर्गत अल्पवित्त संस्थाओं से अपेक्षित प्रतिभूति सुरक्षा के प्रति सावधि ऋण के 7.5% हिस्से (सामान्य 10% की अपेक्षा के स्थान पर) की पूर्ति के लिए कर रहा है। यह योजना मूलतः समग्र देश के लिए लागू की गई थी, किंतु अब इसे 01 जुलाई, 2008 से अल्पसेवित राज्यों और अन्य राज्यों के अल्पसेवित इलाकों / जिलों के लिए (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं पर विशेष बल के साथ) लागू किया गया है। संविभाग जोखिम निधि की समूह-निधि वित्त वर्ष 2007 से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध थी तथा इसका लक्ष्य देश भर में 50 लाख लाभार्थियों को इसमें शामिल करना था।

संचयी रूप से, यथा 31 मार्च, 2014 को, संविभाग जोखिम निधि के अंतर्गत पात्र अल्पवित्त संस्थाओं को संवितरित ऋण ₹2,059.16 करोड़ रहा तथा संविभाग जोखिम निधि में से ₹154.44 करोड़ की राशि (पात्र ऋण संवितरण की 7.5% राशि) का उपयोग किया गया। 31 मार्च, 2014 तक, भारत सरकार ने ₹32.92 करोड़ की ब्याज राशि जमा करने के साथ-साथ, संविभाग जोखिम निधि के अंतर्गत ₹116.10 करोड़ की राशि जारी की है। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने सिडबी को ₹57.72 करोड़ रुपये की उस राशि का पुनः उपयोग करने की अनुमति दी है, जो विगत में संविभाग जोखिम निधि के अंतर्गत दिए गए ऋणों की पूर्ण चुकौती में से उपलब्ध हुई है।

भारत अल्पवित्त ईक्विटी निधि

भारत सरकार ने 2011-12 के केन्द्रीय बजट में ₹100 करोड़ समूह-निधि के साथ भारत अल्पवित्त ईक्विटी निधि की स्थापना की घोषणा की, जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। इस निधि का उद्देश्य, लघुतर अल्पवित्त संस्थाओं को ईक्विटी तथा अर्द्ध-ईक्विटी प्रदान करना है, ताकि उन्हें अपने परिचालनों में वृद्धि बनाए रखने तथा उन्हें बड़े पैमाने पर ले जाने और उनमें दक्षता प्राप्त करने में मदद मिल सके। तत्पश्चात, वित्तवर्ष 2013-14 के बजट में, वित्तमंत्री ने लक्ष्यगत अल्पवित्त संस्थाओं के निधीयन के लिए ₹200 करोड़ की अतिरिक्त राशि की घोषणा की।

मार्च, 2014 की समाप्ति तक, बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 45 अल्पवित्त संस्थाओं को ₹126.75 करोड़ की राशि की प्रतिबद्धता दी है। वर्तमान में, भारत अल्पवित्त ईक्विटी निधि के अंतर्गत सहायताप्राप्त अल्पवित्त संस्थाओं को संवितरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। जैसे ही अल्पवित्त संस्थाएँ आवश्यक औपचारिकताएँ, दस्तावेज़ीकरण तथा संवितरण-पूर्व /निवेश-पूर्व शर्तों का अनुपालन पूरा करेंगी, वैसे ही संवितरण का कार्य संपन्न किया जाएगा। 31 मार्च, 2014 तक उक्त प्रतिबद्ध राशि में से ₹92.25 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।



ई डी आई का 14वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

- बैंक ने भारत में अल्पवित्त संस्थाओं के माध्यम से निर्धनों, विशेषकर महिलाओं की वित्त तक पहुँच बेहतर बनाने के लिए 850 लाख यूरो की ऋण सहायता और 16.9 लाख यूरो के वित्तीय योगदान हेतु क्रेडिटांस्टाल्ट फ़र वीडरॉफ़बाउ (के एफ़ डब्ल्यू के), जर्मनी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए।
- बैंक ने 500 लाख अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ करार किया है। यह करार सिडबी को दीर्घावधि निधियाँ उपलब्ध कराएगा, जिनसे सिडबी विशिष्ट वित्तपोषण कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण छूटे हुए मध्यवर्ती उद्यमों को सहायता प्रदान करेगा। इस परियोजना के अधीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल किए गए हैं तथा इसका लक्ष्य चयनित राज्यों में निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता एवं अन्य सहायक उपाय स्थापित करना है।
- अल्प ऋण संविभाग में वृद्धि करने के प्रयोजन से, सिडबी ने विश्व बैंक से 3,000 लाख अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए संविदा की है, जिसमें इंटरनेशनल बैंक फ़ॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से 2,000 लाख अमेरिकी डॉलर तथा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) से 1,000 लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य एसडीआर शामिल है। दीर्घकालिक तथा उत्तरदायी अल्प वित्त में वृद्धि नामक इस परियोजना का उद्देश्य अन्य के साथ-साथ, नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों की शुरुआत कर एवं पारदर्शिता व उत्तरदायित्व पूर्ण वित्तपोषण को बढ़ावा देकर, विशेषकर देश के अल्पसेवित क्षेत्रों के ग्राहकों को दीर्घकालिक अल्पवित्त सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि करना है।
- बैंक ने भारत में एमएसएमई क्षेत्र के 'छूटे हुए मध्य घटकों' (₹50,000 से ₹10 लाख तक का ऋण) को सहायता दिए जाने के लिए 1,000 लाख यूरो की ऋण सहायता और 5 लाख यूरो के वित्तीय योगदान के लिए क्रेडिटांस्टाल्ट फ़र वीडरॉफ़बाउ (केएफ़डब्ल्यू), जर्मनी के साथ एक अन्य करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

संवर्द्धन एवं विकासपरक गतिविधियाँ

सिडबी ने अपने नए व्यवसाय मॉडल के हिस्से के रूप में, 'ऋण से अधिक' दृष्टिकोण अपनाया है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विभिन्न संवर्द्धनशील एवं विकासपरक सहयोग उपलब्ध कराएँ हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की क्षमता का निर्माण करना है। बैंक की विभिन्न संवर्द्धनशील एवं विकासपरक गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है :

- ऋण परामर्श केंद्र :** ऋण प्राप्त करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए सिडबी ने ऋण सलाह केन्द्र स्थापित किए हैं जो वाणिज्य बैंकों की योजनाओं, सरकारी सब्सिडियों/लाभों की उपलब्धता के बारे में नए/मौजूदा उद्यमियों का मार्गदर्शन करते हैं, उधारकर्ताओं को ऋण-परामर्श देते हैं, बैंकों द्वारा की गई पूछताछ का उत्तर देते हैं। ये ऋण सलाह केन्द्र उद्योग संघों की साझेदारी में देश भर के 306 क्लस्टरों में कार्यरत हैं। कवर किए जा रहे क्लस्टरों की संख्या कालान्तर में बढ़ाई जाएगी। ऋण सलाह केन्द्रों में बैठने के लिए सिडबी ने ज्ञान सहभागियों की नियुक्ति की है, जो सेवा-निवृत्त बैंक अधिकारी हैं और इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त हैं। अभी तक ऋण सलाह केन्द्रों से 8,200 से अधिक एमएसएमई लाभान्वित हो चुके हैं।
- ऋण समूहन सेवाएँ :** सिडबी ने ऋण समूहन सेवाएं इस उद्देश्य से आरम्भ की हैं कि बैंकों, रेटिंग एजेंसियों तथा मान्यता-प्राप्त परामर्शदाताओं की भागीदारी से एक पारितंत्र स्थापित किया जाए, ताकि सहायतार्थ विचार के लिए बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं में प्रस्तुत किए जाने के उद्देश्य से संपूर्ण, रेटिंगयुक्त और वैधीकृत प्रस्ताव तैयार करके एमएसएमई को समय से पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान ऋण समूहन सेवाएं ने सिडबी तथा समझौता ज्ञापन वाले बैंकों को अब तक 160 से अधिक प्रस्ताव प्रेषित किए।
- युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन - स्मालबी.इन :** सिडबी ने www.smallB.in वेबसाइट प्रारंभ की है, जो की संभावित/उदीयमान और यहाँ तक कि वर्तमान उद्यमियों के लिए भी एक सत्याभासी मॉटर तथा सहायक मंच है, ताकि नई इकाइयाँ स्थापित हो सकें और मौजूदा इकाइयों का विकास हो सके। यह वेबसाइट काफी व्यापक है, जिसमें विभिन्न आयाम समाविष्ट हैं, जैसे- व्यवसाय के अवसरों के लिए मार्गदर्शन, व्यावसायिक संगठनों के विभिन्न रूपों, विधि की बुनियादी बातों को समझना, व्यवसाय-योजना तैयार करना, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को समझना, नीतियों व विनियमों, केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध योजनाओं एवं प्रोत्साहनों को जानना आदि। इस प्रकार यह वेबसाइट संभावित युवा उदीयमान उद्यमियों/ व्यक्तियों को अपने व्यवसाय आरम्भ करने में आ रही हिचक को दूर करती है और रोजगार-प्राप्ति के वैकल्पिक साधन के रूप में उद्यमिता को बढ़ावा देती है।

- iv. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / शहरी सहकारी बैंकों / जिला सहकारी बैंकों का क्षमता निर्माण :** ग्रामीण / अर्द्ध-शहरी एवं दूरदराज के इलाकों से समीपता और उनमें उपस्थिति के कारण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिडबी ने इन संस्थाओं को उनकी क्षमता के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराना शुरू किया है, ताकि सूक्ष्म उद्यमों को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध हो सके। अब तक 4 सुग्राहिता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 27 क्षे.ग्रा.बैंकों और 10 श.स.बैंकों को शामिल किया गया। कार्यक्रम में दिखाई गई रुचि के आधार पर, 27 क्षे.ग्रा.बैंकों और 10 श.स.बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कुछ बैंकों में प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों के विस्तृत विश्लेषण के बाद, एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर, उसका प्रायोगिक परीक्षण किया गया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर, “प्रशिक्षक प्रशिक्षण” कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनसे 40 क्षे.ग्रा.बैंकों / श.स.बैंकों के लगभग 350 अधिकारी लाभान्वित हुए।
- v. **ग्रामीण उद्योगीकरण :** सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम का लक्ष्य अर्द्ध-शहरी / ग्रामीण भारत में व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना है, ताकि इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन किया जा सके और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यक्रम के अधीन चयनित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विस्तृत उद्यम सहयोग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। यह कार्यक्रम सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए, उद्यमियों की पहचान करने, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनका मार्गदर्शन करने में मदद करता है। यथा 31 मार्च, 2014 तक, सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम 24 राज्यों के 121 जिलों में कार्यान्वित किया गया है। चालू वर्ष के दौरान 1000 उद्यमों सहित, संचयी रूप में, लगभग 41,000 उद्यम संवर्द्धित किए गए हैं।
- vi. **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई डी पी) :** बैंक विशेष रूप से दूर-दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति जैसे समाज के कम विशेषाधिकार-प्राप्त वर्गों में सबल उद्यमियों की श्रेणी (कैंडर) तैयार करने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम स्वरोजगार उद्यमों के संवर्द्धन के साथ-साथ, बड़ी संख्या में उद्यमी तैयार करने और उन्हें विकसित करने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है। बैंक ने आरंभ से 31 मार्च, 2014 तक, विभिन्न लक्ष्य-समूहों के लिए कुल 3028 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की है, जिनसे 75,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए। बैंक से सहायताप्राप्त उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता दर 50% से 55% के बीच रही है। संचयी रूप में, लगभग 38,000 प्रतिभागियों ने इस क्षेत्र में या तो अपनी इकाइयाँ स्थापित की हैं या लाभप्रद रोजगार प्राप्त किया है।
- vii. **कौशल विकास :** एमएसएमई उद्यमियों की तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से, बैंक प्रतिष्ठित प्रबंध/प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता प्रदान करता है, ताकि वे कतिपय संरचित प्रबंध/कौशल विकास कार्यक्रम, जैसे-कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम (स्टुप) तथा लघु उद्योग प्रबंध सहायक कार्यक्रम (सिमैप) संचालित कर सकें। बैंक ने आरंभ से 31 मार्च, 2014 तक, 1532 स्टुप तथा 300 सिमैप कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की, जिनसे 41,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए।
- viii. **उद्यम-समूहों का विकास :** सिडबी ने पूरे भारत में विभिन्न उद्यम-समूहों के लिए 85 से अधिक उद्यम-समूह विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की है। पिछले कुछ वर्षों में बैंक के उद्यम-समूह विकास कार्यक्रम में जो द्रष्टव्य परिवर्तन हुआ है, वह मूल रूप से प्रौद्योगिकी-उन्मुख कार्यक्रम के स्थान पर अधिक विस्तृत उद्यम-समूह दृष्टिकोण का अपनाया जाना है, जिसमें प्रबंधकीय पद्धतियाँ, बाज़ार संबंधी व्यवस्थाओं की स्थापना, उत्पाद / डिज़ाइन विकास, विभिन्न तकनीकी व्यापारों में कौशल उन्नयन, आदि शामिल हैं।
- ix. **अल्पसंख्यक वर्गों का विकास :** सच्वर समिति की सिफारिशों के अनुरूप, शाखा कार्यालयों को सूचित किया गया है कि विभिन्न संवर्द्धनशील एवं विकासपरक गतिविधियों के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों से अधिकतम संख्या में प्रतिभागी शामिल किए जाएँ। बिहार के किशनगंज ज़िले में सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम क्रियान्वयनाधीन है, जिसे सरकार ने अल्पसंख्यक केंद्रित ज़िला अधिसूचित किया है। इस ज़िले में वर्ष के दौरान लगभग 160 इकाइयाँ स्थापित की गईं। संचयी रूप से, विभिन्न विकासपरक गतिविधियों से अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 6,200 व्यक्ति प्रत्यक्षतः लाभान्वित हुए हैं।
- x. **नवोन्मेष और संपोषण को बढ़ावा :** देश भर में ज़मीनी स्तर की नवोन्मेषी गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें वाणिज्यिक स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से, सिडबी ने 10 वर्ष की अवधि के लिए अत्यंत लघु उद्यम नवोन्मेष निधि स्थापित करने के लिए 2003 में राष्ट्रीय नवोन्मेष कोष, अहमदाबाद को समूह-निधि के रूप में ₹400 लाख तथा प्रशासनिक अनुदान के रूप में ₹100 लाख की सहायता दी है। उक्त निधि ने 31 मार्च, 2014 तक 194 नवोन्मेष के लिए सहायता दी है।

इसके अलावा, सफल उद्यमियों को बढ़ावा देने तथा लघु उद्यमों के ज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में उद्योग विकसित करने की दृष्टि से, बैंक ने 2002 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में सिडबी नवोन्मेष एवं संपोषण केंद्र की स्थापना के लिए सहायता दी थी। सिडबी नवोन्मेष एवं संपोषण केंद्र ने अब तक नवीनतम प्रौद्योगिकियों वाले विभिन्न क्षेत्रों में 48 नवारांभ उद्यमों का संवर्द्धन किया है, जिनमें से 22 उद्यम सफलतापूर्वक निकल चुके हैं। इस केंद्र को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2011 के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी व्यवसाय संवर्द्धक पुरस्कार प्रदान किया है।

xi. निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि (पीएसआईजी)

सिडबी निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है। यह सात वर्षीय कार्यक्रम है और इसका लक्ष्य निम्न आय वाले 4 राज्यों (बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) में निर्धन महिलाओं एवं पुरुषों के लिए आय तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। यह लक्ष्य उन्हें व्यापक आर्थिक संवृद्धि में भागीदारी करने और उसका लाभ उठाने में सक्षम बनाकर प्राप्त किया जाएगा। वर्ष के दौरान, कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ चलाई गईं :

- तरलता निधि की स्थापना (लगभग ₹100 करोड़), ताकि अल्पवित्त क्षेत्र में तरलता (चलनिधि) में सुधार हो और साथ ही प्रत्यक्ष प्रभाव पैदा कर बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा सके कि वे अल्पवित्त संस्थाओं को अधिक उधार दें। इस निधि के अंतर्गत, उन राज्यों के लिए अल्पवित्त संस्थाओं को दिए जाने वाले उधार के प्रति संस्थाओं को जोखिम सुरक्षा दी जाती है, जिनमें निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि कार्यक्रम चलाया जा रहा है और साथ ही आगे उधार देने के लिए लघुतर अल्पवित्त संस्थाओं को प्रत्यक्षतः ऋण निधियाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, इस निधि के अंतर्गत मध्यम एवं बड़ी अल्पवित्त संस्थाओं को निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि कार्यक्रम वाले राज्यों में शाखातंत्र का विस्तार करने, परिचालन लागत कम करने के लिए वित्तीय सेवाओं के वितरण के लिए प्रौद्योगिकी आधारित मॉडल अपनाने, नए और नवोन्मेषी उत्पादों का प्रायोगिक परीक्षण करने व उन्हें क्रियान्वित करने तथा अन्य वित्तीय सेवाओं (जैसे अत्यल्प पेन्शन, बीमा, आदि) का विस्तार करने जैसे कार्यों के लिए सुलभ ऋण दिया जाता है।
- निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि कार्यक्रम वाले राज्यों में परिचालनरत अल्पवित्त संस्थाओं को क्षमता निर्माण के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराना।
- विभिन्न गतिविधियों के लिए समग्रतः रणनीतिक दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अल्पवित्त /विकास कार्यों से जुड़े सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों की राष्ट्रीय चिंतन पीठ की स्थापना।
- अल्पवित्त संस्थाओं के प्रमुख नेटवर्क “सा-धन” को सहायता देना, ताकि वह अल्पवित्त संस्था नेटवर्क (एमएफआईएन) के साथ मिलकर, हितधारकों, जैसे राज्य सरकार, बैंक, आदि से संवाद करते हुए, अल्पवित्त क्षेत्र की साख पुनर्स्थापित करने के लिए समन्वित क्षेत्रीय पहल करे।
- बिहार में सफलता के महत्वपूर्ण कारक पहचानने के लिए, सुपुर्दगी ढाँचे, लागत-किफायत एवं व्यवहार्यता, परिचालन-स्तर और दक्षता, आदि के बारे में अग्रणी बैंकिंग संवाहक मॉडलों का अध्ययन कराना।

xii. पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु सिडबी की सहायता

बैंक अल्पवित्त, ग्रामीण उद्योगीकरण, हस्त-शिल्प समूह विकास, उद्यमिता विकास, विपणन सहायता, आदि के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष एवं केंद्रित रूप से ध्यान देता है। इस संबंध में, प्रमुख गतिविधियों का विवरण निम्नवत है :

- बैंक के सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक 23 जिलों को शामिल किया जा चुका है, जिसमें वित्त वर्ष 2013-14 में असम के सोनितपुर जिले के लिए मंजूर 1 सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम भी समाहित है। इन सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रमों के अधीन अब तक संचयी रूप से 2,400 इकाइयों का संवर्द्धन किया गया है।
- बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में 43 उद्यम-समूह विकास कार्यक्रमों को सहायता दी है, जिनमें बाँस चटाई की बुनाई, कार्पेट बुनाई, हस्तशिल्प, हथकरघा बुनाई, पॉटरी, मधुमक्खी पालन, मछलियों के लिए खाद्य उत्पाद बनाना, आदि गतिविधियाँ शामिल हैं। इन उद्यम-समूह विकास प्रयासों से लगभग 6,400 कारीगर लाभान्वित हुए हैं।
- बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 339 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिनसे 15,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। बैंक ने अब तक लगभग 132 कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम (स्टुप) /कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनसे समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,500 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं।
- उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी) के साथ मार्च 2012 में एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था, जिसका लक्ष्य सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम वित्त, अल्पवित्त सहित विभिन्न वित्तीय एवं विकासपरक सेवाएँ उपलब्ध कराना एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में विविध संवर्द्धनशील एवं विकासपरक गतिविधियाँ संचालित करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत, शिलांग (मेघालय), सिलचर (असम), आइजॉल (मिजोरम), गंगटोक (सिक्किम), अगरतला (त्रिपुरा), कोहिमा (नागालैंड), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) एवं इंफाल (मणिपुर) में कुल 8 ऋण परामर्श केंद्र /व्यवसाय सुगमता केंद्र खोले गए हैं।



सिडबी की सहायता का प्रभाव

सिडबी की सहायता का प्रभाव

सिडबी एक शीर्ष संस्था होने के नाते, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (सूलम) उद्यमों तक पहुँच बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (सूलम) उद्यमों को वित्तीय एवं विकासात्मक सहायता सेवाएं प्रदान करके अतिसक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसके आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक प्रभाव इस प्रकार से हैं :

आर्थिक प्रभाव

- मार्च, 2014 की समाप्ति तक, सिडबी की विशिष्ट योजनाओं जैसे- जोखिम पूँजी, टिकाऊ वित्त, ऊर्जा दक्षता तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण, प्राप्य वित्त योजना को शामिल करते हुए, अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष वित्त, दोनों तरह की योजनाओं के अंतर्गत लगभग 340 लाख व्यक्तियों/इकाइयों को कुल ₹3.37 लाख करोड़ का संचयी संवितरण प्रदान किया जा चुका है।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास लाने के लिए, सिडबी द्वारा अपेक्षाकृत रूप से अल्प विकसित औद्योगिक राज्यों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। पिछले वर्षों के दौरान, अल्प सेवित राज्यों में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रवाह में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, प्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत कुल ₹12,613 करोड़ का संवितरण हुआ। प्रत्यक्ष वित्त योजना में एक महत्वपूर्ण प्रगति यह हुई कि औद्योगिक रूप से अल्प विकसित राज्यों में उच्च ऋण प्रवाह रहा, जैसे- छत्तीसगढ़ (177%), हिमाचल प्रदेश (327%), उत्तर प्रदेश (131%), उत्तराखंड (265%), राजस्थान (8%) तथा उड़ीसा (13%)। औद्योगिक रूप से कम विकसित राज्यों में प्रत्यक्ष सहायता में अभिवृद्धि पिछले कई वर्षों के दौरान लगातार जारी है। वित्तीय वर्ष 2005-14 के दौरान इनमें से अधिकतर राज्यों में वित्तीय सहायता कई गुना बढ़ी है। इनमें वित्तीय वर्ष 2005-14 के दौरान, उड़ीसा (31 गुना वृद्धि), छत्तीसगढ़ (12.8), राजस्थान (5.7), उत्तराखंड (5.3), मध्य प्रदेश (4.9), झारखंड (4.4), उत्तर प्रदेश (4), पश्चिम बंगाल (11.9) आदि शामिल हैं।
- इसी प्रकार अप्रत्यक्ष वित्त के मामले में भी, अल्प विकसित राज्यों तथा जिलों में ऋण-प्रवाह में वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय विकास में होने वाले असंतुलन को नियंत्रित करने में भी इसका योगदान रहा है।
- साथ ही, सिडबी की अल्प वित्त सहायता मुख्यतः ग्रामीण भागों में है जिसमें असेवित एवं अल्पसेवित राज्यों पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है। संविभाग जोखिम निधि, भारत अल्पवित्त ईक्विटी निधि, निर्धनतम राज्य समावेशी संविकास कार्यक्रम, आदि का लक्ष्य इन असेवित/अल्पसेवित राज्यों में ऋण-प्रवाह को बढ़ाना है। सिडबी द्वारा अपनी तकनीकी सहायता एवं संवर्द्धनात्मक उपायों के माध्यम से इन अल्पसेवित क्षेत्रों तथा आर्थिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों/राज्यों में अल्प-वित्त योजनाओं/सहायता की पहुँच को सुधारने का कार्य किया जा रहा है।
- बैंक पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करने के लिए भी अल्प-वित्त सहायता, ग्रामीण औद्योगीकरण, हस्तकला के विकास, समूह विकास, उद्यमिता विकास, मार्केटिंग सहायता आदि के माध्यम से विशेष एवं केन्द्रित रूप से ध्यान दे रहा है।
- बैंक ने अपने सूक्ष्म उद्यम संवर्धन कार्यक्रम (एमईपीपी) के माध्यम से, मार्च 2014 की समाप्ति तक संचयी रूप से लगभग 41,000 उद्यमों का संवर्धन किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, अब तक 23 जिलों को इसमें शामिल कर लिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन सूक्ष्म उद्यम संवर्धन कार्यक्रमों (एमईपीपी) के परिणामस्वरूप अब तक संचयी रूप से लगभग 2,425 ग्रामीण उद्यमों का संवर्द्धन किया जा चुका है।
- अपनी प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के अंतर्गत सिडबी सहायता का आधारभूत लक्ष्य, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में आने वाले ऋण अंतरालों की अनुपूर्ति/परिपूर्ति करना है।
- बैंक द्वारा अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2014 तक विभिन्न लक्ष्य समूहों को सहायता-प्रदत्त उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) की कुल संख्या 3,028 थी, जिसमें 75,000 से अधिक प्रतिभागियों ने लाभ प्राप्त किया।
- संचयी रूप से, लगभग 38,000 प्रतिभागी या तो अपनी स्वयं की इकाइयां स्थापित कर चुके हैं या इस क्षेत्र में लाभपूर्ण रोज़गार प्राप्त कर चुके हैं। अपनी स्थापना से लेकर बैंक द्वारा अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 339 से अधिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 15,000 से अधिक प्रतिभागी लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

- अपनी स्थापना के बाद से यथा 31 मार्च, 2014, बैंक द्वारा सहायताप्रदत्त कौशल-सह-प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (एसटीयूपी) तथा लघु उद्योग प्रबंधन कार्यक्रमों (एसआईएमएपी) की कुल संख्या क्रमशः 1,532 और 300 थी, जिसमें 41,000 से अधिक प्रतिभागियों ने लाभ प्राप्त किया। इन कार्यक्रमों ने काफी बड़ी संख्या में उच्च संभावनाओं वाले युवा उद्यमियों को लाभान्वित किया तथा उनमें से अधिकतर प्रतिभागियों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (सूलम) क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ कर दिया है।
- सिडबी द्वारा पूरे भारतवर्ष में स्थित विभिन्न उद्योग समूहों में 85 से अधिक समूह विकास कार्यक्रमों (सीडीपी) को सहायता प्रदान की गई। इन समूह विकास पहल कार्यक्रमों से लगभग 6,400 कारीगर लाभान्वित हुए।

पर्यावरणीय प्रभाव

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (सूलम) उद्यम क्षेत्र के पर्यावरण-अनुकूल विकास की आवश्यकता को पहचानते हुए, सिडबी की कारोबारी रणनीति सूलम क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता (ईई) तथा स्वच्छेतर उत्पादन (सीपी) को बढ़ावा देने की रही है। सिडबी के इन टिकाऊ प्रयासों का प्रभाव नीचे वर्णित है :

- 31 मार्च, 2014 तक, ऊर्जा दक्षता (ईई) तथा स्वच्छेतर उत्पादन (सीपी) के लिए 6,600 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (सूलम) उद्यमों को लगभग ₹4,800 करोड़ का संवितरण किया जा चुका है, जिसके परिणामस्वरूप 920 मिलियन किलो वॉट घंटे (MkWh) की विद्युत की बचत हुई तथा कार्बनडाई ऑक्साइड (CO₂) के उत्सर्जन में 850 किलो टन (kT) की वार्षिक कमी आई।
- कई नवोन्मेषी वित्तीयन उत्पादों, जैसे- सीएनजी टैंकरी /सीएनजी ऑटो रिकशा हेतु ऋण, सौर बल्बों के लिए सूक्ष्म ऋण, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से चैनल वित्त, मूल उपकरण आपूर्तिकर्ताओं (ओईएम) के साथ संरचित व्यवस्था, हरित भवनों का वित्तीयन आदि को अपनाया गया है। इस पहल से स्वच्छ प्रौद्योगिकी के संवर्धन तथा प्रदूषण-नियंत्रण में सहायता मिली है।
- सिडबी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (सूलम) उद्यम क्षेत्र में स्वच्छेतर उत्पादों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए केएफडब्ल्यू के साथ कुल 53.74 मिलियन यूरो की व्यवस्था का अनुबंध किया है। इस ऋण-सीमा का प्रमुख उद्देश्य स्वच्छेतर उत्पादनों में निवेश के माध्यम से कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन एवं प्रदूषण पर नियंत्रण करना या उसे समाप्त करना है। इस सहायता के अंतर्गत औद्योगिक समूहों में बड़ी संख्या में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (सूलम) उद्यमों के लिए लाभकारी होने वाले निवेश भी पात्र हैं, जैसे- सामूहिक अपशिष्ट शोधन संयंत्र (सीईटीपी), कचरा प्रबंधन, भंडारण व निस्तारण सुविधाएं, कचरा पुनर्चक्रण आदि।
ऐसी सूक्ष्म, लघु व मध्यम (सूलम) इकाइयां भी इस ऋण-सीमा के अंतर्गत पात्र हैं, जो प्रदूषण पर नियंत्रण, अपशिष्ट में कमी, कच्चा माल उत्पादकता में सुधार आदि में निवेश करती हैं। अब तक कुल 323 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (सूलम) इकाइयों को इसमें सहायता प्रदान की गई है, जिनका कुल सावधि ऋण ₹402 करोड़ रहा है।
- सिडबी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (जीईएफ) के साथ, पाँच उद्योग समूहों में, विश्व बैंक वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) से निधि-प्राप्त परियोजना, सूक्ष्म, लघु व मध्यम (सूलम) उद्यमों में दक्षता ऊर्जा वित्तपोषण कार्यान्वित कर रहा है। ये पाँच समूह हैं - कोल्हापुर में ढलाईखाना (फाउंड्री), तिरुनेल्लवेलि में चूनाभट्टी, अंकलेश्वर में रसायन, पुणे में ढलाई तथा फरीदाबाद में मिश्रित समूह। आशा है कि इस परियोजना से 500 सूक्ष्म, लघु व मध्यम इकाइयों को ऊर्जा-दक्ष बनाया जा सकेगा।

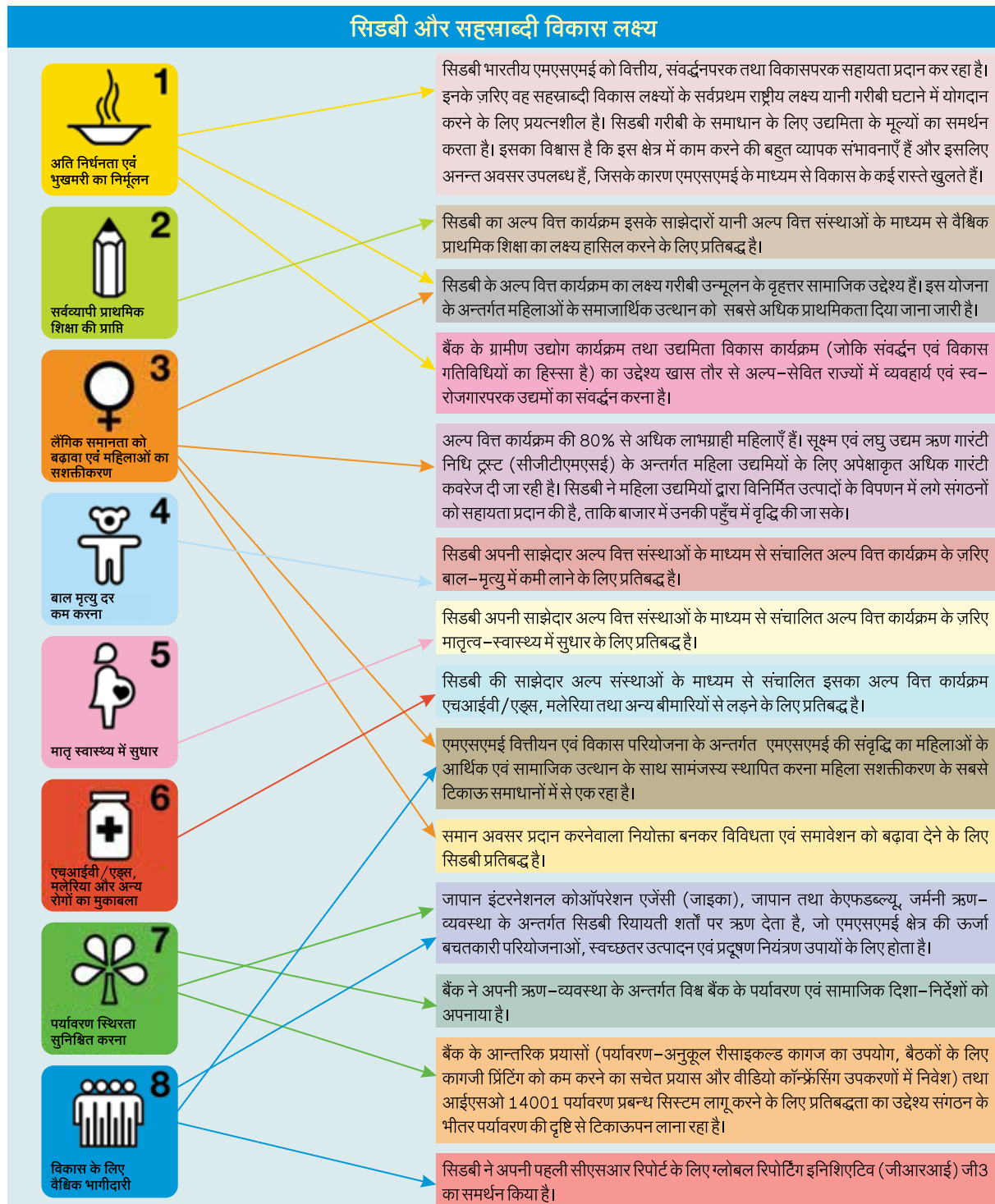
सामाजिक प्रभाव

अल्पवित्त, सामान्य तौर पर समाज के निर्धन वर्गों के सामाजिक विकास के सर्वाधिक सक्षम एवं प्रभावी उपकरणों में से एक साबित हुआ है। संचयी रूप से, सिडबी के माध्यम से दी गई सहायता से 326 लाख (लगभग) सुविधावंचित व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से अधिकतर महिलाएं हैं। सिडबी की अल्प वित्त योजना, सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने की ओर तीव्रता से उन्मुख हो रही है। (अनुलग्नक) सिडबी द्वारा वर्ष 2008 में कराए गए प्रभाव-अध्ययन के अनुसार, अल्पवित्त योजना ने निर्धनों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में सहायता की है तथा जीवनयापन के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करके, शोषण करने वाले अनौपचारिक ऋण-स्रोतों पर उनकी निर्भरता को घटा कर उनके जीवन में गुणात्मक सुधार किया है तथा साथ ही, उनके स्वास्थ्य व शैक्षिक मानदंडों में भी सुधार किया है। इस प्रभाव-अध्ययन के कुछ प्रमुख बिन्दु नीचे प्रस्तुत हैं :

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

- सिडबी की अल्पवित्त योजना, समाज के सुविधांचित वर्गों तक प्रभावी तरीकों से पहुँची है, जिनमें अनु.जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की संख्या प्रतिदर्श की लगभग 73% रही है।
- यह कार्यक्रम बहुत ही प्रभावशाली रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचा, ऐसे क्षेत्रों से दो-तिहाई प्रतिदर्श सम्मिलित थे।
- प्रतिदर्श ग्राहकों में लगभग 80% महिलाएं शामिल रहीं।
- इस कार्यक्रम की पहुँच सामान्यतः निर्धनतम क्षेत्रों पर केन्द्रित है, इसमें ग्राहकों का 30% निर्धन तथा 37% निर्धनता की सीमा रेखा पर हैं।

अनुलग्नक





**प्रबंधन एवं निगमित
अभिशासन**

प्रबंधन एवं निगमित अभिशासन

सिडबी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की एक प्रमुख वित्तीय संस्था होने के नाते निगमित सामाजिक दायित्व और उत्तम नैगम अभिशासन को न केवल आत्मसात करता है, बल्कि उसे एमएसएमई क्षेत्र तथा अपने साथ काम करने वाली संस्थाओं में भी विकसित करता है। सिडबी अपने सभी हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है, ताकि एमएसएमई पारितन्त्र की मुख्य प्राथमिकताओं तथा अनिवार्य आवश्यकताओं / अंतरालों पर ध्यान दिया जा सके। सिडबी की उत्तम नैगम अभिशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं नीचे के अनुच्छेदों में दर्शाई जा रही हैं:

निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की समितियाँ

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2,000 में पन्द्रह सदस्यीय निदेशक मंडल का प्रावधान है। इनमें से आठ निदेशकों को केन्द्र सरकार नियुक्त/नामित करती है, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी), दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी पदाधिकारी तथा विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव रखने वाले तीन विशेषज्ञ (जिनमें से एक राज्य वित्तीय निगम से होता है) शामिल होते हैं। शेष सात निदेशकों में से तीन का नामांकन सबसे बड़ी शेयरधारिता वाली उन तीन संस्थाओं, बैंकों तथा बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है, जो केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या उसके नियन्त्रणाधीन हैं। चार निदेशक आम शेयरधारकों द्वारा चुने जाते हैं अथवा जब तक चुने गए निदेशक प्रभार नहीं ग्रहण कर लेते तब तक के लिए निदेशक मंडल द्वारा सहयोजित किए जा सकते हैं। यथा 31 जुलाई 2014 निदेशक मंडल में नौ निदेशक थे, जिसमें एक पूर्णकालिक निदेशक भी शामिल है।

भारत सरकार की 8 नवम्बर 2013 की अधिसूचना के अनुसार श्री सुशील मुहनोत, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया। तदनुसार, श्री मुहनोत 8 नवम्बर 2013 को कार्य-समय की समाप्ति पर पद-भार से मुक्त हुए।

तदुपरान्त, श्री टी.आर. बजालिया, उप प्रबन्ध निदेशक अधिवर्षिता की उम्र पर पहुँचने के फलस्वरूप 31 दिसम्बर 2013 को कार्य-समय की समाप्ति पर पद-भार से मुक्त हुए।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 की धारा 6(1)(ग) के ज़रिए प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने 10 जून 2014 की अधिसूचना के ज़रिए तत्काल प्रभाव से श्री आलोक टण्डन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मन्त्रालय को श्री अरविन्द कुमार के स्थान पर बैंक का निदेशक नामित किया है।

सिडबी के निदेशक मंडल ने श्री सत्यानन्द मिश्रा, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एवं भारत सरकार के सचिव तथा श्री आर. रामचन्द्रन, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्रा बैंक को सिडबी अधिनियम की धारा 6(1)(च) के अनुसार 03 अक्तूबर 2013 से तीन वर्ष के लिए निदेशक के रूप में सह-योजित किया है।

सर्वश्री प्रकाश बाकलीवाल तथा सत्यनारायण राव को केन्द्र सरकार ने सिडबी अधिनियम की धारा 6(1)(ड) के अनुसार निदेशक नामित किया था, जो अपनी कार्यावधि पूरी होने पर 12 मई 2014 को सेवा-निवृत्त हो गए। इसके अलावा सर्वश्री पी.ए. सेठी तथा रवि नारायण को सिडबी अधिनियम की धारा 6(1)(च) के अन्तर्गत निदेशक के रूप में नामित किया गया था, जिन्होंने 26 जून 2014 को निदेशक-मंडल से अपना त्याग-पत्र दे दिया, जोकि निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

सिडबी के निदेशक मंडल से सेवा-निवृत्त होनेवाले निदेशकों द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए निदेशक मंडल उनकी भूरिशः प्रशंसा करता है।

विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने ग्यारह समितियाँ गठित की हैं जो इस प्रकार हैं- कार्यपालक समिति (ईसी), लेखा-परीक्षा समिति (एसी), जोखिम प्रबन्धन समिति (आरआईएमसी), राज्य वित्तीय निगमों के पर्यवेक्षण हेतु समिति (सीएफएस), बड़ी राशि की धोखा-धड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति (एससीएमएलवीएफ), सूचना प्रौद्योगिकी

रणनीति समिति (आईटीएससी), ग्राहक सेवा समिति (सीएससी), मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी), वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी), परिसर समिति तथा पारिश्रमिक समिति।

एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर मंजूरी तथा इस प्रकार के अन्य परिचालनगत मामलों पर कार्यपालक समिति विचार करती है। लेखा-परीक्षा समिति लेखा-परीक्षा वार्षिक के कार्यों के पर्यवेक्षण और उसकी मुख्य-मुख्य टिप्पणियों की समीक्षा सम्बन्धी कार्यों के साथ-साथ बैंक के लेखा को अन्तिम रूप देने और भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों से सम्बन्धित मामलों में भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। जोखिम प्रबन्ध समिति बैंक के एकीकृत जोखिम प्रबन्धन के लिए नीति और रणनीति निर्धारित करती है। सीएफएस राज्य वित्तीय निगमों से सम्बन्धित सभी नीतियों/मामलों में बैंक का मार्गदर्शन करती है।

एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी की निगरानी पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार एससीएमएलवीएफ का गठन किया गया है। आईटीएससी बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्यों, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि, नीति एवं रणनीति के सम्बन्ध में निदेश देती है, ताकि वह व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप हो सके। इसके अलावा यह समिति सूचना प्रौद्योगिकी की दीर्घकालिक योजना तैयार करने में बैंक का मार्गदर्शन करती है और सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन एवं प्रबन्धन का पर्यवेक्षण करती है।

नैगम अभिशासन ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए नीतियाँ तैयार करने और आन्तरिक रूप से उनके अनुपालन का आकलन करने तथा बैंक द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाने के उद्देश्य से निदेशक-मंडल ने सीएससी गठित की है। निदेशक मंडल को मानव संसाधन के मामलों में मार्ग-दर्शन प्रदान करने और संस्तुतियाँ देने के उद्देश्य से एचआरएससी का गठन किया गया है। इसके अलावा, ₹3 करोड़ और उससे अधिक के मूलधन बकाया वाले एनपीए प्रस्तावों की समीक्षा के लिए आरआरसी गठित की गई है।

परिसर समिति के मुख्य कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बृहत्तर निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमोदन देना, सम्पत्तियों की खरीद करना, बैंक की सम्पत्तियों के बड़े नवीकरण/ मरम्मत कार्य करवाना तथा बैंक के परिसर वार्षिक से सम्बन्धित वार्षिक व्यय बजट (पूँजी एवं राजस्व) बनाना है।

उक्त समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त और उनके निर्णय निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान निदेशक-मण्डल की आठ बैठकें हुईं, जबकि निदेशक मंडल की समितियों, यानी कार्यपालक समिति, लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबन्धन समिति, राज्य वित्तीय निगमों के पर्यवेक्षण हेतु समिति, बड़ी राशि की धोखा-धड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति, सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति, ग्राहक सेवा समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, वसूली समीक्षा समिति ने क्रमशः दस, छह, तीन, दो, तीन, चार, दो, तीन और तीन बैठकें कीं। इसके अलावा सिडबी ने 27 जून 2014 को लखनऊ में वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित की।

भारत सरकार ने बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन योजना आरंभ की और इस उद्देश्य हेतु भारत सरकार के निदेशानुसार निदेशक मंडल की 'पारिश्रमिक समिति' गठित की गई है। इस समिति ने वर्ष के दौरान एक बैठक की।

शेयरधारिता का स्वरूप

सिडबी के शेयर केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण वाली तैंतीस संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ बीमा कम्पनियों द्वारा धारित हैं। आईडीबीआई बैंक लि., भारतीय स्टेट बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम इसके तीन सबसे बड़े शेयर धारक हैं। वर्ष के दौरान सिडबी की शेयरधारिता के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया।

आस्ति देयता प्रबंध समिति

बैंक की आस्ति देयता प्रबंध नीति के अनुरूप, आस्ति देयता प्रबंध समिति की अध्यक्षता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं और उप



फिनोविटी पुरस्कार

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा बैंक के जोखिम प्रबंधन, ऋण, संसाधन और राजकोषीय तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद-भागों के प्रमुख अन्य वरिष्ठ कार्यपालक इसके सदस्य होते हैं। आस्ति देयता प्रबंध समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर बैंक के तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम की समीक्षा और निगरानी करती है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की 10 बैठकें हुईं, जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चाएँ हुईं, जैसे- बैंकों की मूल उधार दर में संशोधन, विभिन्न सहायता योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दरों की समीक्षा, संसाधन संग्रहण की स्थिति, सावधि जमा योजना हेतु ब्याज दर संरचना की समीक्षा, बैंकों से सीपी, बॉण्ड तथा सावधि ऋणों के माध्यम से उधारी, बैंक की शुद्ध ब्याज आय और शुद्ध ब्याज मार्जिन में हुए परिवर्तन तथा विदेशी ऋण सीमाओं के अंतर्गत आहरणों के संदर्भ में मुद्रा जोखिम के बचाव आदि पर चर्चा हुई।

निवेश समिति

बैंक की निवेश समिति बैंक की निवेश नीति तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के दायरे में रहते हुए बैंक के निवेश संविभाग के संबंध में रणनीतियाँ बनाती है और निवेश के विभिन्न विकल्पों की सिफारिश करती है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निवेश समिति की सात बैठकें हुईं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न निवेश तथा विनिवेश प्रस्तावों एफएस से सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय, सरकारी प्रतिभूतियों के एचएफटी से एफएस में अंतरण, म्युचुअल फंडों में निवेश-सीमा की समीक्षा, प्राथमिक बाजारों के माध्यम से अर्जित ईक्विटी निवेश व निवेश से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।

उद्यम जोखिम प्रबंध समिति

उद्यम जोखिम प्रबंध समिति बैंक में जोखिम प्रबंध संरचना के समग्र क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार है। यह समिति बैंक की ऋण एवं परिचालनगत जोखिम प्रबंध नीतियों एवं रणनीतियों के निर्माण हेतु सिफारिशें देने तथा आस्ति पूंजी में जोखिमों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है।

जोखिम एवं सूचना सुरक्षा समिति

जोखिम एवं सूचना सुरक्षा समिति कार्यपालकों की एक बहुविध प्रकार्य समिति है, जो सूचना सुरक्षा के पहलुओं को देखती है तथा सूचना सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न जोखिमों को कम करने का कार्य करती है। यह समिति सुरक्षा कार्यक्रम का संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मेल सुनिश्चित करती है। यह संगठनात्मक बदलाव करते हुए ऐसी संस्कृति के विकास में भी सहायक है, जो सुरक्षा के अच्छे प्रतिमान और नीतियों के अनुपालन को प्रोत्साहित करे।

आंतरिक लेखा-परीक्षा

बैंक में नैगम अभिशासन को मजबूत बनाने और आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने तथा जोखिम प्रबंधन में सुधार लाने के लिए बैंक के प्रबंधन के उद्देश्यों का अनुपालन करने में बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 433 लेखापरीक्षाएँ की गईं, जिनमें 131 परिचालनगत लेखापरीक्षाएँ, 2 विशेष/स्नैप लेखापरीक्षाएँ, संसाधन प्रबंध उद-भाग की 12 संव्यवहार लेखापरीक्षाएँ, बीकेसी शाखा की 1 संव्यवहार लेखापरीक्षा, एमएमओ व डीआरओ की 12 समवर्ती लेखापरीक्षाएँ, 189 ऋण लेखापरीक्षाएँ तथा 275 समवर्ती लेखापरीक्षाएँ शामिल हैं।

लेखा-परीक्षा उद-भाग, सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण दल की टिप्पणियों के अनुपालन का समन्वयन संबंधी कार्य, निगमित लेखापरीक्षा उदभाग तथा आरबीआई निरीक्षण कक्ष के सक्रिय सहयोग से प्रभावपूर्ण रूप से कर रहा है। लेखापरीक्षा करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुपालन, निधियों के अंतिम उपयोग के सत्यापन, आस्तियों के सृजन, दिशानिर्देशों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं आदि के अनुपालन पर अपेक्षानुरूप बल दिया जाता है।

मानव संसाधन विकास – एक विहंगावलोकन

कार्मिक

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बैंक में कुल 1,043 पूर्णकालिक स्टाफ कार्यरत हैं, जिनमें 880 अधिकारी, 99 श्रेणी तृतीय स्टाफ तथा 64 अधीनस्थ स्टाफ हैं। समस्त स्टाफ-सदस्यों में से 185 अनुसूचित जाति, 76 अनुसूचित जनजाति तथा 159 अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। इनमें 9 भूतपूर्व सैनिक और 14 शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। महिला कर्मचारियों की संख्या 224 है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिए संसद ने (निवारण निषेध एवं सुधार) अधिनियम 2013 पारित किया है जो कि 9 दिसंबर 2013 से प्रभावी है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने यौन शोषण और इससे सम्बंधित मामलों या घटनाओं को रोकने के सन्दर्भ में पाँच स्थानों, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व नई दिल्ली में आंतरिक शिकायत समितियाँ गठित की हैं। वर्ष के दौरान इन समितियों को यौन शोषण से सम्बंधित कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

प्रशिक्षण एवं कैरियर विकास

बैंक का मानना है कि कर्मचारी प्रशिक्षण एवं विकास संस्था एवं कर्मचारी दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। इसे ध्यान में रखते हुए, बैंक अपने स्टाफ के विकास एवं कैरियर विकास हेतु तथा कर्मचारियों के कौशल-सुधार एवं ज्ञान को बढ़ाने हेतु अवसर प्रदान करता रहा है।

पहले की भाँति, बैंक ने अपने कर्मचारियों को (i) आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों (ii) ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा देश के भीतर संचालित/आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं तथा (iii) अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में, प्रतिनियुक्त करके प्रशिक्षण देना जारी रखा। प्रशिक्षण के प्रकार्य को सुव्यवस्थित किया गया है, ताकि इसे एक संगठनात्मक महत्व दिया जा सके और स्टाफ के समग्र सर्वसमावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष के दौरान, बैंक ने ख्याति-प्राप्त प्रशिक्षण/अकादमिक संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न अन्तर्देशीय, आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 1,578 नामांकन किए, जिनमें से 257 नामिती महिलाएं थीं और 672 नामिती आरक्षित वर्गों से संबंधित थे।

कर्मचारियों को बैंकिंग एवं वित्त, बैंकिंग व वित्तीय प्रौद्योगिकी नवोन्मेष, विदेशी मुद्रा, नैगम उत्कृष्टता, ऊर्जा संरक्षण, आसूचना एवं सुरक्षा प्रबंधन आदि विविध क्षेत्रों में प्रचलित अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों से परिचित कराने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बैंक द्वारा 26 अधिकारियों को नामांकित किया गया।

स्टाफ कल्याण संबंधी गतिविधियाँ

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने स्टाफ-सदस्यों व उनके परिवारों के लिए बहु-आयामी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए सहायता देना जारी रखा। बैंक के विभिन्न कार्यालयों में गठित कल्याण समितियों को केन्द्रीय कल्याण समिति के मार्गदर्शन में निधियाँ आवंटित की गईं, ताकि वे स्टाफ व उनके परिवारों के लिए कल्याण-गतिविधियाँ आयोजित कर सकें।

कंप्यूटरीकरण

सूचना प्रौद्योगिकी उद्-भाग ने वर्ष के दौरान बैंक के व्यवसाय परिचालनों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई प्रणालियों को सुव्यवस्थित एवं सुस्थिर करने पर बल दिया गया। वित्त सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ाते हुए इसे पूर्णतः समेकित वातावरण में बैंक के समस्त प्रत्यक्ष ऋण संविभाग हेतु समर्थ



संसदीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का निरीक्षण दौरा

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

बनाया गया। कई नई गतिविधियों हेतु आंतरिक आईटी समाधानों को विकसित एवं कार्यान्वित किया गया, इनमें शामिल हैं – सावधि जमा व एमएसएमई जमाओं हेतु संसाधन प्रबंध सॉफ्टवेयर, मशीनरी आपूर्तिकर्ता डाटाबेस, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार रुग्ण इकाई-निगरानी, मानक खातों की सरलीकृत निगरानी, विक्रेता-वार प्राप्य वित्त, बीजकों की ई-भुनाई, उच्च मूल्य तथा अपवादी लेनदेनों की निगरानी आदि। बैंक के ई-मेल समाधान हेतु सर्वर समेकन किया गया तथा मेल समाधान की बेहतर उपलब्धता तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित करने हेतु हाथ में रखे जाने वाले नवीनतम उपकरणों के माध्यम से मेल तक पहुंच उपलब्ध कराई गई। किसी अप्रिय घटना से निपटने में बैंक की तैयारी की जांच हेतु वर्ष में दो बार जीवन्त आपदा बचाव परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। बदलती प्रौद्योगिकी के अनुरूप तैयार रहने हेतु आवश्यकता आधारित आईटी की मूलभूत संरचना का उन्नयन किया गया।

सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ

सिडबी में सतर्कता वटिकल के प्रमुख एक पूर्ण-कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं तथा संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। सतर्कता वटिकल निवारक सतर्कता पर बल देता है और प्रचलित प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए इसने कई प्रयास किए हैं। इसका उद्देश्य ऋण-प्रदायगी तथा निगरानी-प्रणाली को सुदृढ़ करना और निर्णय-प्रक्रिया को पारदर्शी, उचित तथा न्यायसंगत बनाना रहा है। निवारक सतर्कता के उपायों की समीक्षा के लिए अंचल/शाखा कार्यालयों में निवारक सतर्कता समितियाँ तथा प्रधान कार्यालय में सतर्कता समिति गठित की गई है।

सतर्कता के कार्य की समीक्षा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीवीओ प्रत्येक तिमाही में करते हैं और सभी महत्वपूर्ण/ लंबे समय से लंबित मुद्दों पर मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशानुसार कार्रवाई की जाती है। सतर्कता पर एक आंतरिक सलाहकार समिति गठित की गई है, जो सभी शिकायतों तथा निरीक्षणों, लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, स्टाफ-जवाबदेही रिपोर्टों आदि से निकलकर आनेवाले मामलों की संवीक्षा करती है और अपनी जाँच में पाए गए वर्तमान अथवा अन्य सतर्कता संबंधी कोणों के विषय में सीवीओ को अपनी संस्तुतियाँ देती है। बेईमान उधारकर्ताओं, बाहरी तत्वों, स्टाफ आदि द्वारा बैंक के साथ की गई धोखा-धड़ी की रिपोर्टिंग, अनुश्रवण तथा अनुवर्तन के लिए सतर्कता वटिकल नोडल वटिकल के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही, सतर्कता वटिकल बैंक के साथ धोखा-धड़ी के मामलों में तृतीय पक्ष निकायों की भूमिका के मूल्यांकन और उनके द्वारा बैंक को प्रदान की गई प्रोफेशनल सेवा में पाई गई कमी के लिए, उनके नाम भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा परिचालित सतर्कता-सूची में दर्ज कराने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करता है।

वस्तुओं, कार्यों तथा संविदाओं का अभिग्रहण सीवीसी के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाने के विषय में बैंक द्वारा अपनाई जानेवाली निविदा-प्रक्रिया पर भी सतर्कता विभाग निगरानी रखता है। इस उद्देश्य हेतु यह वटिकल निश्चित अंतरालों पर, नमूना आधार पर उसी तरह के निरीक्षण करता है जैसे मुख्य तकनीकी जाँच कार्यालय (सीटीईओ) द्वारा किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वस्तुओं एवं सेवाओं का अभिग्रहण निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है।

सतर्कता वटिकल आवधिक अंतरालों पर सतर्कता संबंधी गतिविधियों, धोखा-धड़ी के मामलों की स्थिति तथा धोखा-धड़ी के नए मामलों की रिपोर्ट लेखा-परीक्षा समिति/ निदेशक मंडल/ बड़ी राशि की धोखा-धड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है। बैंक में सतर्कता के कार्य में परिचालन के सभी स्तरों पर स्वतःस्फूर्त सतर्कता तथा निवारक सतर्कता के आयामों पर बल दिया जाता रहा है, ताकि धोखा-धड़ी की घटनाओं, भ्रष्टाचार तथा कदाचार से बचा जा सके/को न्यूनतम किया जा सके। ऋण निगरानी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने तथा संपूर्ण बैंकिंग सेक्टर में हो रही धोखा-धड़ी की घटनाओं के बारे में जानकारी/जागरूकता फैलाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान, सिडबी के सतर्कता वटिकल को सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद द्वारा बैंकिंग क्षेत्र की श्रेणी में सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सतर्कता प्रशासन के क्षेत्र में सिडबी द्वारा किए गए अच्छे कार्यों हेतु प्राप्त हुआ तथा देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सिडबी विजेता के रूप में उभरा है।

बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

बैंक के सभी कार्यालयों ने धारा 3(3) के अंतर्गत समाहित दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए और हिंदी में प्राप्त अथवा हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में देते हुए राजभाषा नियम 1976, के नियम 5 का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया।

क्षेत्र क, ख एवं ग स्थित बैंक के कार्यालयों का मूल पत्राचार क्रमशः 96%, 90% और 77% रहा, जबकि इनके लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 100%, 90% और 55% हैं। इसी प्रकार, उक्त क्षेत्रों हेतु क्रमशः 75%, 50% और 30% के हिंदी टिप्पण के लक्ष्य के विरुद्ध हिंदी टिप्पण 85%, 67% और 52% रहा। प्रधान कार्यालय स्थित उद्भागों तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रमुख मर्दों की समीक्षा प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में की गई तथा पत्रों, ई संदेशों आदि के माध्यम से उन्हें सतत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। बैंक के 39 कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 की धारा 10(4) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित करा दिया गया है।

हिंदी में प्रवीणताप्राप्त स्टाफ सदस्यों (श्रेणी- IV को छोड़कर) को अपना संपूर्ण कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने हेतु व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए। हिंदी न जानने वाले स्टाफ का एक रोस्टर तैयार किया गया है तथा उन्हें हिंदी शिक्षण योजना अथवा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान या पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्थाएं की गई हैं।

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी स्टाफ सदस्यों को हिंदी कार्यशालाओं में नामित किया गया, ताकि उन्हें अपना दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने हेतु प्रशिक्षित किया जा सके। चूंकि बैंक का अधिकांश कार्य कंप्यूटरों के माध्यम से संपन्न होता है, अतः प्रत्येक कार्यशाला में यूनिकोड पर सत्र अनिवार्य रूप से रखे गए, जिसमें अभ्यास पर अधिक बल दिया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी शाखाओं से संबद्ध स्टाफ हेतु कार्यशालाएं संचालित कीं।

तिमाही हिंदी पत्रिका 'संकल्प' बैंक के स्टाफ सदस्यों को पढ़ने तथा हिंदी में लिखने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से नियमित रूप से प्रकाशित की गई। अब तक इसके 66 अंक निकल चुके हैं। इस वर्ष भी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बैंक के सभी कार्यालयों ने हिंदी पखवाड़ा मनाया, जिसके अंतर्गत कई रोचक गतिविधियां व प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिंदी में कार्य करने हेतु प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने हेतु बैंक में दो प्रतियोगिताएं की जाती हैं, जो हैं : अंतर कार्यालय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता तथा सर्वोत्तम राजभाषा प्रतिनिधि योजना।

बैंक गत कुछ वर्षों से एक अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, जिसका लक्ष्य अखिल भारतीय स्तर पर बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। संसदीय समिति की तीसरी उपसमिति ने प्रधान कार्यालय, लखनऊ तथा नाशिक शाखा कार्यालय का निरीक्षण दौरा किया तथा इन दोनों कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति ने भी हमारे प्रधान कार्यालय तथा अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के साथ चर्चा की। संयुक्त निदेशक (राजभाषा), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भी प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी 39 राजभाषा निरीक्षण संपन्न किए।

बैंक को क्षेत्र 'ग' में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ। बैंक के चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर शाखा कार्यालय, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय एवं अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय को अपनी-अपनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों / राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार प्राप्त हुए।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन कर रहा है। तदनुसार, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 4(1) ख के अंतर्गत परिकल्पित है, बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.sidbi.in) पर संस्था के कार्यों व कर्तव्यों, अपने कार्यों के निर्वहन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों, अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की शक्तियों व कर्तव्यों, संगठनात्मक चार्ट, अधीनस्थ विधानों आदि को प्रदर्शित किया है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। बैंक ने एक केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), वैकल्पिक केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और वैकल्पिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पदनामित किए हैं, जिनके विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निदेशानुसार, अधिनियम की धारा 4 के बेहतर तरीके से कार्यान्वयन के उद्देश्य से बैंक ने एक पारदर्शिता अधिकारी भी पदनामित किया है, ताकि सूचना का अधिकार के अंतर्गत की जानेवाली पूछताछ का सीपीआईओ द्वारा समय पर उत्तर देने के लिए अनुकूल स्थितियाँ निर्मित हो सकें। बैंक ने अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक स्थायी समिति (सीआईआरए) गठित

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

की है, जो बैंक में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में पारदर्शिता अधिकारी की सहायता करती है। वर्ष के दौरान सूचना पाने के लिए बैंक को 307 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्धारित समय-सीमा में निस्तारित कर दिया गया।

वर्ष के दौरान बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 40 अपीलें की गईं, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्धारित समय-सीमा में निस्तारित कर दिया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध दो द्वितीय अपीलें केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष की गईं। सीपीआईओ द्वारा सूचना प्रस्तुत करने अथवा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों पर निर्णय देने, किसी के भी संबंध में कोई विलंब नहीं हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए बैंक के किसी अधिकारी पर अर्थ-दंड/दंड नहीं लगाया गया है।

डिबेंचर न्यासियाँ

वर्तमान में, सिडबी के बकाया बॉण्ड्स निर्गमों के लिए दो डिबेंचर न्यासियाँ हैं, जो कि ऐक्सिस बैंक लिमिटेड एवं ऑलबैंक फाईनेंस लि. हैं। उनके संपर्क संबंधी विवरण हैं :

ISIN: INE556F08ID4, INE556F08IO1, INE556F08IP8	शेष ISINs के लिए
ऐक्सिस बैंक लि., ऐक्सिस हाउस, द्वितीय तल, 'ई', बॉम्बे डाईंग मिल कंपाउण्ड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई. दूरभाष : 022-24255215/16 फैक्स : 022-24254200 ई-मेल : debenturetrustee@axisbank.com संपर्क : श्री. कान्हु हरिचंदन	ऑलबैंक फाईनेंस लि. इलाहाबाद बैंक, द्वितीय तल, 37, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट मुंबई-400 023. दूरभाष : 022-22626283 टेलीफैक्स : 022-22677552 संपर्क : सुश्री श्रेया शाह, कंपनी सचिव

सिडबी एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान

सिडबी, ने एमएसएमई क्षेत्र हेतु एक शीर्ष संस्थान के रूप में भुवनेश्वर में सिडबी एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सिटी) की स्थापना की है। सिटी का उद्देश्य, अपने स्टाफ, बैंक अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, एमएसएमई तथा एमएसएमई से संबद्ध अन्य हितधारकों की प्रशिक्षण एवं विकास की जरूरतों को पूर्ण करना है। इस संस्थान ने 24 मई 2013 से कार्य आरंभ कर दिया है।

आभार-ज्ञापन

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त मूल्यवान सहयोग के लिए निदेशक मंडल उनका आभार ज्ञापित करता है। साथ ही, निदेशक मंडल विश्व बैंक समूह, जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी (जाइका), जापान; डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यू.के. ; क्रेडिटान्स्टाल्ट फर वीडरफबाउ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी; दि ड्यूश जेसेल्शाफ फर इंटरनेशनल जुसाम्मेनारबीट (जीआईजेड), जर्मनी; इंटरनेशनल फंड फॉर ऐग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी), रोम; फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी), फ्रांस तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक को उनसे अनवरत मिलनेवाली संसाधन सहायता तथा तकनीकी सहयोग के लिए धन्यवाद देता है। बैंकों, राज्य स्तरीय संस्थाओं, उद्योग संघों तथा एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन व विकास में लगे अन्य हित-धारकों से मिले सहयोग के लिए बोर्ड उनकी सराहना करता है।

बैंक अपने सभी ग्राहकों व निवेशकों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और आशा करता है कि आनेवाले वर्षों में भी उनका सहयोग लगातार मिलता रहेगा। निदेशक मंडल सिडबी के सभी स्तरों के स्टाफ द्वारा वर्ष के दौरान प्रदत्त सेवाओं की सराहना करता है, जिन्होंने बैंक को विकास के उच्चतर धरातल तक ले जाने में अटूट प्रतिबद्धता, सत्य-निष्ठा और समर्पण-भावना का परिचय दिया है।



**सिडबी की सहायक एवं
सहयोगी संस्थाएँ**

सिडबी की सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ

सहायक संस्थाएँ

सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड

सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) उद्यम पूंजी निधियों के प्रबंधन के लिए आस्ति-प्रबंधन कंपनी है। हाल ही के वर्षों में एसवीसीएल भारत में लघु मध्यम क्षेत्र की कंपनियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उद्यम पूंजी निधियों (वी सी एफ) तथा वैकल्पिक निवेश निधियों (आई ए फ) का प्रबंधन करने वाली अग्रणी संस्थागत निवेश प्रबंधक कंपनियों में से एक के रूप में विकसित हुई है।

एसवीसीएल की स्थापना 1999 में नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड आई टी इंडस्ट्री (एनएफएसआईटी) के ₹100 करोड़ से की गई। वर्ष 2004 में ₹500 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ) स्थापित किया गया और वर्ष 2012 में ₹671 करोड़ का इंडिया ऑपचुनिटीज फंड (आईओएफ) की स्थापना की गई। इस वर्ष के दौरान ₹450 करोड़ का समृद्धि फंड (एसएफ) नामक चौथी निधि की स्थापना की गई। इस निधि के अंतर्गत भारत के अपेक्षाकृत 8 निर्धन राज्यों- बिहार, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में समावेशी संवृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें परिचालन प्रारंभ हो चुका है।

शुरुआत से ही एसवीसीएल विविध क्षेत्रों और मुख्यतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार की उच्च गुणवत्तायुक्त संवर्द्धनोन्मुख कंपनियों के लिए वृद्धि पूँजी का स्रोत रही है। अब तक इसने सूचना प्रौद्योगिकी /आई टी एस, सेवा खुदरा, फार्मा, ऑटो कम्पोनेंट्स, जैव-इंधन, कपड़ा व वस्त्र, लाजिस्टिक्स इत्यादि से विविध क्षेत्रों में 70 से अधिक आरंभिक और संवृद्धि चरण अवस्था वाली कंपनियों में निवेश किया है। इसने अपनी पहली दोनों वेंचर पूंजी निधियों (एनएफएसआईटी व एसजीएफ) को इन 56 कंपनियों में से 43 में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से अपने निवेश का विनिवेश भी किया है। ₹305 करोड़ के निवेश पर विनिवेश से ₹593 करोड़ की वसूली की है। इसने इन दो वेंचर पूंजी निधियों से ₹500 करोड़ अपने निवेशकों को (उनकी ओर से कर भुगतान सहित) बांटे हैं।

नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री (एनएफएसआईटी)

एनएफएसआईटी एक निश्चित अवधि वाली उद्यम निधि है, जिसकी स्थापना अगस्त 1999 में की गई। इसकी निधि-अवधि अगस्त 2016 तक है। इस निधि ने ₹100 करोड़ की समूह निधि की वचनबद्धता की है, जिसके अंशदानकर्ता संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (₹30 करोड़), आईडीबीआई (₹20 करोड़) और सिडबी (₹50 करोड़) हैं। इस निधि को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के गैर-सूचीबद्ध एसएमई उद्यमों को ईक्विटी एवं ईक्विटी-सहबद्ध लिखतों के रूप में उद्यम पूँजी सहायता प्रदान करना था।

इस निधि ने 31 कंपनियों में ₹84.40 करोड़ निवेश किए हैं जोकि औसत प्रति इकाई ₹3 करोड़ से कम है। ये इकाइयां भौगोलिक रूप से भारत भर में फैली हुई हैं और व्यापक श्रेणी के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यथा: उत्पाद, सेवाएं, इंटरनेट आधारित व्यवसाय, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी सम्बंधित सेवाएं आदि इसमें समाहित हैं। निधि ने अपने संविभाग वाली अधिकतर कंपनियों का विनिवेश कर दिया है और यूनिटों के मोचन तथा अंशदाताओं को लाभ के रूप में ₹219 करोड़ (उनकी ओर से अदा किये गए कर सहित) वापस कर दिए हैं तथा मार्च 2013 तक 16.79% का संविभाग आईआरआर अर्जित किया है। निवेशकों को मार्च 2013 तक

8.23% प्रतिवर्ष की दर से कर-उपरान्त प्रतिलाभ प्राप्त हुआ। एनएफएसआईटी निवेशों से देश में उच्च श्रेणी के उद्यमों का गठन हुआ है जिसके फलस्वरूप निर्यात से दुर्लभ विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं की स्थापना के अलावा तकनीकी क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले हैं।

एनएफएसआईटी निवेश के प्रभाव को इस तथ्य से आंका जा सकता है कि ये निवेश कंपनियां विदेशी कंपनियों के अभिग्रहण एवं विदेशी वेंचर पूंजी निधियों से अतिरिक्त पूंजी जुटाकर ₹600 करोड़ के विदेशी निवेश को देश में लाने में समर्थ हुई हैं।

एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ)

एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ) 8 वर्ष की निश्चित अवधि वाली उद्यम पूंजी निधि है। इसकी स्थापना 2004 में ₹500 करोड़ की समूह निधि से की गई, जिसका अंशदान सिडबी और 8 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने किया था। यह एक सामान्य निधि है जो कि वृद्धि चरण वाली लघु उद्यम मध्यम क्षेत्र की ऑटो कम्पोनेंट्स, वस्त्र, जीवन विज्ञान, साफ तकनीक, खुदरा, हल्की इंजीनियरिंग इकाइयां, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाओं आदि पर केंद्रित है। इस एसजीएफ की निधि की अवधि सितंबर 2014 तक बढ़ा दी गई है।

एसजीएफ ने अपना निवेश चरण पूरा कर लिया है और विविध क्षेत्रों की 25 कंपनियों में ₹456.09 करोड़ का निवेश किया है। उपयुक्त अवसर मिलने पर इसने निवेश से बहिर्गमन भी आरंभ किया है। यथा 31 मार्च 2014, एसजीएफ ने 14 कंपनियों से आंशिक/पूर्ण बहिर्गमन कर लिया है। इसने ₹237 करोड़ के मूल निवेश पर विनिवेश से ₹380 करोड़ प्राप्त कर अपने बहिर्गत पोर्टफोलियो पर 16.86% का संविभाग आईआरआर अर्जित किया है। अब तक निधि द्वारा ₹282.09 करोड़ वितरित किये गए हैं। साथ ही, फंड ने विवादित कर देयताओं तथा संभावित दंड-राशियों के प्रति ₹63 करोड़ धारित रखे हैं।

एसजीएफ निवेश कंपनियां विदेशी कंपनियों के अभिग्रहण एवं विदेशी वेंचर पूंजी निधियों से अतिरिक्त पूंजी जुटाकर ₹1,000 करोड़ के विदेशी निवेश को देश में लाने में समर्थ हुई हैं। एमएसएमई/लघु उद्योगों में ₹287 करोड़ (लगभग 63%) की राशि का निवेश हुआ।

इंडिया ऑपर्ट्युनिटीज फंड (आईओएफ)

आईओएफ 10 वर्ष की निश्चित अवधि वाली उद्यम निधि है, जिसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई। इस निधि की अंतिम बंदी अप्रैल 2012 में ₹671 करोड़ की समूह निधि से हुई। आईओएफ में सिडबी, जीवन बीमा निगम, केनरा बैंक, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) तथा भारत के अन्य अग्रणी वाणिज्य बैंकों व बीमा कंपनियों ने निवेश किया है। आईओएफ क्षेत्र-निरपेक्ष निधि है, जिसमें मुख्यतः भारत के बढ़ते हुए तथा गैर-सूचीबद्ध एमएसएमई की संवृद्धि पूंजीगत आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, जो उभरते हुए क्षेत्रों में परिचालनरत हैं, जैसे शिक्षा-सेवाएं, आईटी/ आईटीईएस, हल्की इंजीनियरिंग, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, कृषि-आधारित उद्योग, लॉजिस्टिक्स, मूलभूत संरचना आदि। आईओएफ प्रारंभिक, वृद्धि आधारित एवं अंतिम चरण की चुनिन्दा कंपनियों में निवेश करेगी।

यथा 31 मार्च 2014, आईओएफ ने 15 कंपनियों में ₹182 करोड़ की वचनबद्धता की है, जिसमें से 9 कंपनियों में ₹58 करोड़ का निवेश पूरा हो चुका है। सभी निवेश एमएसएमई में हुए हैं।



वाराणसी में सीजीटीएमएसई बैठक

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

समृद्धि निधि (एसएफ)

डीएफआईडी, यूके सरकार का एक संस्थान है जो ब्रिटेन सरकार द्वारा गरीब देशों को दी जाने वाली सहायता का प्रबंधन करता है। डीएफआईडी ने 7 वर्षों के लिए अपने पुअरेस्ट स्टेट्स इन्क्लूसिव ग्रोथ (पीएसआईजी) कार्यक्रम के अंतर्गत 65 मिलियन पाउन्ड तक की सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है, जो सिडबी (30 मिलियन पाउन्ड) तथा एसवीसीएल (35 मिलियन पाउन्ड) के माध्यम से दी जाएगी। इस निधि में प्राथमिक रूप से ऐसी कंपनियों के शुरुआती और संवृद्धि चरण में निवेशों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों, गरीबों की बाजार तक पहुँच प्रदान करते हों, सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक हों और गरीबों को उत्पादक/उपभोक्ता तथा/अथवा कर्मचारी के रूप में प्रभावित करते हों और जो अपेक्षाकृत अधिक गरीब आठ राज्यों- बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल पर आर्थिक प्रभाव डालते हों।

डीएफआईडी, यूके इसमें मुख्य अंशदाता है जिसने ₹350 करोड़ का अंशदान किया है। सिडबी ने ₹50 करोड़ का अंशदान दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम लि. (एलआईसी) एवं युनाइटेड इंडिया इन्स्युरेन्स कंपनी (यूआईआईसी) ने क्रमशः ₹40 करोड़ एवं ₹10 करोड़ के अंशदान देने की सहमति दी है। निधि द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान 7 कंपनियों में ₹111 करोड़ की वचनबद्धता की गयी है, जिसमें से 5 कंपनियों में ₹39 करोड़ का निवेश पूरा हो चुका है। अभी तक सभी निवेश एमएसएमई में हुए हैं।

एसवीसीएल का तुलन-पत्र

एसवीसीएल का 31 मार्च 2014 का संक्षिप्त तुलन-पत्र तथा 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की लाभ-हानि विवरणी निम्नलिखित तालिकाओं में दी जा रही है:

तालिका 6.1 एस वी सी एल का संक्षिप्त तुलन-पत्र

(₹ लाख)

यथा 31 मार्च 2013 (अंकेक्षित)	एसवीसीएल का संक्षिप्त तुलन-पत्र	यथा 31 मार्च 2014 (अंकेक्षित)
	ईक्विटी और देयताएँ	
1,500.00	शेयर पूँजी	1,500.00
881.31	आरक्षितियाँ और अधिशेष	1,102.37
34.88	गैर-चालू देयताएँ	96.14
786.86	चालू देयताएँ	787.35
3,203.05	योग	3,485.86
	आस्तियाँ	
2,103.00	गैर-चालू आस्तियाँ	2,227.49
1,100.05	चालू आस्तियाँ	1,258.37
3,203.05	योग	3,485.86

तालिका 6.2 एस वी सी एल का संक्षिप्त लाभ - हानि खाता

(₹ लाख)

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु (अंकित)	एसवीसीएल की संक्षिप्त लाभ-हानि विवरणी	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु (अंकित)
	राजस्व	
1,443.56	परिचालनों से राजस्व	1,539.49
119.05	अन्य आय	74.62
1,562.61	योग	1,614.11
	व्यय	
602.40	परिचालन व्यय	613.78
7.46	मूल्य-हास	6.34
609.86	योग	620.12
952.75	अपवादस्वरूप मर्दे तथा कर-पूर्व लाभ	993.99
2.40	जोड़ें: असाधारण मर्दे	0.44
0.90	घटाएं: पहले की अवधि के समायोजन	0.15
954.25	असाधारण मर्दे एवं कर-पूर्व लाभ	994.28
2.00	घटाएं : असाधारण मद (निवेशों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान)	0.00
952.25	कर-पूर्व लाभ	994.28
320.00	चालू कर	327.00
(5.20)	आस्थगित कर	7.50
0.00	आय-कर हेतु अतिरिक्त प्रावधान	0.00
637.45	अवधि में लाभ / (हानि)	659.78

सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

सिडबी ने सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल) की स्थापना एक ट्रस्टी कंपनी के रूप में 19 जुलाई 1999 को की और यह वर्तमान में नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नॉलजी इंडस्ट्री (एनएफएसआईटी), एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ), इण्डिया अपोर्चुनिटीज फंड (आईओएफ) तथा संवृद्धि फंड (एसएफ) के ट्रस्टी के रूप में काम करती है। कंपनी ने सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) को एनएफएसआईटी, एसजीएफ, आईओएफ तथा एसएफ के निवेश-प्रबंधक के रूप में काम करने का दायित्व दिया है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

एसटीसीएल का तुलन-पत्र

एसटीसीएल का 31 मार्च 2014 का संक्षिप्त तुलन-पत्र तथा 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की लाभ-हानि विवरणी निम्नलिखित तालिकाओं में दी जा रही है :

तालिका 6.3 एसटीसीएल का संक्षिप्त तुलन-पत्र

(₹ लाख)

यथा मार्च 31, 2013 (अंकेक्षित)	एसटीसीएल का संक्षिप्त तुलन-पत्र	यथा मार्च 31, 2014 (अंकेक्षित)
	ईक्विटी एवं देयताएँ	
5.00	शेयर पूँजी	5.00
393.90	आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	455.58
0.00	गैर-चालू देयताएँ	0.00
0.74	चालू देयताएँ	0.73
399.64	योग	461.31
	आस्तियाँ	
3.31	गैर-चालू आस्तियाँ	55.85
396.33	चालू आस्तियाँ	405.46
399.64	योग	461.31

तालिका 6.4 एसटीसीएल की संक्षिप्त हानि - लाभ खाता

(₹ लाख)

मार्च 31 2013 को समाप्त वर्ष हेतु (अंकेक्षित)	एसटीसीएल की संक्षिप्त लाभ-हानि विवरणी	मार्च 31 2014 को समाप्त वर्ष हेतु (अंकेक्षित)
	राजस्व	
56.82	परिचालनों से राजस्व	58.93
36.21	अन्य आय	36.20
93.03	योग	95.13
	व्यय	
5.97	परिचालन व्यय	6.45
5.97	योग	6.45
87.06	असाधारण मदों तथा कर-पूर्व लाभ	88.68
0.00	जोड़ें: असाधारण मदें	0.50
0.02	घटाएं: पिछली अवधि के समायोजन	0.00
87.04	कर-पूर्व लाभ	89.18
27.00	चालू कर	27.50

मार्च 31 2013 को समाप्त वर्ष हेतु (अंकेक्षित)	एसटीसीएल की संक्षिप्त लाभ-हानि विवरणी	मार्च 31 2014 को समाप्त वर्ष हेतु (अंकेक्षित)
0.00	आस्थगित कर	0.00
0.00	आय-कर हेतु अतिरिक्त प्रावधान	0.00
60.04	अवधि में लाभ / (हानि)	61.68

सहयोगी

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना परिचालित करता है, जिसमें सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई ₹100 लाख तक की उन ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी दी जाती है, जिनके लिए संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय-पक्ष गारंटियाँ उपलब्ध नहीं होतीं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सीजीटीएमएसई की समूह निधि में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और सिडबी ने क्रमशः ₹74.99 करोड़ तथा ₹18.75 करोड़ का योगदान किया। इससे समूह निधि का आकार बढ़कर ₹2,295.30 करोड़ हो गया।

ऋण गारंटी योजना के परिचालन

ऋण गारंटी योजना के परिचालनों में वृद्धि जारी रही। जहाँ वित्तीय वर्ष 2000-01 में सक्रिय सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या केवल 9 थी, वहीं 31 मार्च 2014 तक गारंटी कवर लेनेवाली सक्रिय सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या 117 तक पहुँच गई। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹18,188.12 करोड़ की राशि के लिए कुल 3,48,475 गारंटियाँ अनुमोदित की जा चुकी हैं, और इस प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष संख्या की दृष्टि से 21% तथा राशि की दृष्टि से 13% की वृद्धि दर्ज हुई है। संचयी रूप से 31 मार्च 2014 तक कुल 14,19,807 खातों को ₹70,026.29 करोड़ के गारंटी अनुमोदन प्रदान किए जा चुके हैं। ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत स्लैब-वार कवरेज तालिका में दर्शाई गई है।

तालिका 6.5 – स्लैब-वार गारंटी अनुमोदन (यथा 31 मार्च 2014 को संचयी)

क्रमांक	सीमा	प्रस्तावों की संख्या	राशि (₹ लाख)
1	1 लाख रुपये तक	4,94,688	2,43,018.95
2	1 लाख एक से 2 लाख रुपये तक	3,29,209	4,96,243.01
3	2 लाख एक से 5 लाख रुपये तक	3,02,718	10,90,476.27
4	5 लाख एक से 10 लाख रुपये तक	1,38,007	10,67,924.38
5	10 लाख एक से 25 लाख रुपये तक	1,11,184	19,02,095.47
6	25 लाख एक से 50 लाख रुपये तक	30,383	11,58,491.51
7	50 लाख एक से 100 लाख रुपये तक	13,618	10,44,379.02
	योग	14,19,807	70,02,628.61

टिप्पणी: बीच में संशोधन एवं निरसन के कारण वास्तविक आंकड़ों में परिवर्तन संभव है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवरेज की 31 मार्च 2014 तक की संचयी स्थिति के विश्लेषण से पता चलता है कि ₹10,419.26 करोड़ (14.88%) के 2,62,611 (18.50%) प्रस्ताव महिला उद्यमियों, ₹1,512.03 करोड़ (2.16%) के 73,671 (5.19%) प्रस्ताव अनुसूचित जातियों, ₹949.23 करोड़ (1.35%) के 28,949 (2.04%) प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति तथा ₹3,149.32 करोड़ (4.50%) के 1,02,229 प्रस्ताव (7.20%) अल्पसंख्यक समुदायों के उद्यमियों से संबंधित थे।

समग्र प्रभाव

सीजीटीएमएसई के परिचालनों से ऋण की गारंटी-प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में कुल कारोबार, निर्यात और रोजगार की दृष्टि से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जैसाकि नीचे दिया गया है:

तालिका 6.6 – ऋण गारंटी योजना का प्रभाव

मापदंड	यथा 31 मार्च 2014
संचयी अनुमोदित गारंटियाँ (संख्या)	14,19,807
ऋण राशि (प्रारंभिक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदत्त) (₹ करोड़)	70,026
गारंटीकृत इकाइयों का अनुमानित कारोबार (₹ करोड़)	8,74,356
गारंटीकृत इकाइयों द्वारा अनुमानित निर्यात (₹ करोड़)	6,110
अनुमानित रोजगार सृजन (लाख में)	49.94
प्रारंभिक ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या	132

जोखिम में सहभागिता की सुविधा

बैंक ने जोखिम सहभागिता सुविधा-II (आरएसएफ-II) नामक योजना के प्रायोगिक आधार पर, एक सीमित अवधि के परिचालन के लिए, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के साथ 24 जनवरी 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह योजना भारत में एसएमई वित्तीयन और विकास के अंतर्गत एक परियोजना थी जिसका कार्यान्वयन सिडबी द्वारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे डीएफआईडी यूके, जी आई जेड एवं केएफडब्ल्यू जर्मनी के निधीयन से किया जा रहा है। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय इस परियोजना की नोडल एजेंसी है। आरएसएफ-II को इस प्रकार तैयार किया गया है कि बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) ऋण संबंधी जोखिम में सहभागिता के ज़रिए उत्तम एमएसई ऋण-प्रदायगी का एक ट्रैक रिकॉर्ड तैयार करने में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं की मदद की जा सके। सीजीटीएमएसई ने दो सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं – सिडबी और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ करार निष्पादित किया है। योजना के अंतर्गत (सिडबी के सन्दर्भ में 7 व इंडियन ओवरसीज बैंक के सन्दर्भ में 8) कुल 15 खातों में ₹19.77 करोड़ की संचयी गारंटियाँ अनुमोदित की गयीं।

जागरूकता का विकास

बैंकों, एमएसएमई उद्योग संघों, एमएसएमई क्षेत्र आदि के मध्य ऋण गारंटी योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सीजीटीएमएसई ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है और पत्र-पत्रिकाओं, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के आयोजन, विभिन्न जिला/राज्य/राष्ट्र-स्तरीय मंचों आदि पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की है। वर्ष के दौरान सीजीटीएमएसई ने एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं तथा उद्योग संघों के लिए देश भर में विभिन्न संगोष्ठियाँ/ कार्यशालाएं आयोजित कीं और उनके द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों, भारतीय रिज़र्व बैंक/ सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों व बैठकों में प्रतिभागिता की, ताकि ऋण गारंटी योजना के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। सीजीटीएमएसई के अधिकारियों ने अपनी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के साथ व्यवसाय विकास बैठकें भी आयोजित कीं। विभिन्न हितधारकों के मध्य सूचना के प्रचार-प्रसार हेतु खूब जोर-शोर से अभियान चलाए गए।

स्मेरा रेटिंग लिमिटेड

स्मेरा रेटिंग लिमिटेड (पूर्व में एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया) का परिचालन 2005 से भारत के एमएसएमई क्षेत्र की क्रेडिट रेटिंग पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिए हुआ। स्मेरा समग्र, पारदर्शी और भरोसेमंद रेटिंग उपलब्ध कराता है जिससे कि निवेशकों एवं ऋणप्रदाताओं दोनों को निर्णय लेने में सुविधा व विश्वास रहता है। स्मेरा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त एक रेटिंग एजेंसी है।

व्यवसायगत परिचालन

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान स्मेरा ने 6,414 रेटिंगें पूरी की हैं। संचयी रूप से अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2014 तक स्मेरा ने विभिन्न श्रेणियों, उद्योगों तथा राज्यों में फैली 27,756 एमएसएमई इकाइयों को रेटिंगें प्रदान की हैं। सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर स्मेरा विशेष ध्यान देता रहा है, जो कि इसकी कुल रेटिंग का क्रमशः 66% तथा 32% हैं।

इंडिया-एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल)

आईएसटीएसएल प्रौद्योगिकी अंतरण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन आदि से संबंधित परामर्श-समाधान प्रदान करता है।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान आईएसटीएसएल ने प्रौद्योगिकी के संबंध में एमएसएमई से प्राप्त बहुत-सी पृच्छाओं का उत्तर दिया और उनकी प्रौद्योगिकी-संबंधी ज़रूरतों के संबंध में प्रौद्योगिकी सुविधा सेवाएँ प्रदान कीं। आशा की जाती है कि आईएसटीएसएल की इन पहलकदमियों से एमएसएमई क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे टिकाऊ विकास हो सकेगा।

इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क / 'कंपनी') का प्रवर्तन मुख्यतः गैर-निष्पादक आस्तियों के अभिग्रहण के लिए तथा अपनी नवोन्मेषी प्रणालियों के माध्यम से उनका समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सिडबी द्वारा किया गया, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाना था। कंपनी 11 अप्रैल, 2008 को स्थापित हुई और इसका व्यावसायिक परिचालन 15 मई 2009 से शुरू हुआ।

आइसार्क ने 150 खातों में सम्यक श्रम के उपरान्त 94 खातों में बोलियां लगायीं। आइसार्क ने 3 बैंकों के 3 खातों में सम्यक श्रम के उपरान्त द्विपक्षीय आधार पर 3 बोलियां लगायीं। वर्ष के दौरान कंपनी ने कुल ₹260.02 करोड़ की बिक्री राशि के लिए 3 बैंकों (विक्रेता) की 42 वित्तीय आस्तियों का अभिग्रहण किया जिनमें से ₹18.61 करोड़ आइसार्क द्वारा निवेश किए गए और शेष ₹241.41 करोड़ अन्य एसआर निवेशकों (विक्रेताओं) से आए।



बूसन, कोरिया में 26वां ए. सी. एम. आई. सी. सम्मेलन

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

वर्ष के दौरान आइसार्क ने अपनी अभिगृहीत आस्तियों से ₹26.95 करोड़ की वसूली की, जबकि वित्तीय वर्ष 2012-13 और वित्तीय वर्ष 2011-12 में यह क्रमशः ₹17.85 करोड़ तथा ₹20.63 करोड़ रही थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹14.30 करोड़ की प्रतिभूति प्राप्तियों का मोचन किया गया (पिछले वर्ष ₹11.99 करोड़)। आइसार्क के प्रबंधन में ₹384.47 करोड़ की आस्तियाँ हैं जिसमें बकाया व तुलनपत्र की आस्तियाँ शामिल हैं।




तुलन-पत्र एवं लेखा-विवरण

तुलन-पत्र एवं लेखा-विवरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंकित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण अनुबंध-I में दिए गए हैं। सिडबी और इसकी सहायक संस्थाओं- सिडबी वेंचर कैपिटल लि. (एसवीसीएल) तथा सिडबी ट्रस्टी कम्पनी लि. (एसटीसीएल) और सहयोगी संस्थाओं- एसएमई रेटिंग एजेन्सी ऑफ इण्डिया लि. (स्मेरा), इण्डिया एसएमई एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (आइसार्क) एवं एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लि. (आईएसटीएसएल) व अन्य के समेकित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण अनुबंध-II में दिए गए हैं।

समग्र संविभाग में वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय ₹5,808.32 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष के ₹5,401.21 करोड़ की तुलना में अधिक है। समतुल्य अवधि में कुल व्यय ₹3,646.47 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के ₹3,361.33 करोड़ की तुलना में अधिक है। वर्ष का कर-पूर्व लाभ ₹1,539.50 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,196.28 करोड़ रहा था। वर्ष के लिए कर एवं आस्थगित कर-समायोजन-पश्चात निवल लाभ ₹1,118.27 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹837.35 करोड़ रहा था। ₹1,151.36 करोड़ के कुल वितरण-योग्य लाभ (31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के कर समायोजन के पश्चात् ₹1,118.27 करोड़ के निवल लाभ तथा ₹33.09 करोड़ के अग्रानीत लाभ सहित) में से बैंक ने ₹450 करोड़ की चुकता ईक्विटी पूँजी पर 25% का लाभांश घोषित किया, जो तत्सम्बन्धी देय लाभांश वितरण कर, अधिभार तथा उप-कर को मिलाकर ₹131.62 करोड़ होता है। वर्ष के दौरान ₹80 करोड़ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत सृजित विशेष आरक्षित में अन्तरित किए गए, ₹32.18 करोड़ निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित से अन्तरित किए गए और ₹1 करोड़ का विनियोजन स्टाफ कल्याण निधि (एसडब्ल्यूएफ) में किया गया। ₹935 करोड़ का अधिशेष आरक्षित निधि में अन्तरित किया गया और शेष ₹35.92 करोड़ लाभ-हानि खाते में धारित रखे गए।

तालिका 7.1 : तुलन पत्र आकार



लेखा-परीक्षक

बैंक के वित्तीय वर्ष 2013-14 के खातों की लेखा-परीक्षा मेसर्स हरिभक्ति एंड कं., सनदी लेखाकार, मुम्बई ने की। सांविधिक लेखा-परीक्षा करने के लिए उनकी नियुक्ति 13 जून 2013 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में सिडबी अधिनियम 1989 (यथासंशोधित) की धारा 30(1) के अनुसार की गई।

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें पृष्ठ सं. 49 व 82 पर दी गई हैं।

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

शेयर धारक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बैंक) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है। इनमें 31 मार्च 2014 तक का तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन की सच्ची और उचित स्थिति दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में उल्लिखित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए प्रबन्धन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में धोखाधड़ी के कारण अथवा त्रुटिवश तथ्यगत मिथ्या-कथन से मुक्त, सच्ची और उचित स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था करना, क्रियान्वयन व रखरखाव करना शामिल है।

लेखा-परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप संपन्न की। उन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा-परीक्षा की योजना व निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों के तथ्यगत मिथ्याकथनों से मुक्त होने के विषय में समुचित रूप से आश्वस्त हुआ जा सके।

लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों तथा प्रकटनों के संबंध में लेखा-परीक्षा विषयक प्रमाण प्राप्त करने से संबंधित प्रक्रियाएँ की जाती हैं। इन प्रक्रियाओं के चयन का निर्णय लेखा-परीक्षक करता है, जो समेकित वित्तीय विवरणों के धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश तथ्यगत मिथ्याकथन के जोखिम संबंधी आकलन पर आधारित होता है। जोखिम का आकलन करते समय लेखा-परीक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है, जो बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके उचित प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक होते हैं, ताकि संबंधित परिस्थितियों में उचित लेखा-प्रक्रियाओं का निर्धारण हो सके, किन्तु उसका उद्देश्य कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर राय देना नहीं होता। प्रबन्धन द्वारा अपनाई गई लेखा-नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन संबंधी अनुमानों के औचित्य का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्रतः प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखा-परीक्षा में समाहित होता है।

हमें विश्वास है कि हमने लेखा-परीक्षा संबंधी जो प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे लेखा-परीक्षा संबंधी हमारी राय के निर्धारण के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के अनुसार अपेक्षित जानकारी, अपेक्षित रूप में और बैंक द्वारा अपेक्षित सीमा तक प्रदान करते हैं और निम्नलिखित के संदर्भ में भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा-सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं-

- तुलन पत्र के मामले में, बैंक के कामकाज की यथा 31 मार्च 2014 की स्थिति,
- लाभ-हानि खाते के मामले में 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की स्थिति,
- नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

1. हम सूचित करते हैं कि-

- हमने वे समस्त सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे।
- हमारी राय में, जहाँ तक खाता-बहियों की जाँच से हमारे देखने में आया है, बैंक ने विधि के अनुसार अपेक्षित उपयुक्त खाता-बहियाँ तैयार की हैं।
- इस रिपोर्ट के लिए प्रयुक्त तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण खाता-बहियों के अनुरूप हैं।
- हमारी राय में इस रिपोर्ट के लिए प्रयुक्त तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3 ग) में उल्लिखित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हुए तैयार किए गए हैं और वे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14(i) की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

कृते हरिभक्ति एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 103523 डब्ल्यू

राकेश राठी

साझेदार

एम. सं. 45228

स्थान: मुंबई

दिनांक: 23 मई, 2014

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 का तुलन-पत्र

अनुबंध - I

31 मार्च, 2014 का तुलन-पत्र

(₹)

पूँजी एवं देयताएं	अनुसूचियां	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
पूँजी	I	450,00,00,000	450,00,00,000
आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां	II	8042,27,93,107	7053,29,72,648
जमा	III	17428,26,37,419	18104,87,19,905
उधार	IV	35618,03,16,388	29849,15,66,912
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	V	6271,78,62,502	6273,83,57,000
आस्थगित कर देयता		-	117,09,35,120
योग		67810,36,09,416	61848,25,51,585

आस्तियां			
नकदी एवं बैंक अतिशेष	VI	1927,72,27,801	1515,74,70,338
निवेश	VII	2947,11,49,485	2863,87,86,279
ऋण एवं अग्रिम	VIII	61270,69,95,084	56059,75,73,832
स्थिर आस्तियां	IX	194,63,94,459	198,28,99,872
अन्य आस्तियां	X	1470,18,42,587	1210,58,21,264
योग		67810,36,09,416	61848,25,51,585
आकस्मिक देयताएं	XI	6519,35,87,953	5286,06,02,658

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

XV

लेखा टिप्पणियाँ

XVI

उक्त अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 103523डब्ल्यू

यू. जे. लालवानी
देश-प्रमुख
(निगमित लेखा वर्टिकल)

एन. रामन
कार्यपालक निदेशक

एन. के. मैनी
उप प्रबंध निदेशक-प्रभारी

राकेश राठी
साझेदार
एम. सं. 045228

अनिल अग्रवाल
निदेशक

बी. मणिवन्नन
निदेशक

मुंबई, मई 23, 2014

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता

(₹)

आय	अनुसूचियाँ	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
ब्याज एवं बट्टा	XII	5618,98,41,648	5134,11,52,197
अन्य आय	XIII	189,33,22,228	267,09,74,036
योग		5808,31,63,876	5401,21,26,233
व्यय			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		3337,09,12,099	3039,25,23,188
परिचालन व्यय	XIV	309,37,57,137	322,07,40,654
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय (देखें टिप्पणी सं. 16)		622,35,23,953	843,60,25,933
योग		4268,81,93,189	4204,92,89,775
कर-पूर्व लाभ		1539,49,70,687	1196,28,36,458
आय-कर हेतु प्रावधान (देखें टिप्पणी सं. 24)		602,35,84,352	379,63,75,132
आस्थगित कर-समायोजन [(आस्ति)/देयता]		(181,13,31,566)	(20,70,65,580)
कर-पश्चात लाभ		1118,27,17,901	837,35,26,906
अग्रानीत लाभ		33,09,21,258	27,18,81,456
कुल लाभ/(हानि)		1151,36,39,159	864,54,08,362
विनियोजन			
सामान्य आरक्षिति में अन्तरण		935,00,00,000	540,00,00,000
आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षिति में अन्तरण		80,00,00,000	80,00,00,000
अन्य			
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति से अन्तरण		(3,21,801,399)	78,82,93,354
स्टाफ कल्याण निधि में अन्तरण		1,00,00,000	1,00,00,000
शेयरों पर लाभांश		112,50,00,000	112,50,00,000
लाभांश पर कर		19,11,93,750	19,11,93,750
अग्रानीत लाभ-हानि खाते में अधिशेष		35,92,46,808	33,09,21,258
योग		1151,36,39,159	864,54,08,362

प्रति शेयर मूल/विलयित अर्जन

24.85

18.61

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

XV

लेखा टिप्पणियाँ

XVI

उक्त अनुसूचियाँ लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 103523डब्ल्यू

यू. जे. लालवानी
देश-प्रमुख
(निगमित लेखा वर्टिकल)

एन. रामन
कार्यपालक निदेशक

एन. के. मैनी
उप प्रबंध निदेशक-प्रभारी

राकेश राठी
साझेदार
एम. सं. 045228

अनिल अग्रवाल
निदेशक

बी. मणिवन्नन
निदेशक

मुंबई, मई 23, 2014

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

पूंजी एवं देयताएं	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
अनुसूची I :		
पूंजी		
(क) प्राधिकृत पूंजी		
- ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/-प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	750,00,00,000	750,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 शोध्य अधिमान शेयर)	250,00,00,000	250,00,00,000
(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी		
- ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 45,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	450,00,00,000	450,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी	-	-
योग	450,00,00,000	450,00,00,000
अनुसूची II :		
आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां		
(क) आरक्षितियां		
i) सामान्य आरक्षितियां		
- अथ शेष	5503,31,73,555	4963,31,73,555
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	935,00,00,000	540,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- इति शेष	6438,31,73,555	5503,31,73,555
ii) विशेष आरक्षितियां		
क) निवेश आरक्षिति		
- अथ शेष	55,19,63,645	55,19,63,645
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- इति शेष	55,19,63,645	55,19,63,645
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
- अथ शेष	1117,00,00,000	1037,00,00,000
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	80,00,00,000	80,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- इति शेष	1197,00,00,000	1117,00,00,000
ग) अन्य आरक्षितियाँ		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति		
- अथ शेष	78,82,93,354	-
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	78,82,93,354
- वर्ष के दौरान उपयोग	32,18,01,399	-
- इति शेष	46,64,91,955	78,82,93,354
(ख) लाभ और हानि खाते में अधिशेष	35,92,46,808	33,09,21,258
(ग) निधियाँ		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
- अथ शेष	243,22,48,570	222,39,66,690
- वर्ष के दौरान परिवर्धन/प्रतिलेखन	3,88,71,453	20,82,81,880
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- इति शेष	247,11,20,023	243,22,48,570

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

ख) स्टाफ कल्याण निधि	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
– अथ शेष	22,63,72,265	22,80,55,066
– वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,00,00,000	1,00,00,000
– वर्ष के दौरान उपयोग	1,55,75,145	1,16,82,801
– इति शेष	22,07,97,120	22,63,72,265
ग) अन्य	-	-
योग	8042,27,93,107	7053,29,72,648
अनुसूची III :		
जमा		
क) सावधि जमा	928,26,37,419	2604,86,19,905
ख) बैंकों से		
क) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	15000,00,00,000	14000,01,00,000
ख) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूँजी निधि के अंतर्गत	1000,00,00,000	1000,00,00,000
ग) अन्य – विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	-	-
घ) एम एस एम ई इंडिया ऑपचुनिटीज वेंचर फण्ड के अंतर्गत	500,00,00,000	500,00,00,000
उप-योग (ख)	16500,00,00,000	15500,01,00,000
योग	17428,26,37,419	18104,87,19,905
अनुसूची IV :		
उधारियाँ		
I) भारत में उधारियाँ		
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से	5000,00,00,000	-
2. भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त ₹2,172.80 करोड़ के बॉण्ड सहित)	3161,79,92,413	3137,79,96,461
3. बॉण्ड एवं डिबेंचर	13066,60,00,000	11871,60,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
– वाणिज्यिक पत्र	3650,00,00,000	625,00,00,000
– जमा प्रमाण पत्र	-	-
– बैंकों से सावधि ऋण	905,17,89,999	5638,96,39,669
– सावधि मुद्रा उधारियाँ	-	-
– अन्य	49,93,25,569	-
उप-योग (I)	25833,51,07,981	21273,36,36,130
II) भारत से बाहर उधारियाँ		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	1314,99,52,598	1041,42,91,583
(ख) जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जाइका)	4277,84,46,222	4210,88,01,924
(ग) आईएफएडी, रोम	128,37,60,894	120,82,06,342
(घ) विश्व बैंक	3503,91,84,661	2856,98,98,451
(ड) अन्य	559,38,64,032	345,67,32,482
उप-योग (II)	9784,52,08,407	8575,79,30,782
योग (I व II)	35618,03,16,388	29849,15,66,912

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
अनुसूची V :		
अन्य देयताएं व प्रावधान		
उपचित ब्याज	362,34,55,627	518,27,52,253
अन्य (प्रावधान सहित)	4179,32,70,087	4111,61,27,707
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान	1283,11,87,410	1247,01,13,635
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	315,37,55,628	265,31,69,655
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	131,61,93,750	131,61,93,750
योग	6271,78,62,502	6273,83,57,000
आस्तियाँ		
अनुसूची VI :		
नकदी और बैंक अतिशेष		
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	7,05,464	5,85,949
2. अन्य बैंकों में अतिशेष	-	-
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	36,64,76,226	25,44,93,925
ii) अन्य निक्षेप खातों में	347,51,06,947	100,00,00,000
(ख) भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	8,63,47,523	1,00,00,675
ii) अन्य जमा खातों में	1534,85,91,641	1389,23,89,789
योग	1927,72,27,801	1515,74,70,338
अनुसूची VII :		
निवेश		
[प्रावधानों को घटाकर]		
क) राजकोषीय परिचालन		
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	378,83,78,095	276,73,22,178
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर	23,95,12,137	24,03,41,237
3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	556,38,92,000	623,38,92,000
4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	250,24,16,342	253,01,08,526
5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना	-	-
6. अन्य	825,44,66,583	784,71,38,259
उप-योग (क)	2034,86,65,157	1961,88,02,200

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
ख) व्यवसाय परिचालन		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर	62,56,61,440	62,56,61,440
2. बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	26,77,312	26,77,312
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	607,02,49,879	631,94,46,870
4. सहायक संगठनों में निवेश	1,04,98,800	1,04,98,800
5. अन्य	241,33,96,897	206,16,99,657
उप-योग (ख)	912,24,84,328	901,99,84,079
योग (क+ख)	2947,11,49,485	2863,87,86,279
अनुसूची VIII :		
ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]		
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	40383,09,61,127	37193,36,56,036
- अल्प वित्त संस्थाएँ	1169,52,05,368	1132,48,81,543
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	4749,13,22,100	5468,77,05,100
- बिलों की पुनर्भुनाई	2956,00,00,000	-
- अन्य (संसाधन सहायता)	-	-
उप-योग (क)	49257,74,88,595	43794,62,42,679
ख) प्रत्यक्ष ऋण		
- ऋण एवं अग्रिम	9144,11,95,442	8021,15,56,128
- प्राप्य वित्त योजना	2841,83,77,451	4166,07,07,253
- भुनाए गए बिल	26,99,33,596	77,90,67,772
उप-योग (ख)	12012,95,06,489	12265,13,31,153
योग (क+ख)	61270,69,95,084	56059,75,73,832
अनुसूची IX :		
स्थिर आस्तियाँ [मूल्यहास घटाकर]		
1. परिसर	192,70,47,584	196,50,76,099
2. अन्य	1,93,46,875	1,78,23,773
योग	194,63,94,459	198,28,99,872

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
अनुसूची X :		
अन्य आस्तियाँ		
उपचित ब्याज	704,74,90,615	538,80,83,962
अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	103,40,26,063	259,68,97,059
अन्य (₹64,03,96,446 की आस्थगित कर आस्ति भी शामिल है)	540,89,67,745	299,46,39,736
व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है	121,13,58,164	112,62,00,507
योग	1470,18,42,587	1210,58,21,264
अनुसूची XI :		
आकस्मिक देयताएँ		
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	135,28,35,372	94,34,05,384
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	337,45,25,203	142,36,70,719
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	52,69,03,816	9,59,10,287
iv) हमीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप	-	-
vi) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है	5993,93,23,562	5039,76,16,268
योग	6519,35,87,953	5286,06,02,658

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते की अनुसूचियाँ

(₹)

	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
अनुसूची XII :		
ब्याज और बट्टा		
1. ऋण, अग्रिमों और बिलों पर ब्याज एवं बट्टा	5383,48,58,138	4624,83,61,648
2. निवेश / बैंक अतिशेष पर आय	235,49,83,510	509,27,90,549
योग	5618,98,41,648	5134,11,52,197
अनुसूची XIII :		
अन्य आय :		
1. अपफ्रंट और कार्रवाई शुल्क	36,76,63,903	22,67,36,460
2. कमीशन और दलाली	2,09,46,605	2,36,29,982
3. निवेशों की बिक्री से लाभ	80,65,45,243	104,58,78,339
4. सहायक संस्थाओं /सहयोगी संस्थाओं से लाभांश, आदि के जरिये अर्जित आय	3,74,97,750	3,74,97,750
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	-	-
6. अन्य (संदर्भ : टिप्पणी सं 14)	66,06,68,727	133,72,31,505
योग	189,33,22,228	267,09,74,036
अनुसूची XIV :		
परिचालन व्यय :		
कर्मचारियों के लिए किए गए भुगतान और प्रावधान	190,24,08,098	223,53,72,788
किराया, कर और बिजली	16,62,40,563	21,70,09,341
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	91,79,577	92,88,164
विज्ञापन और प्रचार	2,76,13,901	2,73,00,920
बैंक की संपत्ति में मूल्यहास /परिशोधन	11,82,74,218	12,87,73,913
निदेशकों की फीस, भत्ते व व्यय	46,69,019	42,01,771
लेखापरीक्षकों की फीस	44,30,761	32,18,265
विधि प्रभार	1,26,28,111	92,17,056
डाक, कुरियर, दूरभाष, आदि	33,28,005	31,89,560
मरम्मत और रखरखाव	9,73,95,929	6,95,47,260
बीमा	44,51,363	52,35,173
सीजीटीएमएसई को अंशदान	18,74,75,000	7,77,50,000
अन्य व्यय	55,56,62,592	43,06,36,443
योग	309,37,57,137	322,07,40,654

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची XV - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा लागू की गई लेखा नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

2. राजस्व निर्धारण

क) आय

- i दाण्डिक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय उन मामलों के, जहां भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त/बिल चुकोती तुलनपत्र की तारीख को 90 दिन से अधिक समय से देय हो। ऐसे ऋण खातों की प्राप्य राशि/बिल वित्त पोषण के संबंध में ब्याज को वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया गया है। गैर निष्पादक निवेशों पर आय को छोड़कर निवेश पर ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- ii लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों हेतु प्रावधान जैसे अन्य प्रावधानों से पहले दर्शायी गई है।
- iii बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई तथा जमा प्रमाणपत्र तथा वाणिज्यिक पत्रों के संबंध में प्राप्त बड़ा राशि को लिखतों की मीयाद के अनुसार संविभाजित कर दिया गया है।
- iv मानक (निष्पादक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूंजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- v औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को वसूली के पश्चात आय माना गया है।
- vi उद्यम पूंजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- vii गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:
 - (क) गैर-निष्पादक आस्ति होने की तारीख तक अतिदेय ब्याज
 - (ख) मूलधन
 - (ग) लागत और प्रभार
 - (घ) ब्याज और
 - (ङ.) दाण्डिक ब्याज
- viii सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण और अग्रिम की बिक्री से अभिलाभ/हानि को बिक्री के समय हिसाब में लिया गया है।
- ix निवेश की बिक्री में लाभ या हानि: किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री में लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि को पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

ख) व्यय

- i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3. निवेश

- i भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को “परिपक्वता तक धारित” “बिक्री हेतु उपलब्ध” तथा “व्यापार हेतु धारित” की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है :

- क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
- ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
- ग) शेयर,
- घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड,
- ङ) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उपक्रम और
- च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, जमा प्रमाण पत्र आदि)

(क) परिपक्वता तक धारित

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी को छोड़कर, हेतु प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

(ख) व्यापार हेतु धारित

अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए व्यापार करने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को “व्यापार हेतु धारित” श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को लाभ और हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है और अलग-अलग स्क्रिप्स के बही मूल्य में तदनु रूप परिवर्तन कर दिया गया है।

(ग) बिक्री हेतु उपलब्ध

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आने वाले निवेशों को “बिक्री हेतु उपलब्ध” श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिप्स का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यहास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिप्स के बही मूल्य में परिवर्तन नहीं किया गया है।

- ii जो डिबेंचर/बॉण्ड/शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।
- iii बीज पूंजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।
- iv आंतरिक अनुमोदित नीति के अनुसार दबावग्रस्त आस्ति प्रावधान कतिपय निवेशों पर किया जाता है।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार किया गया है।

1. आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों के अनुसार परिवर्तित किया गया है।
2. आय और व्यय को वास्तविक विक्रय/क्रय के जरिए मासिक अंतरालों पर परिवर्तित किया गया है और लाभ और हानि लेखे में तदनुसार हिसाब में लिया गया है।
3. विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।
4. व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

5. व्युत्पन्नी संव्यवहार

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिये वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर मुद्रा ब्याज दर विनिमय, में व्यवहार करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

6. ऋण और अग्रिम

- 1 आस्तियों, अर्थात् ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों को उनके वसूली रिकॉर्ड के आधार पर मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों में विहित मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- 2 तुलन पत्र में उल्लिखित अग्रिम, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर हैं।
- 3 मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं।
- 4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त विवेकपूर्ण उपाय के तौर पर बैंक आंतरिक अनुमोदित नीति के अनुसार कतिपय ऐसी मानक आस्तियों के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान कर रहा है, जो दबावग्रस्त आस्तियों के वर्ग में आती हैं। दबावग्रस्त आस्तियों हेतु प्रावधान की आंतरिक नीति कतिपय संविभागों के संबंध में जोखिम बोध/जोखिम क्षमता तथा लाभ की उपलब्धता पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार 31 दिसम्बर 2013 के बाद से राज्य वित्तीय निगमों, अल्प वित्त संस्थाओं तथा प्रत्यक्ष वित्त संविभाग के मानक-विशिष्ट दबावग्रस्त खातों में खाता-विशिष्ट प्रावधान करने की प्रणाली समाप्त करने का निर्णय किया गया है। (देखें लेखा एवं भारतीय रिजर्व बैंक प्रकटन सं. ख (ज) की टिप्पणी की टिप्पणी सं. 16।)

7. कराधान

- (i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आयकर की गणना आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली संभावित राशि के आधार पर की जाती है।
- (ii) आस्थगित आयकर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतरालों के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलनपत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।
- (iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

8. प्रतिभूतीकरण

बैंक क्रेडिट रेटिंग युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति समूहों को बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थू-प्रमाणपत्रों के जरिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन लेन-देनों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की सर्विस करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हकदार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धांत के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है। बैंक वचन पत्र के रूप में भी ऋण-वृद्धि प्रदान करता है। बैंक द्वारा ऋण-वृद्धि प्रदान किए जाने या आश्रय दायित्व स्वीकार किए जाने के संबंध में "एस29- प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों" के अनुसार उपयुक्त प्रकटन किया जाता है।

बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

9. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ए आर सी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

- (i) गैर निष्पादक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।
- (ii) यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य में से धारित प्रावधान घटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर की जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को प्रतिवर्तित नहीं किया जाता है, बल्कि उसका उपयोग अन्य गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री से उत्पन्न कमी/हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

10. स्टाफ के हितार्थ प्रावधान**क. सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ**

- (i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निर्धारित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान वर्ष के लाभ और हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।
- (ii) ग्रेजुटी देयता तथा पेंशन देयता निर्धारित लाभकारी दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, छुट्टी किराया रियायत आदि का प्रावधान एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हर वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है, जो अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।
- (iii) बीमांकिक लाभ/हानि तत्काल लाभ-हानि लेखे में दर्ज किए जाते हैं और आस्थगित नहीं किए जाते हैं।
- (iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

ख. सेवा - कालिक (अल्पावधि) लाभ

अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बट्टा आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यहास

- क) स्थिर आस्तियाँ मूल्यहास घटाकर दर्शाई गई हैं।
- ख) पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान, पूंजीकरण की तिथि कोई भी होने पर, निम्नवत किया गया है:
 - (i) फर्नीचर और फिक्स्चर: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ - 100 प्रतिशत की दर से
 - (ii) कम्प्यूटर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर - 100 प्रतिशत की दर से
 - (iii) भवन-मूल्यहासित मूल्य पद्धति पर - 5 प्रतिशत की दर से
 - (iv) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ - मूल्यहासित मूल्य पद्धति पर - 50 प्रतिशत की दर से
 - (v) मोटर कार - सीधी रेखा पद्धति - 50 प्रतिशत की दर से
- ग) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यहास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है किन्तु बिक्री/निपटान के वर्ष के लिए मूल्यहास नहीं होता।
- घ) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि पर्यंत किया जाता है।

12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किये जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं।

13. अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन, करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालनगत पट्टा

पट्टा संबंधी किराये को, भुगतान के लिए देय होने पर, लाभ एवं हानि खाते में खर्च / आय के रूप में दर्शाया जाता है।

15. आस्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी अनर्जन का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके।

- अ) अनर्जक हानि, यदि कोई हो, हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा
- आ) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित अनर्जन, यदि कोई हो, हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो अनर्जक हानि का निर्धारण किया जाता है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

		31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
अनुसूची XVI लेखा की टिप्पणियाँ			
1	अनुसूची IV में उधारियों के अंतर्गत बॉण्ड व डिबेंचर में निम्नलिखित शामिल हैं :		
	क) प्रतिभूतिरहित बॉण्ड	13066,60,00,000	11871,60,00,000
	ख) पूंजीगत अभिलाभ बॉण्ड	-	-
2	अनुसूची V में अन्य देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत अन्य में निम्नलिखित शामिल हैं :		
	क) सिडबी अक्षमता सहायता निधि	2,54,46,152	2,32,58,426
	ख) सिडबी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना	11,12,62,156	10,64,61,844
3	अनुसूची में अन्य आस्तियों के अंतर्गत व्यय, जहां तक बड़े खाते नहीं डाले गए, में निम्नलिखित शामिल हैं :		
	क) आरबीआई एनआईसी (एलटीओ) के भारत सरकार के बॉण्डों में अंतरण पर प्रीमियम	51,69,43,890	58,15,61,877
	ख) अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - वाणिज्य पत्र	63,71,54,031	48,34,57,839
	ग) अप्रतिभूत बॉण्ड जारी करने पर व्यय	572,60,243	6,11,80,791
4	ब्याज व वित्तीय प्रभार		
	क) उधारियों पर ब्याज	1923,30,15,964	1769,86,27,543
	ख) जमा पर ब्याज	1053,18,29,112	962,24,56,338
	ग) वित्तीय प्रभार	360,60,67,023	307,14,39,307
	योग	3337,09,12,099	3039,25,23,188
5	अप्रावधानित पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (प्रदत्त अग्रिम को छोड़कर)	3,16,59,234	11,60,52,657
6	परिसर में परिसर अभिग्रहण से संबंधित अग्रिम राशियां ₹22,26,552 (पिछले वर्ष - ₹42,11,298) एवं प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य से संबंधित ₹7,99,28,334 (पिछले वर्ष - ₹16,76,89,229) शामिल हैं ।		
7	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) (जिसे पहले जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन -जेबीआईसी के नाम से जाना जाता था) से ऋण व्यवस्था V के अंतर्गत प्राप्त 30 बिलियन जापानी येन के विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में भारत सरकार के साथ सहमत शर्तों के अनुसार विनिमय दर उतार-चढ़ाव निधि (ईआरएफएफ) सृजित की गई है एवं उसे विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव आरक्षित निधि में शामिल किया गया है । विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण मूलधन खाते में आए ₹4,62,85,94,913 (पिछले वर्ष - ₹ 4,94,20,18,504) के अंतर को भारत सरकार की अनुमति के अनुरूप विनिमय दर उतार-चढ़ाव निधि में समायोजित किया गया है । यदि भविष्य में जरूरी हुआ, तो निधि खाते में भारत सरकार के निदेशानुसार समायोजन किया जाएगा । यदि निधि में अतिशेष अपर्याप्त रहता है, तो इसका दावा भारत सरकार से किया जाएगा ।		
8	जाइका ऋण IV के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त ₹4,36,08,88,828 (पिछले वर्ष - ₹ 4,79,69,77,710) की उधारी को तुलनपत्र में अनुसूची IV - उधारियों में अपने ऐतिहासिक रुपये मूल्य में अग्रणीत किया गया है, क्योंकि करार के अंतर्गत सिडबी की मूलधन चुकौती की देयता रुपये में ऋण और इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ के शेष के योग से अधिक होने की अपेक्षा नहीं की जाती है । इस ऋण के लिए रखे ईआरएफएफ में 31 मार्च, 2014 को शेष ₹ 3,68,63,08,330 (पिछले वर्ष - ₹3,98,57,63,489) है ।		
9	अनुसूची XIII में दी गई - वित्त वर्ष 2013-14 हेतु 'अन्य आय' में पूर्व अवधि की आय ₹1,39,39,865 (पिछले वर्ष - ₹2,21,88,707) शामिल है तथा अनुसूची XIV के अन्य व्यय वित्त वर्ष 2013-14 हेतु 'परिचालनगत व्ययों' में पूर्व अवधि की व्यय राशि ₹4,87,92,475 पिछले वर्ष - ₹1,42,12,033 शामिल है ।		

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 का तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

10	बैंक ने विश्व बैंक से 300 मिलियन डालर की ऋण-व्यवस्था की संविदा की है। यह टिकाऊ और उत्तरदायित्व पूर्ण अल्पवित्त परियोजना को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए है। इसमें 65.9 मिलियन एसडीआर (100 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर) का आईडीए का हिस्सा भी शामिल है। आईडीए ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार उधारकर्ता है और भारत सरकार सिडबी को रुपया ऋण देती है, यद्यपि करार की शर्तों के अनुरूप विनिमय जोखिम का वहन सिडबी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार यद्यपि भारत सरकार ने सिडबी को रुपया ढंड जारी किया, इसे सिडबी के खातों में सही स्थिति दर्शाने हेतु एसडीआर देयता के रूप में दर्ज किया गया, ताकि वर्ष के अंत में आंकड़ों में पुनर्मूल्यांकन अंतर उपयुक्त रूप से प्रदर्शित हो। तदनुसार उक्त ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2013 तक 94.59 मिलियन अमेरिकी डालर (₹485.30 करोड़ के बराबर) गत वर्ष 94.47 मिलियन अमेरिकी डालर (₹469.69 करोड़ के बराबर) के आहरण को भारत सरकार के प्रति रुपया देयता के रूप में दर्ज किया गया है तथा विनिमय जोखिम का बचाव सिडबी द्वारा मुद्रा ब्याज दर विनिमय के जरिए किया जा रहा है। इसे अनुसूची IV – भारत में उधारियां के अंतर्गत समूहित किया गया है।		
11	भारत सरकार ने सिडबी में ₹300 करोड़ की समूह निधि वाली “इंडिया माइक्रोफाइनेन्स ईक्विटी निधि” सृजित की है। इस निधि का उपयोग सामाजिक रुझान वाली छोटी माइक्रोफाइनेन्स कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, टियर – II तथा टियर – III की उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों व माइक्रोफाइनेन्स संस्थाओं तथा नान-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों व माइक्रोफाइनेन्स संस्थाओं को ईक्विटी सहायता अथवा किसी अन्य रूप में पूंजी प्रदान करते हुए किया जाएगा, जिनका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन तथा देश के असेवित और अल्पसेवित भागों में परिचालनों का दीर्घावधि टिकाऊपन हासिल करना है। इस निधि का परिचालन/प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाता है, जिस हेतु सिडबी को एक प्रशासनिक शुल्क प्राप्त होता है। साथ ही, आगम व निर्गम राशियों को ढंड में डेबिट/क्रेडिट किया जाता है। अतः, निवेश को हटाकर आईएमईएफ ढंड का शेष, तुलनपत्र की “अन्य देयताओं” के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा सभी लाभ / हानियां / आय/ व्यय इस निधि का हिस्सा हैं।		
12	बैंक ने कुल ₹379,00,00,000 (बही मूल्य ₹366,00,14,453) गत वर्ष ₹1,04,00,00,000 (बही मूल्य ₹1,02,34,03,203) की भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों को संपार्श्वीकृत उधार एवं ऋण बाध्यता (सीबीएलओ) हेतु क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास गिरवी रखा है। साथ ही, बैंक ने आईडीबीआई बैंक के साथ कार्यशील पूंजी व्यवस्था के अंतर्गत अपने परिचालनों के लिए आईडीबीआई बैंक के पास सावधि जमा राशियां रखी हैं।		
13	हेजिंग रणनीति के हिस्से के रूप में बैंक ने विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत आहरित विदेशी मुद्रा निधियों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में रखा है और इन निक्षेपों के प्रति भारतीय रुपये में ऋण ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली है। इन उधारों के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 को बकाया राशि ₹9,051,790,000 (गत वर्ष ₹9,39,96,39,669) थी। इन निक्षेपों पर प्राप्य ब्याज अन्तर्निहित देयताओं पर देय ब्याज से मेल खाता है।		
14	अन्य आय में – विगत वर्षों में बड़े खाते डाले गए अग्रिमों से वसूल हुए ₹52.33 करोड़ (गत वर्ष ₹73.26 करोड़) शामिल हैं।		
15	कतिपय अधिकारी फ्लैटों के हस्तांतरण विलेख विधिक मामले लंबित होने के कारण निष्पादित नहीं किए गए हैं। 31 मार्च, 2014 को इन फ्लैटों का निवल मूल्यहासित मूल्य ₹9,17,84,508 (गत वर्ष – ₹9,66,15,272) है।		
16	भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार 31 दिसंबर 2013 के बाद से राज्य वित्तीय निगमों, अल्प वित्त संस्थाओं तथा प्रत्यक्ष वित्त संविभाग के मानक विशिष्ट दबावग्रस्त खातों में खाता विशिष्ट प्रावधान करने की प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। यथा 31 दिसंबर 2013 को धारित दबावग्रस्त आस्तियों का प्रावधान ₹ 3249.70 करोड़ के चल प्रावधान के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें से ₹ 615.48 करोड़ के चल प्रावधान का उपयोग एक राज्य वित्त निगम की गैर निष्पादक आस्तियों (₹ 609.79 करोड़) एवं एक अल्प वित्त संस्था (₹ 5.70 करोड़) की गैर निष्पादक आस्तियों के प्रावधान में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों की प्राप्ति के पूर्व किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 फरवरी 2014 के परिपत्र संख्या डी बी ओ डी सं बी पी 95/21.4.48 के अनुरूप यह वर्ष 2014 में गैर निष्पादित आस्ति में रूपांतरित हो गया और यह धारित चल प्रावधान के 33% सीमा के भीतर है। आगे 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते के अंतर्गत किये गए प्रावधानों को पुनरांकन करने के पश्चात समायोजित किया गया हैं।		
17	आईएफएडी ने, 18 फरवरी, 2002 के ऋण करार के माध्यम से, सिडबी को 16.35 मिलियन एसडीआर का विदेशी मुद्रा ऋण दिया है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार, आईएफएडी ने यूएस डालर में ऋण संवितरण किया है और इसकी चुकौती एसडीआर के समतुल्य यूएस डालर में की जानी है। बैंक ने अपनी लेखा बहियों में तदनुसार लेखांकन किया है।		
18	बैंक ने प्रत्यक्ष समनुदेशन के अंतर्गत अपने अग्रिम संविभाग (प्रत्यक्ष) का विक्रय कर दिया। निम्नलिखित सारणियां, निर्दिष्ट अवधियों के लिए, बैंक द्वारा प्रवर्तक के रूप में किए गए प्रत्यक्ष समनुदेशन कार्यकलाप दर्शाती हैं।		
विवरण		31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
	आरंभिक शेष	86,78,63,862	197,46,04,691
	प्रत्यक्ष रूप से समनुदेशित कुल ऋण आस्तियों की संख्या	-	-
	प्रत्यक्ष रूप से समनुदेशित ऋण आस्तियों का बही मूल्य	-	-
	प्रत्यक्ष रूप से समनुदेशित ऋण आस्तियों से प्राप्त विक्रय मूल्य राशि	-	-
	प्रत्यक्ष समनुदेशन के कारण निवल लाभ / (हानि)	-	-

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

19	कर्मचारी लाभ “कर्मचारी लाभ” (एस 15) (2005 में संशोधित) पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक के अनुसार बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :				
(क)	सुपरिभाषित अंशदान योजना भविष्य निधि बैंक ने निम्नलिखित राशियों को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया है, जिन्हें भविष्य निधि में अंशदान के अंतर्गत शामिल किया गया है : <div>(₹)</div>				
	विवरण	31 मार्च, 2014		31 मार्च, 2013	
	भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	4,50,21,831		4,43,46,490	
(ख)	बैंक की सुपरिभाषित लाभ पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजनाएं हैं, जिनका प्रबंधन ट्रस्ट के जरिए किया जाता है । <div>(₹ करोड़)</div>				
		पेंशन		ग्रेच्युटी	
		वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013
1.	पूर्वानुमान				
	भुनाई दर - पिछली	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%
	योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल की दर - पिछली	8.70%	8.60%	8.70%	8.60%
	वेतन बढ़ोतरी - पिछली	7.00%	5.50%	7.00%	5.50%
	भुनाई दर - चालू	9.29%	8.00%	9.32%	8.00%
	योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल की दर - चालू	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%
	वेतन बढ़ोतरी - चालू	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
2.	लाभ देयता में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका				
	वर्ष के आरंभ में देयता	218.85	155.95	68.08	56.24
	ब्याज लागत	17.51	13.26	5.45	4.78
	वर्तमान सेवा लागत	10.26	13.84	4.26	2.42
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	देयता अंतरण आगम	0.00	0.00	0.00	0.00
	(देयता अंतरण निर्गम)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ)	(4.75)	(2.83)	(3.46)	(1.99)
	देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	(20.77)	38.64	(11.75)	6.63
	वर्ष के अंत में देयता	221.08	218.85	62.57	68.08

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹ करोड़)

		पेंशन		ग्रेच्युटी	
		वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013
3.	योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिकाएं				
	वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	74.12	66.58	68.86	44.92
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	6.45	5.73	5.99	3.86
	अंशदान	4.13	3.94	23.20	21.41
	अन्य कंपनी से अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00
	(अन्य कंपनी को अंतरण)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ)	(4.75)	(2.83)	(3.46)	(1.99)
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.32	0.70	0.62	0.65
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	80.27	74.12	95.21	68.86
	निर्धारित किया जाने वाला कुल बीमांकिक लाभ (हानि)	21.09	(37.94)	12.37	(5.97)
4.	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल				
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	6.45	5.73	5.99	3.86
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.32	0.70	0.62	0.65
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	6.77	6.43	6.61	4.51
5.	तुलनपत्र में निर्धारित की गई राशि				
	वर्ष के अंत में देयता	80.27	74.12	95.21	68.86
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	(221.08)	(218.85)	(62.57)	(68.08)
	अंतर	(140.82)	(144.72)	32.64	0.78
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित परिवर्ती देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलनपत्र में निर्धारित की गई निवल राशि	(140.82)	(144.72)	32.64	0.78
6.	आय विवरणी में निर्धारित व्यय				
	चालू सेवा लागत	10.26	13.84	4.26	2.42
	ब्याज लागत	17.51	13.26	5.45	4.78
	योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	(6.45)	(5.73)	(5.99)	(3.86)
	वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्ती देयता का निर्धारण	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	(21.09)	37.94	(12.37)	5.97
	लाभ और हानि लेखा में निर्धारण में लिए गए व्यय	0.22	59.30	(8.66)	9.31

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹ करोड़)

		पेंशन		ग्रेच्युटी	
		वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013
7.	तुलनपत्र समाधान				
	आरंभिक निवल देयता	144.72	89.37	(0.08)	11.32
	यथोक्त व्यय	0.22	59.30	(8.66)	9.31
	नियोक्ता का अंशदान	(4.13)	(3.94)	(23.20)	(21.41)
	तुलनपत्र में निर्धारित राशि	140.82	144.72	(32.64)	(0.78)
8.	अन्य विवरण				
	बैंक की सूचना के अनुसार वेतन बढ़ोतरी को ध्यान में रखा जाता है, जो कर्मचारियों की पदोन्नति, मांग व आपूर्ति के संबंध में उद्योग में प्रचलित परंपरा के अनुरूप होता है।				
	अगले वर्ष (12 महीने) के लिए अनुमानित अंशदान	19.94	16.31	0.00	3.48
9.	आस्तियों की श्रेणी				
	भारत सरकार आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
	कारपोरेट बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
	विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
	सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां (भारतीय जीवन बीमा निगम)	80.27	74.12	95.21	68.86
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	80.27	74.12	95.21	68.86
10.	अनुभव समायोजन				
		पेंशन			
		वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013	वित्तीय वर्ष 2012	वित्तीय वर्ष 2011
	योजनागत देयता लाभ / (हानि) पर	24.34	(2.72)	35.64	6.91
	योजनागत आस्ति (हानि) / लाभ पर	0.32	0.70	5.78	1.62
(ग)	स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं से संबंधित राशियां, जो लाभ - हानि खाते में प्रभावित की गई, इस प्रकार हैं				
	क्रमांक	विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को
	1	साधारण अवकाश नकदीकरण	5.00		10.15
	2	छुट्टी किराया रियायत	0.45		2.58
	3	बीमारी अवकाश	2.60		0.94
	4	पुनर्वास व्यय	0.00		0.00
	5	स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस)*	0.10		0.69

* अधिवास संबंधी दावों के 2% बढ़ने का अनुमान किया गया है।

20.	जैसा कि लेखांकन मानक-17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित है, बैंक ने "व्यवसाय खंड" का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है। चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है, अतः रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं। बैंक ने व्यवसाय खंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्त, अप्रत्यक्ष वित्त और ट्रेजरी - ये तीन रिपोर्टिंग खंड निर्धारित किए हैं। ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किए गए हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा पुनर्वर्गीकृत किया गया है। (₹ करोड़)								
	कारोबारी खंड	प्रत्यक्ष वित्त		अप्रत्यक्ष वित्त		ट्रेजरी		योग	
	विवरण	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013
1	खंड राजस्व	1437	1365	4118	3420	253	616	5,808	5,401
	असाधारण मदें							-	-
	योग							5,808	5,401
2	खण्ड परिणाम	346	348	1208	825	91	111	1,645	1,284
	असाधारण मदें								-
	योग							1,645	1284
	अविनिधानीय खर्चे							106	88
	परिचालनगत लाभ							1,539	1,196
	आयकर (पुनरांकन के बाद)							421	359
	निवल लाभ							1,118	837
3	अन्य सूचनाएं								
	खंड आस्तियां	15103	12433	48355	45970	3416	2573	66,874	60,976
	अविनिधानीय आस्तियां							936	872
	कुल आस्तियां							67,810	61,848
	खंड देयताएं	13246	9774	42299	41517	3104	2102	58,649	53,393
	अविनिधानीय देयताएं							670	820
	योग							59,319	54,213
	पूंजी / आरक्षितियां	1930	2668	6179	4491	382	476	8,491	7,635
	योग							8,491	7,635
	कुल देयताएं							67,810	61,848
21	संबंधित पार्टी संव्यवहार "संबंधित पार्टी प्रकटन" के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार, बैंक के संबंधित पक्ष निम्नवत हैं -								
क	सहायक संस्थाएं :								
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)								
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)								
ख	सहयोगी संगठन								
1	भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यम आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (आईएसएआरसी)								
2	एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्मेरा)								
3	भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी सेवा लिमिटेड (आईएसटीएसएल)								

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

ग	बैंक के प्रमुख प्रबंध कार्मिक :					
1	श्री एस. मुहनोत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (8 नवंबर, 2013 तक)					
2	श्री एन. के. मैनी, उप प्रबंध निदेशक – प्रभारी					
3	श्री टी. आर. बजालिया, उप प्रबंध निदेशक (31 दिसंबर, 2013 तक)					
	उपरोक्त सूची में सरकार नियंत्रित उद्यम शामिल नहीं हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक-18 के परिच्छेद 9 द्वारा छूट प्राप्त हैं ।					
घ	संबद्ध पक्षों के लेनदेन से संबंधित विवरण का प्रकटीकरण :					
क)	वर्ष के दौरान बैंक के प्रमुख प्रबंध कार्मिकों को प्रदत्त सकल वेतन, जिसमें अनुलाभ भी शामिल हैं, निम्नवत हैं :					
	(₹)					
		वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13			
1)	श्री एस. मुहनोत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (08 नवंबर, 2013 तक)	10,92,533	26,42,975			
2)	श्री एन. के. मैनी, उप प्रबंध निदेशक	23,79,136	21,13,512			
3)	श्री टी. आर. बजालिया, उप प्रबंध निदेशक (31 दिसंबर, 2013 तक)	11,86,352	7,17,450			
ख)	उपर्युक्त व्यक्तियों को मंजूर ऋणों की 31 मार्च को बकाया राशियां	शून्य	शून्य			
ग)	प्रमुख प्रबंध कार्मिकों को वित्त वर्ष के दौरान मंजूर किए गए ऋणों पर ब्याज	शून्य	शून्य			
घ)	बैंक के प्रमुख प्रबंध कार्मिकों के संबंध में यथा 31 मार्च को सावधि जमा के अंतर्गत बकाया शेष :					
	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13			
	वर्ष के दौरान स्वीकार जमा	16,04,134	37,58,628			
	वर्ष के दौरान वापसी अदायगी	11,25,000	8,22,743			
	इति शेष	56,22,762	51,43,628			
	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	5,90,384	4,68,552			
ङ	संबद्ध पक्ष	सहायक संस्थाएं		सहयोगी संस्थाएं		
	विवरण	एसवीसीएल	एसटीसीएल	स्मेरा	आईएसएआरसी	आईएसटीएसएल
	शेयरों में निवेश					
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	वर्ष के अंत में बकाया	1,00,00,000	5,00,000	5,10,00,000	15,00,00,000	1,00,00,000
		(1,00,00,000)	(5,00,000)	(5,10,00,000)	(15,00,00,000)	(1,00,00,000)
	प्राप्त आय					
	बैंक द्वारा प्राप्त राशि	4,88,44,394	90,000	62,38,551	81,96,299	-
		(4,65,13,178)	(1,00,000)	(60,98,446)	(70,77,717)	-
	वर्ष के अंत में प्राप्य राशियां	-	-	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	व्ययों की प्रतिपूर्ति					
	बैंक द्वारा दावाकृत राशि	23,12,964	-	-	43,45,513	18,61,469
		(5,41,674)	(-)	(-)	(6,48,640)	(38,52,852)
	वर्ष के अन्त में प्राप्य राशियाँ	-	-	-	15,178	39,44,583
		(960)	(-)	(-)	(6,34,576)	(34,90,794)

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

ड	संबद्ध पक्ष	सहायक संस्थाएं		सहयोगी संस्थाएं		
	विवरण	एसवीसीएल	एसटीसीएल	स्मेरा	आईएसएआरसी	आईएसटीएसएल
	व्ययों का भुगतान बैंक द्वारा प्रदत्त राशि – शुल्क /कमीशन	24,19,510 (22,27,423)	- -	- (4,00,000)	- -	- (7,25,239)
	– ब्याज	- (46,45,503)	- (16,40,452)	- (-)	- (79,74,179)	- -
	वर्ष के अंत में देय – शुल्क /कमीशन	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	– ब्याज	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	जमा वर्ष के दौरान प्राप्त	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	वर्ष के दौरान वापसी	- (4,78,10,000)	- (1,68,83,000)	- (-)	- (8,07,58,957)	- (-)
	वर्ष के अन्त में बकाया	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	(कोष्ठकों में दी गई राशियां पिछले वर्ष की हैं)					
22	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (लेखांकन मानक 20)* :			31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013	
	प्रति शेयर अर्जन परिकलन के लिए निवल लाभ (₹)			1118,27,17,901	837,35,26,906	
	₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की संख्या			45,00,00,000	45,00,00,000	
	प्रति शेयर अर्जन (₹)			24.85	18.61	
	* मूलभूत प्रतिशेयर अर्जन तथा अवमिश्रित प्रति शेयर अर्जन समान हैं, क्योंकि अवमिश्रणीय संभावित इक्विटी शेयर नहीं हैं ।					
23	लेखांकन मानक 22-आय पर कर हेतु लेखांकन की अपेक्षाओं के अनुसार, बैंक ने आस्थगित कर व्यय / बचत की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेख में ₹1,81,13,31,566/- की राशि (पिछले वर्ष आस्थगित कर देयता ₹20,70,65,580 थी) आस्थगित कर आस्ति मानी है । यथा 31 मार्च, 2014 को आस्थगित कर आस्ति/(देयता) के अलग-अलग घटक निम्नलिखित हैं :					
	समय अंतर			31.03.2014 को आस्थगित कर आस्ति /(देयता)	31.03.2013 को आस्थगित कर आस्ति /(देयता)	
क)	मूल्यहास के लिए प्रावधान			(4,48,16,723)	(4,80,06,842)	
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति			(334,41,91,476)	(306,00,03,750)	
ग)	अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान			333,22,13,509	125,78,32,600	
घ)	भारत सरकार के बॉण्डों पर प्रीमियम का परिशोधन			(17,57,09,228)	(19,76,72,882)	
ङ)	खातों की पुनर्संरचना हेतु प्रावधान			16,46,37,417	16,46,37,417	
च)	अन्य			70,82,62,948	71,22,78,338	
	निवल आस्थगित कर आस्ति /(देयता)			64,03,96,447	(117,09,35,120)	

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

24	आयकर हेतु प्रावधान में शामिल है :			
	क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13
	(i)	चालू आयकर प्रावधान	602,99,57,094	521,55,64,002
	(ii)	गत वर्षों हेतु किए गए कम /(बेशी) आयकर प्रावधान	(63,72,742)	(141,91,88,870)
25	आकस्मिक देयताएं ₹1,30,17,60,225 (गत वर्ष - ₹88,70,74,231) की हैं, जिसमें आयकर एवं सेवाकर की देयता शामिल है। बैंक इससे सहमत नहीं है और विशेषज्ञ की राय के आधार पर प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। इसमें ₹50,66,98,988/- (गत वर्ष - ₹50,66,51,835) शामिल हैं, जो आयकर विभाग द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर अपील से संबंधित है।			
26	प्रबंधन की राय में, लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि के नजरिए से, बैंक की स्थिर आस्तियों की कोई भौतिक हानि नहीं हुई है।			
27	आकस्मिक देयताओं के प्रावधान के संबंध में लेखांकन मानक - 29 के अंतर्गत प्रकटन (₹)			
	विवरण		बकाया वेतन/ प्रोत्साहन	अन्य प्रावधान
	आरंभ शेष		99,59,800	4,36,60,598
	परिवर्धन :		29,10,00,000	0.00
	उपयोग :		16,321	0.00
	पुनरांकन :		0.00	0.00
	अंतिम शेष		30,09,43,479	4,36,60,598
	अन्य प्रावधान में सामान्य व्यवसाय की प्रक्रिया में बैंक पर किए गए वे दावे शामिल हैं जो विभिन्न विधिक मामलों और ऐसे अन्य दावों से संबंधित हैं, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।			
28	वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है।			
29	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ग्राहकों से प्राप्त, निपटाई गई तथा लंबित शिकायतों के विवरण			
	विवरण		वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013
	वर्ष के आरंभ में शिकायतों की संख्या		8	3
	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		52	55
	घटाइए : वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या		52	50
	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें		8	8
30	निवेशकों की शिकायतें : दिनांक 1 अप्रैल, 2013 तक, बैंक के पास निवेशकों से प्राप्त तीन शिकायतें लंबित थीं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, निवेशकों से तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा वर्ष के दौरान तीन शिकायतों का निपटारा किया गया। इस प्रकार मार्च 31, 2014 को बैंक के पास तीन शिकायतें निपटारा हेतु लंबित हैं।			
31	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 में भारतीय लघु उद्योग विकास सहायता निधि (एसआईडीएफ) तथा सामान्य निधि के अंतर्गत लेखों के प्रस्तुतीकरण हेतु अलग प्रारूप विनिर्दिष्ट है। चूंकि केन्द्र सरकार ने अलग से कोई एसआईडीएफ अधिसूचित नहीं किया है, अतः सिडबी उसे नहीं रखता है।			
32	जहां जरूरत पड़ी है, वहाँ गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन और पुनर्वर्गीकरण किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलना-योग्य बनाया जा सके।			

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹ करोड़)

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण					
क.	पूँजी	वित्तीय वर्ष 2013-14		वित्तीय वर्ष 2012-13	
	क) जोखिम आस्तियों के प्रति पूँजी अनुपात (सीआरएआर)	30.75%		28.14%	
	मुख्य सीआरएआर	29.65%		27.02%	
	अनुपूरक सीआरएआर	1.10%		1.12%	
	ख) जुटाए गए गौण ऋण की राशि तथा टियर-II पूँजी के रूप में बकाया राशि	शून्य		शून्य	
	ग) जोखिम भारित आस्तियाँ-तुलन-पत्र में समाहित और इससे इतर मदों हेतु पृथक-पृथक				
	तुलन-पत्र में	30,092.50		30,566.65	
	तुलन-पत्र के अलावा	645.06		350.53	
	घ) तुलन-पत्र की तिथि को शेयर धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या		शेयर धारिता का प्रतिशत	
	वित्तीय संस्थाएं	2,39,00,000		5.31	
	बीमा कंपनियां	9,84,50,000		21.88	
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	32,76,50,000		72.81	
	योग	45,00,00,000		100.00	
ख.	आस्ति गुणवत्ता और ऋण संकेन्द्रण				
		वित्तीय वर्ष 2013-14		वित्तीय वर्ष 2012-13	
	क) निवल ऋण और अग्रिमों के प्रति निवल गैर-निष्पाक आस्तियों का प्रतिशत	0.45		0.53	
	ख) प्रावधान कवरेज अनुपात	88%*		84%	
	* प्रावधान कवरेज अनुपात की गणना करते समय 31 मार्च 2014 को धारित चल प्रावधान को हिसाब में नहीं लिया गया।				
	ग) निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अंतर्गत, निवल अग्रिमों की तुलना में निवल गैर-निष्पादक आस्तियों की राशि और उनका प्रतिशत				
		वित्तीय वर्ष 2013-14		वित्तीय वर्ष 2012-13	
	श्रेणी	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
	अव-मानक आस्तियाँ *	206.82	0.34	277.07	0.49
	संदिग्ध आस्तियाँ *	70.23	0.11	22.08	0.04
योग	277.05	0.45	299.15	0.53	
* गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचित खातों से संबंधित समायोजित प्रावधान. वित्तीय वर्ष 2013-14 की निवल गैर निष्पादक आस्तियां शून्य होंगी, यदि चल प्रावधान राशि को उसके साथ समायोजित किया जाए।					
घ) वर्ष के दौरान, मानक आस्तियों, गैर-निष्पादक आस्तियों, निवेशों (अग्रिम की प्रकृति से इतर निवेश) और आय कर के लिए किए गए प्रावधानों की राशि					
विवरण		वित्तीय वर्ष 2013-14		वित्तीय वर्ष 2012-13	
मानक आस्तियाँ *		411.77		673.36	
गैर-निष्पाक आस्तियाँ **		784.09		350.09	
निवेश		41.98		159.40	
खातों की पुनर्संरचना		-		19.02	
आयकर (आस्थगित कर तथा अतिरिक्त प्रावधानों, यदि हों, के पुनरांकन सहित)		421.23		358.93	
* आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के संबंध में किया गया ₹ 50.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 31.02 करोड़) का सामान्य प्रावधान इसमें शामिल है।					
** प्रावधान का पुनरांकन घटा कर ₹116.22 करोड़ (गतवर्ष ₹68.86 करोड़)					

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹ करोड़)

ड) गैर निष्पादक आस्तियों में परिवर्तन		
विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में सकल गैर निष्पादक आस्तियाँ	554.29	373.51
जोड़िये : वर्ष के दौरान परिवर्धन	995.48	621.81
उप जोड़ (क)	1549.78	995.32
घटाइये :-		
i) उन्नयन	49.15	69.29
ii) वसूलियाँ (उन्नयन खातों से वसूलियों को छोड़कर)	183.40	79.86
iii) बट्टे खाते डाले गए	161.24	291.87
iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त जो बट्टे खाते डाले गए	2.87	0.00
उप जोड़ (ख)	396.66	441.02
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सकल गैर निष्पादक आस्तियाँ (क-ख)	1153.12	554.29
च) गैर निष्पादक आस्तियों के प्रावधान में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर किये गये प्रावधानों को छोड़कर)		
विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अथ शेष	247.02	188.80
जोड़िये : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	900.31	418.94
घटाइये : बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	280.32	360.72
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष	867.01	247.02
छ) निवल गैर निष्पादक आस्तियों में परिवर्तन		
विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अथ शेष	299.15	183.92
जोड़िये : वर्ष के दौरान परिवर्धन	95.18	202.86
घटाइये : वर्ष के दौरान कमी	116.34	80.30
घटाइये : गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत पुनर्संचित खातों के उचित मूल्य गिरावट हेतु प्रावधान *	0.94	7.33
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष	277.05	299.15
* गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत पुनर्संचित खातों के उचित मूल्य में गिरावट हेतु प्रावधान की राशि यथा 31 मार्च, 2014, ₹ 9.06 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2013 को आरंभिक शेष में से पहले ही सक्रिय राशि ₹ 8.12 करोड़, थी। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के आंकड़ों की गणना की गई है।		

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹ करोड़)

ज) चल प्रावधानों में परिवर्तन					
विवरण		वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13		
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अथ शेष		-	-		
जोड़िये : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान/वर्ष के दौरान दबावग्रस्त आस्ति प्रावधानों से अंतरित प्रावधान *		3249.7	-		
घटाइये : वर्ष के दौरान आहरण द्वारा की गई कमी का उद्देश्य व राशि		609.79	-		
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष		2,639.91	-		
<p>* भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार 31 दिसंबर 2013 के बाद से राज्य वित्तीय निगमों, अल्प वित्त संस्थाओं तथा प्रत्यक्ष वित्त संविभाग के मानक विशिष्ट दबावग्रस्त खातों में खाता विशिष्ट प्रावधान करने की प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। यथा 31 दिसंबर 2013 को धारित दबावग्रस्त आस्तियों का प्रावधान ₹ 3249.70 करोड़ के चल प्रावधान के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें से ₹ 615.48 करोड़ के चल प्रावधान का उपयोग एक राज्य वित्त निगम की गैर निष्पादक अस्तियों (₹ 609.79 करोड़) एवं एक अल्प वित्त संस्था (₹ 5.70 करोड़) की गैर निष्पादक आस्तियों के प्रावधान में, भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों की प्राप्ति के पूर्व किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 फरवरी 2014 के परिपत्र संख्या डीबीओडीसंबीपी 95/21.04.048 के अनुरूप यह वर्ष 2014 में गैर निष्पादित आस्ति में रूपांतरित हो गया और यह धारित चल प्रावधान के 33% सीमा के भीतर है। आगे 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते के “प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएँ” के अंतर्गत किये गए प्रावधानों को पुनरांकन करने के पश्चात समायोजित किया गया है।</p>					
ग.	ऋण एक्सपोजर				
क) निम्नलिखित के बारे में पूँजी निधियों और कुल आस्तियों के प्रति ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत :					
क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14		वित्तीय वर्ष 2012-13	
		कुल आस्तियों के % के रूप में	पूँजी निधियों के % के रूप में	कुल आस्तियों के % के रूप में	पूँजी निधियों के % के रूप में
1	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	12.77	82.19	10.51	67.70
	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ हैं, अतः आस्ति उधारकर्ता समूह की अवधारणा लागू नहीं है।			
2	10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	50.86	327.24	43.69	281.45
	10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ हैं, अतः उधारकर्ता समूह की अवधारणा लागू नहीं है।			
ख) कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों (यदि लागू हो) को प्रदत्त ऋण					
उद्योग का नाम		वित्तीय वर्ष 2013-14		वित्तीय वर्ष 2012-13	
		बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों के प्रति %	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों के प्रति %
धातु उत्पाद		3,242.65	5.29	739.51	6.03
परिवहन उपकरण		1,820.46	2.97	1,608.59	13.12
विद्युत उत्पादन		1,497.07	2.44	1,404.44	11.45
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण *		1,444.00	2.36	571.93	4.66
वस्त्र उद्योग (जूट सहित)		1,254.14	2.05	1,323.89	10.79
* वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाँच सबसे बड़े उद्योगों में शामिल नहीं था।					

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹ करोड़)

घ.	जमा, अग्रिम, एक्स्पोज़र एवं एनपीए का संकेंद्रण		
	क) जमा संकेंद्रण	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13
	बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के कुल जमा (₹ करोड़)	702.28	2361.71
	बैंक के कुल जमा के प्रति बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के जमा का प्रतिशत	75.66	90.66
	ख) अग्रिमों का संकेंद्रण	FY 2013-14	FY 2012-13
	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम (₹ करोड़)	46,628.32	34,471.25
	बैंक के कुल अग्रिम के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत	76.10	61.49
	ग) एक्स्पोज़र का संकेंद्रण	FY 2013-14	FY 2012-13
	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्स्पोज़र (₹ करोड़)	46,634.80	34,472.03
	उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल ऋण एक्स्पोज़र के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों में ऋण जोखिम का प्रतिशत	55.32	53.60
	घ) गैर निष्पादक आस्तियों का संकेंद्रण - शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्स्पोज़र (₹ करोड़)	815.73	204.17
	ङ) क्षेत्रवार गैर-निष्पादक आस्तियाँ		
	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13
		उस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत	
	कृषि और सहवर्ती गतिविधियाँ/उद्योग (सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बड़े)	-	-
	उद्योग (सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े)	2.12	0.74
	सेवाएँ	0.95	6.37
	वैयक्तिक ऋण	-	-
	च) विवेकपूर्ण बट्टे खाते वाले खातों में परिवर्तन		
	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13
	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में विवेकपूर्ण बट्टे खाते	1,312.61	1,107.30
	जोड़िए : वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण बट्टे खाते	161.24	291.87
	उप जोड़ (क)	1,473.85	1,399.17
	घटाइए : वास्तविक बट्टे खाते	210.91	13.39
	घटाइए : वर्ष के दौरान गतवर्षों के विवेकपूर्ण बट्टे खाते से की गयी वसूलियाँ	52.33	73.17
	उप जोड़ (ख)	263.24	86.56
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विवेकपूर्ण बट्टे खाते (क - ख)	1,210.61	1,312.61
	छ) विदेशों में आस्तियाँ, गैर-निष्पादक आस्तियाँ तथा राजस्व		
	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13
	कुल आस्तियाँ	-	-
	कुल गैर-निष्पादक आस्तियाँ	-	-
	कुल राजस्व	-	-

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹ करोड़)

		वित्तीय वर्ष 2013-14		वित्तीय वर्ष 2012-13		
		प्रायोजित एसपीवी का नाम		प्रायोजित एसपीवी का नाम		
		घरेलू	विदेशों में	घरेलू	विदेशों में	
	ज) तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित किया जाना है)	-	-	-	-	
ड.	निवेश					
	क) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों की अपेक्षा अनुसार निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:					
	विवरण	वित्तीय वर्ष 13-14		वित्तीय वर्ष 12-13		
	i) परिपक्वता हेतु धारित	796.57		762.37		
	ii) बिक्री हेतु उपलब्ध	2,542.40		2,363.42		
	iii) व्यापार हेतु धारित	-		92.65		
	iv) अन्य	-		-		
	योग	3,338.97		3,218.44		
	ख) निवेशों में मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान					
	विवरण	वित्तीय वर्ष 13-14		वित्तीय वर्ष 12-13		
	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अथ शेष	40.62		119.45		
	जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	32.18		-78.83		
	जोड़िए : निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखा से विनियोग, यदि कोई हो	-		-		
	घटाइए : वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	0.93		-		
	घटाइए : निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखा में अंतरण, यदि कोई हो	-		-		
	घटाइए : वित्तीय वर्ष के दौरान जी-सेक को एफएस से एचटीएम में अंतरित करने के कारण किए गए विनियोग	-		-		
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष	71.87		40.62		
	ग) किए गए निवेश के संबंध में जारीकर्ता श्रेणियाँ :					
	जारीकर्ता	राशि	निम्नलिखित की राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए निवेश	निवेश ग्रेड से नीचे की धारित प्रतिभूतियाँ	बिना रेटिंग वाली धारित प्रतिभूतियाँ	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	469.52	0.00	-	-	0.00
	वित्तीय संस्थाएँ	349.98	269.98	-	-	235.16
	बैंक	664.93	161.00	-	-	0.00
	निजी कंपनियाँ	727.66	656.74	-	9.73	544.02
	सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम	1.05	1.05	-	-	1.05
	अन्य	737.17	0.00	-	-	352.50
	उप-जोड़	2,950.31	1,088.77	-	9.73	1,132.72
	मूल्यहास के प्रति धारित प्रावधान	(72.80)	-	-	-	-
	योग	2,877.51	1,088.77	-	9.73	1,132.72
	घ) गैर निष्पादक निवेश :					
	विवरण	वित्तीय वर्ष 13-14		वित्तीय वर्ष 12-13		
	वित्तीय वर्ष के आरंभ में अथ शेष	319.14		132.43		
	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	4.40		188.54		
	उक्त अवधि में कमी	3.54		1.83		
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष	319.99		319.14		
	धारित कुल प्रावधान	297.89		291.84		
	ड) एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री व अंतरण :					
	भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशानुसार बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उद्यम पूंजी निधियों में निवेशों को एचटीएम से एफएस श्रेणी में अंतरित किया। उर्पयुक्त के अलावा एचटीएम श्रेणी से/को निवेश का कोई अंतरण नहीं हुआ।					

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹ करोड़)

च. पुनर्संचित खाते																						
क्रम	पुनर्संचना का प्रकार →		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई पुनर्संचना तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण ↓																					
1	वि.व. के लिए 1 अप्रैल को पुनर्संचित खाते (प्रारंभिक संख्या)*	उधारकर्ताओं की संख्या	11	4	1	-	16	-	-	-	-	-	136	41	16	-	193	147	45	17	-	209
		बकाया राशि	666.31	90.87	1.38	-	758.56	-	-	-	-	-	1,048.32	89.40	25.91	-	1,163.63	1,714.63	180.27	27.30	-	1,922.20
		उनपर प्रावधान	13.02	7.08	-	-	20.10	-	-	-	-	-	2.79	0.56	0.32	-	3.67	15.82	7.64	0.32	-	23.78
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संचित मामले	उधारकर्ताओं की संख्या	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	83	7	2	-	92	83	8	3	-	94
		बकाया राशि	2.27	15.05	68.97	-	86.29	-	-	-	-	-	152.08	19.64	6.05	-	177.77	154.35	34.69	75.02	-	264.06
		उनपर प्रावधान	-	-	7.92	-	7.92	-	-	-	-	-	1.55	0.29	0.07	-	1.91	1.55	0.29	7.99	-	9.83
3	वि.व. के दौरान पुनर्संचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-2	-4	-	-	6	-2	-4	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.83	(24.52)	(8.31)	-	-	32.83	(24.52)	(8.31)	-	-
		उनपर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	(0.09)	(0.21)	-	-	0.30	(0.09)	(0.21)	-	-
4	पुनर्संचित खाते जिनपर वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार नहीं है, तथा अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संचित खातों के रूप में नहीं दिखना है।	उधारकर्ताओं की संख्या	-1				-1	-				-	-19				-19	-20				-20
		बकाया राशि	(103.66)				(103.66)	-				-	(51.72)				(51.72)	(155.38)				(155.38)
		उनपर प्रावधान	-				-	-				-	(0.20)				(0.20)	(0.20)				(0.20)
5	वि.व. के दौरान पुनर्संचित खातों का दर्जा घटाना	उधारकर्ताओं की संख्या	-1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-19	4	15	-	-	-20	5	15	-	-
		बकाया राशि	(40.65)	40.65	-	-	-	-	-	-	-	-	(50.69)	(4.05)	54.74	-	-	(91.34)	36.60	54.74	-	-
		उनपर प्रावधान	(1.96)	1.96	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.40)	0.32	0.08	-	-	(2.36)	2.28	0.08	-	-
6	वि.व. के दौरान पुनर्संचित खातों को बड़े खाते में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	-2	-2	-1	-	-5	-	-	-	-	-	-20	-22	-7	-	-49	-22	-24	-8	-	-54
		बकाया राशि	(108.32)	(62.30)	(1.38)	-	(172.00)	-	-	-	-	-	(46.68)	(7.20)	(9.49)	-	-63.37	(155.00)	(69.50)	(10.88)	-	(235.38)
		उनपर प्रावधान	(11.06)	(8.63)	-	-	(19.69)	-	-	-	-	-	(1.17)	(0.60)	(0.11)	-	-1.88	(12.24)	(9.23)	(0.11)	-	(21.58)
7	वि.व. की मार्च 31 को पुनर्संचना खाते (अंतिम संख्या*)	उधारकर्ताओं की संख्या	7	4	1	-	12	-	-	-	-	-	167	28	22	-	217	174	32	23	-	229
		बकाया राशि	415.95	84.27	68.97	-	569.19	-	-	-	-	-	1,084.14	73.27	68.90	-	1,226.31	1,500.09	157.54	137.87	-	1,795.50
		उनपर प्रावधान	-	0.41	7.92	-	8.33	-	-	-	-	-	2.87	0.48	0.15	-	3.50	2.87	0.89	8.07	-	11.83

* मानक पुनर्संचित अग्रिमों के आँकड़ों को छोड़, जिन पर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार नहीं लगता (यदि लागू हो)।

टिप्पणी : क्रमांक 2 के आँकड़ों में वर्तमान में पुनर्संचित उधारकर्ताओं के ₹ 7.07 करोड़ (12 खातों) की नयी अतिरिक्त मजूरियाँ और वर्तमान उधारकर्ताओं के सदर्भ में राशि ₹ 7.52 करोड़ एवं ₹ 0.24 करोड़ के प्रविचार शामिल हैं क्रम सं. 6 पर दिए गए आँकड़ों में ₹164.07 करोड़ शामिल है (29 ऋणकर्ता तथा ₹14.87 करोड़ के प्रावधान) जो कि वसूली के रूप में मौजूदा पुनर्संचित खातों में से कमी / वसूली है।

छ.	क) प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्निमाण कंपनी को बेची गई आस्तियाँ		
	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13
	खातों की संख्या	-	-
	प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्निमाण कंपनी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान के बाद)	-	-
	कुल प्रतिफल	-	-
	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अंतरित अतिरिक्त प्राप्त प्रतिफल	-	-
	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	-	-

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹ करोड़)

ख) निगमित ऋण पुनर्संरचना						
क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14			वित्तीय वर्ष 2012-13	
(i)	सीडीआर के अंतर्गत पुनर्संरचना के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि	673.74			758.56	
(ii)	सीडीआर के अधीन मानक आस्तियों की कुल राशि	520.5*			666.31	
(iii)	सीडीआर के अधीन अवमानक आस्तियों की कुल राशि	153.24			92.25	
	* इसमें लेखा हेतु ₹104.55 करोड़ की राशि शामिल है, जिसके लिये उच्चतर प्रावधान जरूरी नहीं हैं।					
ज.	तरलता					
	रुपया और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं का परिपक्वता स्वरूप (जैसा प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया और लेखा परीक्षकों ने जिस पर विश्वास किया)					
मर्दे	1 वर्ष से कम या उसके बराबर	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	46,918	16,442	4,586	1,572	3,586	73,104
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (समतुल्य रुपये)						
डॉलर	1,328	551	270	1,068	1,025	4,242
यूरो	552	699	473	190	162	2,076
येन	441	488	594	590	1,254	3,367
ब्रिटिश पाउंड	1	67	-	-	-	68
कुल आस्तियाँ	49,240	18,247	5,923	3,420	6,027	82,857
रुपया देयताएँ	26,686	23,589	2,993	3,552	17,454	74,274
विदेशी मुद्रा देयताएँ (समतुल्य रुपये)						
डॉलर	938	211	209	926	1,680	3,964
यूरो	294	540	519	135	342	1,830
येन	179	505	653	649	1,348	3,334
ब्रिटिश पाउंड	-	-	-	-	-	-
कुल देयताएँ	28,097	24,845	4,374	5,262	20,824	83,402
झ.	परिचालन परिणाम					
	क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14		वित्तीय वर्ष 2012-13	
क)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय*	8.88		8.62		
ख)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.21		0.32		
ग)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (प्रावधान पूर्व)	3.38		3.38		
घ)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान के लिए प्रावधान पूर्व)	2.41		1.98		
ड)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	1.07		0.79		
* ब्याज आय में अशोध्य ऋणों से वसूली गई राशि भी शामिल है।						

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹ करोड़)

ज.	वायदा दर करार और ब्याज दर विनिमय			
	क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13
	i)	बकाया लेन-देनों की संख्या	-	-
	ii)	कुल बकाया अनुमानित मूलधन (₹ करोड़)	-	-
	iii)	विनिमयों की प्रकृति	-	-
	iv)	शर्तें	-	-
	v)	लेखांकन नीति	-	-
	vi)	दायित्व पूरा करने में प्रति-पक्षकारों के विफल रहने पर होने वाली हानि (₹ करोड़)	-	-
	vii)	विनिमय करने के लिए अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	-	-
	viii)	विनिमय से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	-	-
	ix)	विनिमय बही का उचित मूल्य (₹ करोड़)	-	-
ट.	ब्याज दर व्युत्पन्नों के संबंध में विवरण :			
	विवरण		वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13
	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)		-	-
	यथा 31 मार्च, बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)		-	-
	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)		-	-
	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार)		-	-
ठ.	व्युत्पन्नों में जोखिम का प्रकटीकरण			
	क. गुणात्मक प्रकटीकरण			
	(i) बैंक अपनी आस्तियों एवं देयताओं में असंतुलन से हुए ब्याज दर तथा विनिमय जोखिम की बचाव-व्यवस्था व्युत्पन्न का इस्तेमाल करके करता है। बैंक के सभी व्युत्पन्न उन विदेशी मुद्रा उधार के प्रति जोखिम बचाव के लिए हैं, जो एमटीएम नहीं हैं किन्तु केवल परिवर्तित हैं। बैंक व्युत्पन्नों का व्यापार नहीं करता है।			
	(ii) आंतरिक नियंत्रण दिशा-निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित की जाती हैं। व्युत्पन्न संरचनाओं का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है। व्युत्पन्नों के सौदों संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति/बोर्ड को भी दी जाती है।			
	(iii) बैंक ने व्युत्पन्न सौदों से हुए जोखिम से निपटने के लिये प्रणालियां निर्धारित की हैं। बैंक व्युत्पन्न सौदों से होने वाले लेन-देनों का लेखांकन उपचय पद्धति के अनुसार करता है।			
	(iv) वर्ष की समाप्ति पर मार्क टू मार्केट हानियों, यदि कोई है, के लिये प्रावधान किये जाते हैं।			

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹ करोड़)

ख. मात्रात्मक प्रकटीकरण		वित्तीय वर्ष 2013-14		वित्तीय वर्ष 2012-13	
क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि)				
	(i) बचाव के लिए	5,993.93	-	5,039.76	-
	(ii) व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]				
	(i) आस्ति (+)	537.71	-	236.16	-
	(ii) देयता (-)	-	-	-	-
3	ऋण जोखिम [2]	857.99	-	568.26	-
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पीवी 01)				
	(i) बचाव व्युत्पन्नो पर	114.49	-	293.00	-
	(ii) व्यापार व्युत्पन्नो पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100 * पीवी 01				
	(i) बचाव पर	114.49 / 68.51	-	343.21 / 293.00	-
	(ii) व्यापार पर	-	-	-	-

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 103523डब्ल्यू

यू. जे. लालवानी
देश-प्रमुख
(निगमित लेखा वर्टिकल)

एन. रामन
कार्यपालक निदेशक

एन. के. मैनी
उप प्रबंध निदेशक-प्रभारी

राकेश राठी
साझेदार
एम. सं. 045228

अनिल अग्रवाल
निदेशक

बी. मणिवन्नन
निदेशक

मुंबई, मई 23, 2014

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹)

31 मार्च, 2013	विवरण	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2014
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1196,28,36,459	लाभ-हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		1539,49,70,687
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
12,87,73,913	मूल्यहास	11,82,74,218	
80,57,41,833	निवेशों में निवल हास के लिए प्रावधान	41,97,88,782	
844,03,97,261	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	605,74,79,501	
(104,58,78,339)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(80,65,45,244)	
(23,47,79,638)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(17,27,26,300)	561,62,70,957
2005,70,91,489	परिचालनों से उपार्जित नकदी		2101,12,41,644
	(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पहले)		
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन		
309,43,07,039	चालू आस्तियाँ	(351,84,95,873)	
(923,57,89,581)	चालू देयताएँ	7,59,87,970	
(1609,71,55,388)	विनिमय बिल	1390,83,70,439	
(710,48,70,474)	ऋण एवं अग्रिम	(7218,81,99,997)	
(438,61,21,510)	बांडों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	5768,87,49,475	
2364,20,28,167	प्राप्त जमा	(676,60,82,486)	
(1008,76,01,747)			(1079,96,70,472)
996,94,89,742			1021,15,71,172
(580,71,27,230)	कर का भुगतान	(447,40,86,098)	(447,40,86,098)
416,23,62,512	परिचालन-गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		573,74,85,074
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(10,04,30,449)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/विक्रय	(8,17,68,805)	
(125,62,63,862)	निवेशों का निवल (क्रय)/विक्रय/शोधन	(39,88,64,098)	
23,47,79,638	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	17,27,26,300	
(112,19,14,673)	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		(30,79,06,603)

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹)

31 मार्च, 2013	विवरण	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2014
	3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(130,14,20,053)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(130,98,21,008)	
(130,14,20,053)	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		(130,98,21,008)
173,90,27,786	4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी/(कमी)		411,97,57,463
1341,84,42,552	5. अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		1515,74,70,338
1515,74,70,338	6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य		1927,72,27,801
टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक-3 (संशोधित) नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ		XV	
लेखा टिप्पणियाँ		XVI	

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 103523डब्ल्यू

यू. जे. लालवानी
देश-प्रमुख
(निगमित लेखा वर्टिकल)

एन. रामन
कार्यपालक निदेशक

एन. के. मैनी
उप प्रबंध निदेशक-प्रभारी

राकेश राठी
साझेदार
एम. सं. 045228

अनिल अग्रवाल
निदेशक

बी. मणिवन्नन
निदेशक

मुंबई, मई 23, 2014

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

निदेशक मंडल

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बैंक) तथा इसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं (बैंक और इसकी सहायक व सहयोगी संस्थाएं समूह में समाहित हैं) की संलग्न वित्तीय विवरणियों की यथा 31 मार्च 2014 तक की लेखा-परीक्षा की है। इनमें 31 मार्च 2014 का तुलनपत्र तथा समेकित लाभ-हानि विवरण एवं वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन का उत्तरदायित्व

अलग-अलग वित्तीय विवरणों तथा सत्य एवं उचित रूप में समेकित वित्तीय स्थिति दर्शानेवाले अन्य घटकों के संबंध में अन्य वित्तीय सूचनाओं, समेकित वित्तीय स्थिति और समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन तथा समूह के समेकित नकदी प्रवाह के आधार पर भारत में सामान्यतः/स्वीकार्य लेखा-सिद्धान्तों के अनुरूप इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में प्रबंधन उत्तरदायी है। इनमें समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण-व्यवस्था, कार्यान्वयन तथा रख-रखाव शामिल हैं, जो सत्य व उचित स्थिति दर्शाता है और धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश किए गए तथ्यगत मिथ्या-कथन से मुक्त है।

लेखा-परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय लेखा-परीक्षक संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप संपन्न की। उन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा-परीक्षा की योजना व निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों के तथ्यगत मिथ्याकथनों से मुक्त होने के विषय में समुचित रूप से आश्वस्त हुआ जा सके।

लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों तथा प्रकटनों के संबंध में लेखा-परीक्षा विषयक प्रमाण प्राप्त करने से संबंधित प्रक्रियाएँ की जाती हैं। इन प्रक्रियाओं के चयन का निर्णय लेखा-परीक्षक करता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश तथ्यगत मिथ्याकथन के जोखिम संबंधी आकलन भी शामिल हैं। उक्त जोखिम के आकलन के समय लेखा-परीक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करते हैं, जो बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके उचित प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक होते हैं, ताकि संबंधित परिस्थितियों में उचित लेखा-प्रक्रियाओं का निर्धारण हो सके। प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखा-नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन संबंधी अनुमानों के औचित्य का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्रतः प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखा-परीक्षा में समाहित होता है।

हमें विश्वास है कि हमने लेखा-परीक्षा संबंधी जो प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे लेखा-परीक्षा संबंधी हमारी राय के निर्धारण के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं।

अभिमत

हम सूचित करते हैं कि कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 की अधिसूचना के अनुसरण में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी सहायक व सहयोगी संस्थाओं के अलग-अलग वित्तीय विवरणों के आधार पर, बैंक के प्रबंधन ने समेकित वित्तीय विवरणों को वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस) 21, "समेकित वित्तीय विवरण", लेखांकन मानक (एएस) 23, "सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन" की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अलग-अलग वित्तीय विवरणों और जैसाकि अन्य मामले शीर्षक निम्नलिखित परिच्छेद में उल्लिखित है, सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी के संबंध में दूसरे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन-सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं :

- समेकित तुलन-पत्र के मामले में समूह की यथा 31 मार्च 2014 की स्थिति,
- समेकित लाभ-हानि लेखा के मामले में, समूह के उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ की स्थिति,
- समेकित नकदी प्रवाह विवरण की स्थिति में, समूह की उक्त तारीख को समाप्त वर्ष की नकदी-प्रवाह की स्थिति।

ध्यातव्य विषय

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- क) 7 सहयोगी संगठनों के गैर-समेकन के संबंध में समेकित लेखों के अनुबंध की टिप्पणी सं. 4ख एवं 4घ, जिनमें प्रबंधन के अनुसार निवेशों की रख-रखाव राशियाँ वसूली योग्य नहीं हैं और पूर्णतया प्रावधानित हैं।
- ख) 8 सहयोगी संगठनों के गैर-समेकन के संबंध में समेकित लेखों के अनुबंध की टिप्पणी सं. 4ग एवं 4घ, क्योंकि प्रबंधन के अनुसार ये महत्वपूर्ण घटक नहीं हैं, अतः समेकन के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।

इस मामले के संबंध में हम अपनी राय देने की स्थिति में नहीं हैं।

अन्य मामले

हमने 2 सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की। इनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2014 को ₹36,19,31,173/- की कुल आस्तियाँ, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में ₹17,09,23,989/- का कुल राजस्व तथा ₹2,20,38,113/- का कुल नकद बहिर्प्रवाह रहा था। हमने एक और सहयोगी संस्था के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की। निवल लाभ में इसका कुल हिस्सा ₹17,80,762/- रहा, और यह समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल है। इन वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षक ने की है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है और हमारी राय पूरी तरह से अन्य लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

हम 3 सहयोगी संस्थाओं के संबंध में प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय जानकारी पर निर्भर रहे हैं। निवल लाभ में इनका कुल हिस्सा ₹1,73,98,362/- है और इसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। यदि सहयोगी संस्थाओं की लेखा-परीक्षा की गई हो, तो इसके फलस्वरूप 31 मार्च 2014 को समूह के लाभ के हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं।

इस मामले के संबंध में हम राय देने की स्थिति में नहीं हैं।

कृते हरिभक्ति एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 103523 डब्ल्यू

राकेश राठी

साझेदार

एम. सं. 45228

स्थान: मुंबई

दिनांक: 23 मई, 2014

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 का समेकित तुलन पत्र

अनुबंध - II

31 मार्च, 2014 का समेकित तुलन - पत्र

(₹)

पूँजी एवं देयताएं	अनुसूचियाँ	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
पूँजी	I	450,00,00,000	450,00,00,000
आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां	II	8090,14,30,165	7096,41,96,768
जमा	III	17428,26,37,419	18104,87,19,905
उधार	IV	35618,03,16,387	29849,15,66,912
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	V	6273,59,98,347	6275,11,03,349
आस्थगित कर देयताएँ		-	117,02,71,145
योग		67860,03,82,318	61892,58,58,079

आस्तियां			
नकदी एवं बैंक अतिशेष	VI	1943,69,97,167	1529,52,01,591
निवेश	VII	2977,89,89,991	2892,19,42,808
ऋण एवं अग्रिम	VIII	61270,69,95,084	56059,75,73,832
स्थिर आस्तियां	IX	194,76,96,169	198,48,27,654
अन्य आस्तियां	X	1472,97,03,907	1212,63,12,194
योग		67860,03,82,318	61892,58,58,079
आकस्मिक देयताएं	XI	6519,35,87,953	5286,06,02,658

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ (अनुबंध I)

उक्त अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 103523डब्ल्यू

यू. जे. लालवानी
देश-प्रमुख
(निगमित लेखा वर्टिकल)

एन. रामन
कार्यपालक निदेशक

एन. के. मैनी
उप प्रबंध निदेशक-प्रभारी

राकेश राठी
साझेदार
एम. सं. 045228

अनिल अग्रवाल
निदेशक

बी. मणिवन्नन
निदेशक

मुंबई, मई 23, 2014

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के समाप्त वर्ष का लाभ हानि खाता

31 मार्च, 2014 के समाप्त वर्ष का लाभ हानि खाता

(₹)

आय	अनुसूचियाँ	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
ब्याज एवं बट्टा	XII	5620,08,21,584	5135,32,01,460
अन्य आय	XIII	200,43,31,887	277,44,49,796
योग		5820,51,53,471	5412,76,51,256
व्यय			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		3337,09,12,099	3038,90,95,335
परिचालनगत व्यय	XIV	314,50,24,235	327,35,08,578
प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय		622,34,50,042	843,57,81,390
योग		4273,93,86,376	4209,83,85,303
कर पूर्व लाभ		1546,57,67,095	1202,92,65,953
आयकर के लिए प्रावधान		605,89,83,886	383,10,75,132
आस्थगित कर समायोजन [(आस्ति)/(देयता)]		(181,05,81,963)	(20,75,85,928)
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/(हानि) का हिस्सा		1,91,79,124	65,25,081
कर पश्चात लाभ		1123,65,44,296	841,23,01,830
लाभ अग्रणीत		47,01,05,408	38,51,63,808
कुल लाभ / (हानि)		1170,66,49,704	879,74,65,638
विनियोग			
सामान्य आरक्षिति में अंतरित		935,66,00,000	540,65,00,000
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरित		80,00,00,000	80,00,00,000
अन्य			
क) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियों में अंतरित		(32,18,01,399)	78,82,93,354
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरित		1,00,00,000	1,00,00,000
शेयरों पर लाभांश		112,50,00,000	112,50,00,000
लाभांश पर कर		19,75,66,875	19,75,66,875
लाभ-हानि लेखा का अग्रणीत अधिशेष		53,92,84,228	47,01,05,408
योग		1170,66,49,704	879,74,65,638

मूलभूत / अवमिश्रित प्रति शेयर अर्जन

24.97

18.69

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ (अनुबंध I)

उक्त अनुसूचियाँ लाभ-हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 103523डब्ल्यू

यू. जे. लालवानी
देश-प्रमुख
(निगमित लेखा वर्टिकल)

एन. रामन
कार्यपालक निदेशक

एन. के. मैनी
उप प्रबंध निदेशक-प्रभारी

राकेश राठी
साझेदार
एम. सं. 045228

अनिल अग्रवाल
निदेशक

बी. मणिवन्नन
निदेशक

मुंबई, मई 23, 2014

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता

(₹)

पूँजी एवं देयताएं	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
अनुसूची I :		
पूँजी		
(क) प्राधिकृत पूँजी		
– ईक्विटी शेयर पूँजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	750,00,00,000	750,00,00,000
– अधिमान शेयर पूँजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 शोध्य अधिमान शेयर)	250,00,00,000	250,00,00,000
(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूँजी		
– ईक्विटी शेयर पूँजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 45,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	450,00,00,000	450,00,00,000
– अधिमान शेयर पूँजी	-	-
योग	450,00,00,000	450,00,00,000
अनुसूची II :		
आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां		
(क) आरक्षितियां		
i) सामान्य आरक्षितियां		
– अथ शेष	5532,52,13,526	4992,45,62,762
– वर्ष के दौरान परिवर्धन	935,65,59,667	540,06,50,764
– वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
– इति शेष	6468,17,73,193	5532,52,13,526
ii) विशेष आरक्षितियां		
(क) निवेश आरक्षितियां		
– अथ शेष	55,19,63,645	55,19,63,645
– वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
– वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
– इति शेष	55,19,63,645	55,19,63,645
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
– अथ शेष	1117,00,00,000	1037,00,00,000
– वर्ष के दौरान परिवर्धन	80,00,00,000	80,00,00,000
– वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
– इति शेष	1197,00,00,000	1117,00,00,000
ग) अन्य आरक्षितियां		
i) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षितियां		
– अथ शेष	78,82,93,354	-
– वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	78,82,93,354
– वर्ष के दौरान उपयोग	32,18,01,399	-
– इति शेष	46,64,91,955	78,82,93,354
(ख) लाभ और हानि खाते में अधिशेष	53,92,84,228	47,01,05,408

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
(₹)

(ग) निधियाँ	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
(क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
– अथ शेष	243,22,48,570	222,39,66,690
– वर्ष के दौरान परिवर्धन/पुनरांकन	3,88,71,453	20,82,81,880
– वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
– इति शेष	247,11,20,023	243,22,48,570
(ख) स्टाफ कल्याण निधि		
– अथ शेष	22,63,72,265	22,80,55,066
– वर्ष के दौरान परिवर्धन/पुनरांकन	1,00,00,000	1,00,00,000
– वर्ष के दौरान उपयोग	1,55,75,145	1,16,82,801
– इति शेष	22,07,97,120	22,63,72,265
ग) अन्य	-	-
योग	8090,14,30,165	7096,41,96,768
अनुसूची III :		
जमा		
क) सावधि जमा	928,26,37,419	2604,86,19,905
ख) बैंकों से		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	15000,00,00,000	14000,01,00,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूँजी निधि के अंतर्गत	1000,00,00,000	1000,00,00,000
ग) अन्य – विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	500,00,00,000	500,00,00,000
उप-योग (ख)	16500,00,00,000	15500,01,00,000
योग	17428,26,37,419	18104,87,19,905
अनुसूची IV :		
उधारियाँ		
I) भारत में उधारियाँ		
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से	5000,00,00,000	-
2. भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त ₹ 2,172.80 करोड़ के बॉण्ड सहित)	3161,79,92,413	3137,79,96,461
3. बॉण्ड एवं डिबेंचर	13066,60,00,000	11871,60,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
– वाणिज्यिक पत्र	3650,00,00,000	625,00,00,000
– जमा प्रमाण पत्र	-	-
– बैंकों से सावधि ऋण	905,17,89,999	5638,96,39,669
– सावधि मुद्रा उधारियाँ	-	-
– अन्य	49,93,25,568	-
उप-योग (I)	25833,51,07,980	21273,36,36,130
II) भारत से बाहर उधारियाँ		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	1314,99,52,598	1041,42,91,583
(ख) जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जाइका), जापान	4277,84,46,222	4210,88,01,924
(ग) आईएफएडी, रोम	128,37,60,894	120,82,06,342
(घ) विश्व बैंक	3503,91,84,661	2856,98,98,451
(ड) अन्य	559,38,64,032	345,67,32,482
उप-योग (II)	9784,52,08,407	8575,79,30,782
योग (I व II)	35618,03,16,387	29849,15,66,912

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

अनुसूची V :	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
अन्य देयताएं व प्रावधान :		
उपचित ब्याज	362,34,55,627	518,27,52,253
अन्य (प्रावधान सहित)	4180,50,32,807	4112,25,00,931
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान	1283,11,87,410	1247,01,13,635
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	315,37,55,628	265,31,69,655
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	132,25,66,875	132,25,66,875
योग	6273,59,98,347	6275,11,03,349
आस्तियाँ		
अनुसूची VI :		
नकदी और बैंक अतिशेष		
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष	7,06,969	5,86,438
2. अन्य बैंकों में अतिशेष	-	-
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	36,70,55,087	25,45,43,513
ii) अन्य निक्षेप खातों में	363,42,95,947	113,76,81,176
(ख) भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	8,63,47,523	1,00,00,675
ii) अन्य निक्षेप खातों में	1534,85,91,641	1389,23,89,789
योग	1943,69,97,167	1529,52,01,591
अनुसूची VII :		
निवेश		
(प्रावधानों को घटाकर)		
क) राजकोषीय परिचालन		
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	378,83,78,095	276,73,22,178
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर	23,95,12,137	24,03,41,237
3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	556,38,92,000	623,38,92,000
4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	250,24,16,342	253,01,08,526
5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना	-	-
6. अन्य	825,44,66,583	784,71,38,259
उप-योग (क)	2034,86,65,157	1961,88,02,200
ख) व्यवसाय परिचालन		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर	62,56,61,440	62,56,61,440
2. बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	5,26,77,321	5,26,77,317
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	607,02,49,879	631,94,46,870
4. सहायक संगठनों में निवेश	-	-
5. अन्य	268,17,36,194	230,53,54,981
उप-योग (ख)	943,03,24,834	930,31,40,608
योग (क-ख)	2977,89,89,991	2892,19,42,808

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

अनुसूची VIII :	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
ऋण एवं अग्रिम (प्रावधान के बाद)		
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
– बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	40383,09,61,127	37193,36,56,036
– अल्प वित्त संस्थाएँ	1169,52,05,368	1132,48,81,543
– गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	4749,13,22,100	5468,77,05,100
– बिलों की पुनर्भुनाई	2956,00,00,000	-
– अन्य (संसाधन सहायता)	-	-
उप-योग (क)	49257,74,88,595	43794,62,42,679
ख) प्रत्यक्ष ऋण		
– ऋण एवं अग्रिम	9144,11,95,442	8021,15,56,128
– प्राप्य वित्त योजना	2841,83,77,451	4166,07,07,253
– भुनाए गए बिल	26,99,33,596	77,90,67,772
उप-योग (ख)	12012,95,06,489	12265,13,31,153
योग (क+ख)	61270,69,95,084	56059,75,73,832
अनुसूची IX :		
स्थिर आस्तियाँ (मूल्यहास घटाकर)		
1. परिसर	192,70,47,584	196,70,03,881
2. अन्य	2,06,48,585	1,78,23,773
योग	194,76,96,169	198,48,27,654
अनुसूची X :		
अन्य आस्तियाँ :		
उपचित ब्याज	705,16,93,538	539,41,84,988
अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	103,40,26,063	259,68,97,059
अन्य (₹64,03,10,817 की आस्थगित कर आस्तियों सहित)	543,26,26,142	300,90,29,641
व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है	121,13,58,164	112,62,00,506
योग	1472,97,03,907	1212,63,12,194
अनुसूची XI :		
आकस्मिक देयताएँ		
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	135,28,35,372	94,34,05,384
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	337,45,25,203	142,36,70,719
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	52,69,03,816	9,59,10,287
iv) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों आदि पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप	-	-
vi) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है	5993,93,23,562	5039,76,16,268
योग	6519,35,87,953	5286,06,02,658

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

अनुसूची XII :	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
ब्याज और बट्टा		
1. ऋण, अग्रिमों और बिलों पर ब्याज एवं बट्टा	5383,48,58,138	4624,83,61,648
2. निवेश/बैंक अतिशेष पर आय	236,59,63,446	510,48,39,812
योग	5620,08,21,584	5135,32,01,460
अनुसूची XIII :		
अन्य आय :		
1. अपफ्रंट और कार्रवाई शुल्क	52,74,42,851	36,71,38,725
2. कमीशन और दलाली	2,09,46,605	2,36,29,982
3. निवेशों की बिक्री से लाभ	80,65,45,243	104,58,78,339
4. सहायक संस्थाओं/सहयोगी संस्थाओं से लाभांश, आदि के जरिये अर्जित आय	-	-
5. पिछले वर्षों के प्रावधानों का पुनरांकन	-	-
6. अन्य	64,93,97,188	133,78,02,750
योग	200,43,31,887	277,44,49,796
अनुसूची XIV :		
परिचालन व्यय :		
कर्मचारियों के लिए किए गए भुगतान और प्रावधान	194,02,81,544	227,34,05,560
किराया, कर और बिजली	17,55,86,600	22,66,60,384
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	96,47,881	96,15,216
विज्ञापन और प्रचार	2,78,41,993	2,77,90,920
बैंक की संपत्ति में मूल्यहास/परिशोधन	11,89,37,818	12,95,25,576
निदेशकों की फीस, भत्ते व व्यय	49,04,019	46,61,771
लेखापरीक्षकों की फीस	45,60,761	33,48,265
विधि प्रभार	1,40,64,035	1,06,97,056
डाक, कुरियर दूरभाष आदि	37,56,065	35,77,639
मरम्मत और रखरखाव	9,74,36,363	6,95,86,796
बीमा	47,01,355	54,47,114
सीजीटीएमएसई को अंशदान	18,74,75,000	7,77,50,000
अन्य व्यय	55,58,30,801	43,14,42,281
योग	314,50,24,235	327,35,08,578

(₹)

समेकित लेखे के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ						
अनुबंध-I-महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ						
1 एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV में उल्लिखित सभी महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का पालन समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में भी किया गया है।						
2 एस21- समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप अंतःसमूह अतिशेष एवं अंतर-समूह संव्यवहार पूर्णरूपेण हटा देने के बाद, आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्य एक साथ जोड़कर बैंक एवं इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण पंक्ति पर पंक्ति आधार पर एकीकृत किए गए हैं। जैसा कि एस23- समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संगठनों में निवेश संबंधी लेखांकन में विनिर्दिष्ट है, सहयोगी संगठनों का लेखांकन ईक्विटी पद्धति का इस्तेमाल करके किया गया है।						
3 समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक संस्थाओं का विवरण निम्नवत है :						
क्रमांक	सहायक संस्था का नाम	निगमन का देश		स्वामित्व अनुपात	लाभ/हानि	
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लि.	भारत		100%	6,59,78,879	
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत		100%	61,68,392	
	योग				7,21,47,271	
सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित हैं						
4.क) समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहयोगी संस्थाओं के विवरण निम्नवत हैं :						
क्रमांक	सहयोगी संस्था का नाम	(%) धारिता	विवरण	निवेश	लाभ/(हानि) का हिस्सा	आरक्षित निधि में हिस्सा
1	स्मेरा	34.29	एसएमई की क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी	5,10,00,000	96,46,047	(18,61,115)
2	आईएसटीएसएल	22.73	एसएमई की प्रौद्योगिकी सहायता	1,00,00,000	2,79,287	20,89,103
3	आईएसएआरसी	26.00 **	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	26,00,00,000	74,73,028	1,50,28,357
4	डीएफसी	23.92	राज्य वित्तीय निगम	3,13,87,500	17,80,762	11,09,06,260
	योग			35,23,87,500	1,91,79,124	12,61,62,605
* समेकित तुलनपत्र की अनुसूची II क (i) में ₹ 64,68,17,73,193 (₹55,32,52,13,526/-) की आरक्षित निधि में शामिल।						
** इसमें एसवीसीएल (सिडबी की 100% सहायक संस्था) की 11% धारिता शामिल है।						
ख) समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के परिणाम सम्मिलित नहीं हैं। तथापि, वित्तीय विवरणों में हानियों के हिस्से के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।						
क्रमांक	सहयोगी संस्था	(%) धारिता	विवरण	निवेश	लाभ/(हानि) का हिस्सा	
1	बीएसएफसी	48.43	राज्य वित्तीय निगम	18,84,88,500	(18,84,88,500)	
2	जीएसएफसी	28.42	राज्य वित्तीय निगम	12,66,00,000	(12,66,00,000)	
3	जेकेएसएफसी	23.00	राज्य वित्तीय निगम	10,46,20,000	(10,46,20,000)	
4	एमएसएफसी	39.99	राज्य वित्तीय निगम	12,52,41,750	(12,52,41,750)	
5	पीएफसी	25.92	राज्य वित्तीय निगम	5,23,51,850	(5,23,51,850)	
6	यूपीएसएफसी	24.18	राज्य वित्तीय निगम	21,67,59,000	(21,67,59,000)	
	योग			81,40,61,100	(81,40,61,100)	
ग) निम्नलिखित निकायों के मामले में, हालाँकि बैंक के पास 20% से अधिक का मताधिकार है, तथापि, इन्हें एस 23 समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन के अंतर्गत सहयोगी संस्थाओं में निवेश नहीं माना गया है, क्योंकि इन्हें ऐसा महत्त्वपूर्ण निवेश नहीं समझा गया है, जिसका समेकन किया जाए।						

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

क्रमांक	सहयोगी संस्था	(%) धारिता	विवरण	निवेश
1	एपीआईटीसीओ लि.	41.29	तकनीकी परामर्श संगठन	54,70,975
2	केआईटीसीओ लि.	49.77	तकनीकी परामर्श संगठन	24,95,296
3	पूर्वोत्तर औद्योगिक परामर्शदाता लि.	20.78	तकनीकी परामर्श संगठन	13,474
4	पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्श संगठन लि.	43.44	तकनीकी परामर्श संगठन	1
5	उड़ीसा औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्श संगठन लि.	49.42	तकनीकी परामर्श संगठन	1
6	उत्तर प्रदेश औद्योगिक परामर्शदाता लि.	48.99	तकनीकी परामर्श संगठन	15,33,472
7	पश्चिम बंगाल परामर्श संगठन लि.	21.67	तकनीकी परामर्श संगठन	4,86,783
	योग			1,00,00,002
<p>घ. 4 क एवं 4 ख में उल्लिखित राज्य वित्तीय निगमों से इतर सहयोगी संस्थाओं के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखापरिक्षा नहीं की गई है। यूपीएसएफसी से इतर अन्य राज्य वित्तीय निगमों के आँकड़े 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं। यूपीएसएफसी के मामले में, 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के अंतिम परिणाम उपलब्ध हैं।</p> <p>बैंक ने ऊपर 4 ख एवं 4 ग में उल्लिखित सहयोगी संस्थाओं की ओर से कोई दायित्व नहीं लिया है। और न ही कोई भुगतान किया है, तथा न ही सहयोगी संस्थाओं द्वारा किए गए नुकसान के बारे में उक्त सहयोगी संस्थाओं में अपने निवेश मूल्य से अधिक कोई गारंटी अथवा वचनबद्धता की है।</p>				
5	सहयोगी संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन का विवरण निम्नवत है।			
क्रमांक	सहयोगी संस्था का नाम	विवरण	संवितरण	चुकोती
1	डीएफसी	पुनर्वित्त सहायता	-	26,10,00,032
2	पीएफसी	पुनर्वित्त सहायता	-	10,11,00,000
3	आरएफसी	पुनर्वित्त सहायता	-	40,00,00,000
6	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की मूल्यहास नीति में आस्तियों का मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति/मूल्यहासित मूल्य पद्धति से पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है, जब कि सहायक संस्थाएँ और सहयोगी संस्थाएँ मूल्यहास की गणना कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार मूल्यहासित मूल्य पद्धति से करती हैं। इसलिए समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ₹11,89,37,818/- (₹12,95,25,576/-) के कुल मूल्यहास में से 0.56 % (0.58%) राशि कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार किए गए मूल्यहास के आधार पर निर्धारित की गई है।			
7	चूँकि सहायक संस्थाओं के सभी शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के स्वामित्व में हैं, अतः अल्पांश शेयरधारकों के हित के संबंध में अलग से कोई प्रकटन नहीं किया गया है।			
8	सिडबी वेन्चर कैपिटल लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक को कुल ₹45,72,020/- पारिश्रमिक दिया गया है। (पिछले वर्ष ₹45,49,352/-)			
9	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)		31 मार्च, 2014 (₹)	31 मार्च, 2013 (₹)
	ईपीएस के परिकलन के लिए लिया गया निवल लाभ		1123,65,44,296	841,23,01,830
	₹10 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की संख्या		45,00,00,000	45,00,00,000
	प्रति शेयर अर्जन		24.97	18.69
10	<p>आकस्मिक देयताएँ</p> <p>नगरपालिका करों के प्रति एसवीसीएल की विवादित देयता है, जिसकी राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।</p>			
11	मूल एवं सहायक संस्थाओं के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त सांविधिक सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरणों की सही और सच्ची स्थिति को प्रभावित नहीं करती हैं और साथ ही, गैर-महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित सूचनाएँ इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स ऑफ इन्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई हैं।			

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 103523डब्ल्यू

यू. जे. लालवानी
देश-प्रमुख
(निगमित लेखा वॉटिकल)

एन. रामन
कार्यपालक निदेशक

एन. के. मैनी
उप प्रबंध निदेशक-प्रभारी

राकेश राठी
साझेदार
एम. सं. 045228

अनिल अग्रवाल
निदेशक

बी. मणिवन्नन
निदेशक

मुंबई, मई 23, 2014

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹)

31 मार्च 2013	विवरण	31 मार्च 2014	31 मार्च 2014
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1202,92,65,953	समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		1546,57,38,030
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
12,95,25,576	मूल्यहास	11,89,08,228	
80,57,41,833	निवेशों में निवल हास के लिए प्रावधान	41,97,88,782	
844,24,96,305	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	605,74,88,779	
(104,58,78,339)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(80,65,45,244)	
(21,27,13,489)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश / ब्याज	(14,61,15,075)	564,35,25,470
2014,84,37,839	परिचालनों से उत्पन्न नकदी		2110,92,63,500
	परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पहले)		
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन		
309,10,31,943	चालू आस्तियाँ	(348,86,52,588)	
(923,44,76,542)	चालू देयताएँ	4,94,25,898	
(1609,71,55,388)	विनिमय बिल	1390,83,70,439	
(710,48,70,474)	ऋण एवं अग्रिम	(7218,81,99,997)	
(438,61,21,510)	बांडों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	5768,87,49,475	
2370,67,21,167	प्राप्त जमा	(676,60,82,486)	
(1002,48,70,804)			(1079,63,89,259)
1012,35,67,035			1031,28,74,241
(584,23,30,850)	कर का भुगतान		(450,94,76,246)
428,12,36,185	परिचालन-गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		580,33,97,995
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(10,13,20,471)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय) विक्रय	(8,18,06,334)	
(128,88,32,469)	निवेशों का निवल (क्रय) विक्रय/शोधन	(40,98,87,299)	
21,21,15,263	निवेशों पर प्राप्त लाभांश / ब्याज	14,62,85,346	
(117,80,37,677)	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		(34,54,08,287)

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹)

31 मार्च 2013	विवरण	31 मार्च 2014	31 मार्च 2014
	3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(130,75,03,493)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(131,61,94,132)	
(130,75,03,493)	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		(131,61,94,132)
179,56,95,015	4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी/(कमी)		414,17,95,576
1349,95,06,576	5. अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		1529,52,01,591
1529,52,01,591	6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य		1943,69,97,167
<p>टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक-3 (संशोधित) नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।</p> <p>महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ (अनुबंध I)</p>			

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 103523डब्ल्यू

यू. जे. लालवानी
देश-प्रमुख
(निगमित लेखा वटिकल)

एन. रामन
कार्यपालक निदेशक

एन. के. मैनी
उप प्रबंध निदेशक-प्रभारी

राकेश राठी
साझेदार
एम. सं. 045228

अनिल अग्रवाल
निदेशक

बी. मणिवन्नन
निदेशक

मुंबई, मई 23, 2014

उन शहरों / स्थानों के नाम जहाँ हमारी शाखाएं / कार्यालय स्थित हैं
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रधान कार्यालय, सिडबी टावर 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001 (उत्तर प्रदेश)

फोन: 0522-2288546-50, फैक्स: 0522-2288455-59

क्षेत्रीय कार्यालय	शाखाएं
अहमदाबाद	अहमदाबाद, वड़ोदरा, गांधीधाम, जामनगर, मोरबी, राजकोट, सूरत, वटवा
बंगलूरु	बंगलूरु, होसुर, हुबली, मैसूर, पीन्या
चंडीगढ़	चंडीगढ़, जालंधर, जम्मू, लुधियाना, शिमला
चेन्नै	अम्बतूर, चेन्नै, पुदुचेरी
कोयम्बतूर	कोयम्बतूर, कोच्ची, तिरुपुर, ईरोड, त्रिची, मदुरै,
फरीदाबाद	फरीदाबाद, गुड़गाँव
गुवाहाटी	अगरतला, आईजाल, दीमापुर, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, शिलांग
हैदराबाद	बालानगर, हैदराबाद, राजमंझी, विजयवाड़ा, विशाखपट्टणम
इंदौर	भोपाल, बिलासपुर, इंदौर, नागपुर, रायपुर
जयपुर	अलवर, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, उदयपुर
कोलकाता	भुवनेश्वर, जमशेदपुर, कोलकाता, पटना, रांची, राउरकेला
लखनऊ	आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी
मुंबई	अंधेरी, मुंबई बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई महानगर, पणजी, ठाणे
नई दिल्ली	बहादुरगढ़, देहरादून, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कुंडली, नई दिल्ली, नोएडा, ओखला, रुद्रपुर
पुणे	अहमदनगर, औरंगाबाद, चिंचवड, कोल्हापुर, नासिक, पुणे



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

www.sidbi.in